प्राक्कथन

राजस्थान राज्य मे विगत वर्षो मे वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित किया जाकर राजस्थान राज्य की वन नीति के अनुरूप 20 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य मे दो महती परियोजनायें राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज–द्वितीय एवं नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित योजना के अंतर्गत वृहद स्तर पर वृक्षारोपण के कार्य करवाये जा रहे है।

विभाग द्वारा इस प्रकार किये जा रहे प्रयासो की गुणात्मक एवं मात्रात्मक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये राज्य के सातो संभाग में उप वन संरक्षक (पी.एण्ड एम.) के नेतृत्व में मूल्यांकन इकाईयां कार्य कर रही है जो मुख्यालय से दिये गये निर्देशानुसार कार्यो का मूल्यांकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है।

वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 मे इन इकाईयों द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य मे करवाये गये वन विकास कार्यो के मूल्यांकन का विवरण अंकित है। प्रतिवेदन में मूल्यांकन की जाने की प्रक्रिया एवं मूल्यांकन प्रतिवेदनो का परीक्षण कर की जाने वाली कार्यवाही का विस्तृत विवरण तथा मूल्यांकन संबंधी समय–समय पर जारी निर्देश परिपत्र एवं आदेशों के संदर्भ का उल्लेख किया गया हैं जो वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण अभिलेख सिद्ध होगा।

वर्ष 2014–15 में राज्य में कुल 514 कार्यो का मूल्यांकन किया गया जिसमें 209 अग्रिम कार्य, 220 वृक्षारोपण कार्य एवं 85 अन्य कार्य सम्मिलित है तथा वर्ष 2015–16 में राज्य में कुल 196 कार्यो का मूल्यांकन किया गया जिसमें 12 अग्रिम कार्य, 182 वृक्षारोपण कार्य एवं 2 अन्य कार्य सम्मिलित है।

श्री टी.सी. वर्मा, वन संरक्षक, समवर्ती मूल्यांकन एवं श्री प्रेम सिंह शेखावत, उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक द्वारा तथ्यों का संकलन एवं विश्लेषण किया जाकर इस पुस्तिका को लाभप्रद बनाया है। इस पुस्तिका हेतु मूल्यांकन कार्य के चित्र उपलब्ध कराने मे संभागों मे पदस्थापित उप वन संरक्षक, पी एण्ड एम ने सहयोग दिया, जिसके लिए ये सभी साधुवाद के पात्र है।

इस पुस्तिका के संकलन एवं प्रकाशन मे श्री प्रेम सिंह शेखावत, प्रावैधिक सहायक एवं उप वन संरक्षक ने अथक मेहनत की उनकी मैं सराहना करता हूँ। श्री टी.सी.वर्मा, वन संरक्षक, समवर्ती मूल्यांकन, जयपुर में इस प्रतिवेदन को तैयार करने के लिये आंकडों का सांख्यिकी विश्लेषण किया है जिसके लिए वे विशेष बधाई के पात्र है।

(राजीव कुमार त्यागी)
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(प्रबोधन एवं मूल्यांकन),
राजस्थान, जयपुर

प्रस्तावना

राजस्थान राज्य को भौगोलिक रूप से देश का सबसे बडा राज्य होने का गौरव प्राप्त है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किमी है जो कि देश के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी. का 10.41 प्रतिशत है।राज्य का अभिलेखित वन क्षेत्र कुल भौगोलिक भू–भाग का मात्र 9.57 प्रतिशत है जो सम्पूर्ण देश का अभिलेखित वन क्षेत्र देश के कुल क्षेत्रफल 23.41 प्रतिशत की तुलना मे अत्यंत कम है।राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 4.69 प्रतिशत क्षेत्र ही वनाच्छादित है शेष परिभ्रांषित की श्रेणी मे आता है।

राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 मे राज्य में राजकीय, सामुदायिक व निजी स्वामित्व वाले भूखण्डों पर विस्तृत वनीकरण एवं चरागाह विकास कर राज्य का हरित आवरण 20 प्रतिशत भू–भाग को करने का लक्ष्य रखा गया है, किन्तु राज्य की विषम परिस्थितियों के कारण राज्य की वन नीति के अनुसार वनाच्छादित क्षेत्र के प्रतिशत में वृद्धि किया जाना अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है। राज्य के अधिसूचित वन क्षेत्रो मे से अधिकतर भाग परिभ्रांषित श्रेणी के है जिनमें वृक्षारोपण कर वनाच्छादित करने मे कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार अधिसूचित वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण से वनाच्छादित क्षेत्रो में वृद्धि करने के सीमित विकल्प है। ऐसी परिस्थिति में वन नीति के अनुरूप लक्ष्यों की पूर्ति हेतु वन भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमियों जैसेकि राजस्व, चारागाह, पंचायत आदि भूमियोंपर वृक्षारोपण की संभावनायें अधिक है।

राज्य की वन नीति के आधारभूत लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विगत वर्षो में राज्य में विभिन्न योजनाओ के तहत वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण किये गये है। नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. XVIII योजना के अंतर्गत राज्य के गैर मरूस्थलीय 17 जिलों में तथा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फैज–द्वितीय के अंतर्गत मरूस्थलीय जिलों में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण के कार्य किये जा रहे है।

सामान्य जनता को पौधारोपण कार्यो मे भागीदार बनाने के लिये एवं विभागीय स्तर पर वृक्षारोपणों हेतु स्वस्थ एवं उच्च गुणवत्ता के पौधे आसानी से उपलब्ध हो सके, इस हेतु सम्पूर्ण राज्य में 731 स्थाई नर्सरियों का जाल फैला हुआ जहां लगभग 4.50 करोड़ से अधिक पौधे तैयार किये जाते है।

वृक्षारोपण एवं अन्य वानिकी विकास कार्यों की सफलता सुनिश्चित करने हेतु गुणवत्ता एवं मात्रा का समय–समय पर मूल्यांकन के माध्यम से आंकलन किया जाता है। इस संबंध में विभाग द्वारा समय–समय पर परिपत्र/विभिन्न आदेशों द्वारा वन मण्डल स्तर पर एवं मुख्य वन संरक्षक के स्तर पर मूल्यांकन कार्य किये जाने के संबंध मे यथोचित निर्देश जारी किये जाते रहे है।

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एम. एण्ड ई) के नेतृत्व में राज्य स्तर पर मूल्यांकन हेतु सभी संभागों मे प्रबोधन एवं मूल्यांकन इकाईयां गठित है। ये इकाईयां संभागीय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर उप वन संरक्षक, आयोजना एवं प्रबोधन के नेतृत्व में कार्य कर रहीहै। इन इकाईयों द्वारा संभाग में हो रहे वानिकी कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है तथा मूल्यांकन के उपरांत प्रतिवेदन अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एम. एण्ड ई) को अपनी टिप्पणी सहित प्रेषित करते है।

वर्तमान में प्रबोधन एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ के अधीन कार्यरत इकाईयों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	इकाई	अधिकार क्षेत्र
1	उप वन संरक्षक (पी एंड एम) जयपुर	अलवर, सरिस्का, जयपुर (उत्तर),जयपुर, सीकर, झुंझूनुं, दौसा, जयपुर (वन्य जीव)
2	उप वन संरक्षक (पी एंड एम) भरतपुर	भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर रणथम्भोर, करौली (वन्य जीव), भू.सं.अ., कृषि सवाईमाधोपुर, राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य, सवाईमाधोपुर
3	उप वन संरक्षक (पी एंड एम) कोटा	कोटा, बूंदी, झालावाड, बारां, मुकुन्दरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा
4	उप वन संरक्षक (पी एंड एम) अजमेर	अजमेर, भीलवाडा, टौंक, नागौर, भू.सं.अ. भीलवाड़ा।
5	उप वन संरक्षक (पी एंड एम) उदयपुर	बांसवाडा, डूंगरपुर, चित्तौडगढ, चित्तौडगढ (वन्य जीव) प्रतापगढ, उदयपुर (उत्तर), उदयपुर, उदयपुर (वन्य जीव) राजसमंद, राजसमंद(वन्य जीव) नदी घाटी परियोजना, बेगूं, कडाना परियोजना, बांसवाड़ा
6	उप वन संरक्षक (पी एंड एम) जोधपुर	जोधपुर, जोधपुर (वन्य जीव), जैसलमेर, जैसलमेर (वन्य जीव) बाडमेर, सिरोही, पाली, भू.सं.अ. सोजत, माउंट आबू (वन्य जीव), दांतीवाड़ा परियोजना, आबू रोड़
7	उप वन संरक्षक (पी एंड एम) बीकानेर	बीकानेर, बीकानेर आईजीएनपी–स्टेज–II, चूरूं, हनुमानगढ, श्रीगंगानगर, छतरगढ

(टी.सी.वर्मा)
वन सरंक्षक, समवर्ती मूल्यांकन

मूल्यांकन एवं प्रबोधन

वानिकी विकास कार्यो का प्रबोधन एवं मूल्यांकन इन कार्यों की सकारात्मक विवेचना है जिसमें ये सुनिश्चित किया जाता है कि किये जा रहे/किये गये विकास कार्यो में विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना की जा रही है अथवा नहीं साथ ही कौनसा कार्य अच्छा किया गया तथा किस कार्य में क्या कमी है अर्थात उसमें सुधार की आवश्यकता है, को इंगित करता है।

मूल्यांकन एवं प्रबोधन प्रभाग द्वारा सत्त प्रयास किये जाते है कि वानिकी विकास कार्यो के उत्कृष्ट एवं सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो इस हेतु मूल्यांकन के दौरान एवं मूल्यांकन के पश्चात कार्यो मे पायी गयी कमियों के सुधार हेतु संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है। किये गये कार्यो में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार सुनिश्चित करने के लिये विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाती है जो कि प्रबोधन एवं मूल्यांकन शाखा का मूल उद्देश्य है।

संक्षेप में विभागीय कार्यों में मात्रात्मक एवं गुणात्मकता निश्चित करना और भविष्य में कोई त्रुटि नहीं हो इसको सुनिश्चित करना ही मूल्यांकन है।

मूल्यांकन एवं प्रबोधन प्रभाग ये भी सुनिश्चित करता है कि वानिकी विकास कार्यो की गुणवत्ता (मात्रात्मक एवं गुणात्मक) में विभागीय कर्मियों की उदासीनता पायी जाये तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अवश्य हो। इसी प्रकार विभागीय कार्य अच्छी गुणवत्ता के हों यह सुनिश्चित करने व करवाने हेतु न केवल विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा दौरे किये जाते है, अपितु प्रबोधन एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा भी समय–समय पर मूल्यांकन साईटों पर कार्य की गुणवत्ता मे सुधार हेतु विस्तृत समझाइश की जाती है तथा सामयिक निर्देश भी संबंधित मुख्य वन संरक्षक, तथा उप वन संरक्षक को पालना करने व पालना सुनिश्चित करवाने हेतु भेजे जाते है।

विभाग द्वारा किये गये विभिन्न पौधारोपण कार्यों के समय–समय पर मूल्यांकन हेतु संभागीय स्तर पर प्रबोधन एवं मूल्यांकन इकाइयां सृजित है जिनके प्रभारी उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी है। राज्य वन प्रशासन में संभागीय मुख्य वन संरक्षक की व्यवस्था होने के साथ ही प्रत्येक संभाग में प्रबोधन एवं मूल्यांकन कार्यों को अंजाम देने के लिए संभागीय मुख्यालय पर एक उप वन संरक्षक (आयोजना एवं प्रबोधन) लगाया गया है। इस प्रकार राज्य में सात इकाइयां अजमेर,बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा एवं उदयपुर में कार्य कर रही है। इन इकाइयों का प्रभार राज्य वन सेवा के उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों के पास है, किन्तु अधीनस्थ कार्मिकों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने के कारण ये इकाइयां सीमित मूल्यांकन कार्य ही कर रही है।

समस्त उप वन संरक्षकगण (प्रबोधन एवं मूल्यांकन) वन संरक्षक, समवर्ती मूल्यांकन, जयपुर के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन रहकर उनके निर्देशानुसार कार्य करते हैं। वन संरक्षक समवर्ती मूल्यांकन

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रबोधन एवं मूल्यांकन के नियंत्रण में रहकर उनके निर्दशानुसार कार्य संपादित करते है।

मूल्यांकन कार्यों के दौरान चयनित स्थलों का मूल्यांकन निष्पक्ष व सही हो इसको दृष्टिगत रखते हुये मूल्यांकन एवं प्रबोधन प्रभाग द्वारा ये स्पष्ट निर्देश जारी किये गये है कि मूल्यांकन के दौरान संबंधित वन मण्डल के अधिकारी मूल्यांकन स्तर का भ्रमण करें तथा संबंधित क्षेत्र एवं अधिकारी एवं साइट इन्चार्ज मूल्यांकन स्तर पर उपस्थित रहें। मूल्यांकन से यदि वे असहमत है तो इस संबंध में अपनी टिप्पणी मूल्यांकन शीट्स पर अंकित करें ताकि भविष्य मे कोई विवाद उत्पन्न ना हो।

राज्य सरकार द्वारा संचालित राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर वन विभाग के अधिकारियों के दौरे, रात्रि विश्राम आदि की मॉनिटरिंग का कार्य प्रबोधन एवं मूल्यांकन शाखा द्वारा संपादित किया जा रहा है।

इसी प्रकार विभागीय कार्य अच्छी गुणवत्ता के हों यह सुनिश्चित करने व करवाने हेतु न केवल विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा दौरे किये जाते है, अपितु प्रबोधन एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा भी समय–समय पर मूल्यांकन साईटों पर कार्य की गुणवत्ता मे सुधार हेतु विस्तृत समझाइश की जाती है तथा सामयिक निर्देश भी संबंधित मुख्य वन संरक्षक, तथा उप वन संरक्षक को पालना करने व पालना सुनिश्चित करवाने हेतु भेजे जाते है।

मूल्यांकन प्रक्रिया

मूल्यांकन प्रक्रिया–पद्धति के अन्तर्गत विभाग के वन विकास कार्यों का मूल्यांकन दो स्तरों पर किया जा रहा है :–

1– आंतरिक मूल्यांकन 2– बाह्य मूल्यांकन

इसके अतिरिक्त परियोजना विशेष के लिए वन विकास कार्यों का स्वतंत्र निकाय से समग्र मूल्यांकन कराने के संबंध में विशेष प्रावधान होते है जिनके अंतर्गत मूल्यांकन कार्य करवाया जाता है।

आंतरिक मूल्यांकनः–

वन विकास कार्यों के आंतरिक मूल्यांकन से तात्पर्य संबंधित वन मण्डल में वन मण्डल स्तर पर रेंज के अंदर विकास कार्यों का मूल्यांकन उससे संबंधित कार्मिकों द्वारा, एक रेंज के कार्मिकों द्वारा दूसरी रेंज के कार्यों का मूल्यांकन तथा संभाग स्तर पर एक वन मण्डल के कार्यों का दूसरे वन मण्डल के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार वन मण्डल स्तर एवं संभागीय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि करवाये गये कार्य गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूप से सही है तथा जो भी व्यय राजकोष द्वारा उन कार्यो पर किया गया है वह उचित एवं न्यायसंगत हुआ है।

वन मण्डल पर आंतरिक रूप से कार्य के भौतिक सत्यापन के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ7 (5) आप्र/वसं/परिसूमू/94/4039 दिनांक 19.11.1996 जारी किया है। उक्त परिपत्र से सभी उप वन संरक्षकों को यह स्पष्ट निर्देश दिये है कि समस्त कार्यस्थलों को जॉब नम्बर आवंटित करें तथा उसके क्षेत्र को उपखण्डों में विभक्त किया जाये। वृक्षारोपण स्थल पर किये गये कार्यों का विवरण अंकित करने हेतु एक वृक्षारोपण कार्ड बनाया जायेजिसमें वृक्षारोपण संबंधी समस्त सूचनायें जैसे फैंसिंग, गड्डे, ट्रैंच, पौधे आदि की सूचना उपखण्डवार अंकित हो। वृक्षारोपण कार्ड तीन प्रतियों में तैयार किया जाकर संबंधित साइट इंचार्ज, क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय एवं उपवन संरक्षक कार्यालय में संधारित किया जाकर समय–समय पर अपडेट किये जाने चाहिये।

भौतिक सत्यापन हेतु पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों जिसमे कार्य प्रभारी से लगायत उप वन संरक्षक तक के अधिकारियों के लिए मापदण्ड तय किये गये थे, जिन्हे अधिलंघित कर नये मापदण्ड जारी करने हेतु प्रधान मुख्य वन सरंक्षक, राजस्थान, जयपुर ने परिपत्र क्रमांक एफ ( )05/विकास/प्रभुवस/139 दिनांक 07.04.2005 जारी किया, जिसमें उल्लेख किया गया कि कार्यस्थल के प्रभारी वन रक्षक को उक्त कार्यस्थल पर संपादित किये जाने वाले कार्यो के लिये प्राथमिक रूप से पूर्णतः उत्तरदायी माना जाएगा। वह कार्य की शत प्रतिशत नपती कर माप पुस्तिका में इन्द्राज करेगा/कार्यस्थल प्रभारी का नियंत्रक वनपाल माप पुस्तिका में दर्ज कार्य के 60 प्रतिशत माप का

भौतिक सत्यापन करेगा एवं शेष 40 प्रतिशत भाग का भौतिक सत्यापन संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

इस प्रकार माप पुस्तिका में कार्य स्थल के प्रभारी वन रक्षक द्वारा किये गये कार्य कि प्रथमतः अंकित मात्रा का शत प्रतिशत उपखण्डवार भौतिक सत्यापन प्रभारी वनपाल एवं क्षेत्रीय द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। इसके अतिरिक्त सहायक वन संरक्षक एवं उप वन संरक्षक क्रमशः 20 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर उपखण्डों का रेण्डम पद्धतिसे चयन कर भौतिक सत्यापन करते हैं। उक्त सत्यापित उपखण्डों का उल्लेख प्लान्टेशन जरनल में संबंधित अधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है

आंतरिक मूल्यांकन के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ7 (24) 02–02/विभा.वृक्षा.का./प्रमुवसं/10401 दिनांक 31.03.2004 से वन मण्डलों में वृक्षारोपण कार्यों के आंतरिक मूल्यांकन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे। उक्तानुसार प्रत्येक कार्य प्रभारी पौधारोपण के पश्चातवर्ती तीन वर्षो के कार्यस्थलों की शत–प्रतिशत गणना माह अप्रेल में ही पूर्ण करेंगे तत्पश्चात क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा प्रथम, द्वितीय,तृतीय संधारण वर्षो के कार्यस्थलो की संख्या के क्रमशः 50, 20 एव 10 प्रतिशत क्षेत्र में जांच कर अपना प्रतिवेदन माह मई के अंत तक मण्डल कार्यालय में प्रेषित करेंगे। मण्डल स्तर पर उक्त प्रकार से की गई गणना का वृक्षारोपणवार अभिलेख रजिस्टर अथवा कम्प्यूटर में सुरक्षित रखा जावेगा।इस प्रकार किये गये आंतरिक मूल्यांकन भविष्य में वृक्षारोपण की सफलता अथवा असफलता के लिए विस्तृत अभिलेख का कार्य करता है।

बाह्य मूल्यांकनः–

बाह्य मूल्यांकन से यहां यह तात्पर्य है कि वन विकास कार्यों का मूल्यांकन वन मण्डल अथवा संभाग स्तर पर नहीं किया जाकर बाह्य मूल्यांकन इकाईयों द्वारा किया जाता है ये इकाईयां अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एम एण्ड ई, राजस्थान के नेतृत्व में मूल्यांकन कार्य करती है तथा अपनी निष्पक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इन इकाईयों का नेतृत्व उप वन संरक्षक, पी एण्ड एम द्वारा किया जाता है। यह इकाईयां सभी संभाागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालयों में पदस्थापित है तथा उस संभाग में विभाग द्वारा किये जा रहे विकास कार्यो का मूल्यांकन करतीहै। इन इकाईयों का प्रशासनिक नियंत्रण वन संरक्षक, समवर्ती मूल्यांकन, राजस्थान, जयपुर के अधीन है। इनसे प्राप्त प्रतिवेदनों का परीक्षण कर प्रावैधिक सहायक एवं उप वन संरक्षक तथा वन संरक्षक, समवर्ती मूल्यांकन द्वारा किया जाता है एवं इन्है अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता हैं। इस प्रकार विभाग में बाह्य मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है एवं इस हेतु विभाग द्वारा समय'–समय पर दिशा निर्देश/परिपत्र/आदेश जारी किये जाते रहे है। जिनकी प्रति सुलभ संदर्भ हेतु इस पुस्तिका में उपलबध है।

मूल्यांकन कार्यवाही हेतु सभी मुख्य वन संरक्षकगणों के माध्यम से उनके अधिनस्थ वन मण्डलों में चल रहे वृक्षारोपण कार्यों एवं पूर्व के वृक्षारोपण कार्यों की सूची अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एम. एंड ई) द्वारा प्राप्त की जाती है । इस प्रकार प्राप्त कार्य सूची में से रेण्डम पद्धति के आधार पर 20 प्रतिशत वृक्षारोपणों का चयन किया जाता है । चयनित वृक्षारोपणों में आधे वृक्षारोपणों का शत–प्रतिशत मूल्यांकन तथा शेष का 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है । मूल्यांकन कार्य के दौरान साईट पर कोई कार्य नहीं किया जाता है।

इस प्रकार चयनित कार्यस्थलों के बारे में सीलबंद लिफाफे में अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एम.एंड ई) द्वारा संबंधित उप वन संरक्षक (पी. एंड एम.) को मूल्यांकन हेतु निर्देश दिये जाते है । गोपनीयता बनाये रखने के लिये संबंधित वन मण्डल में मूल्यांकन दल के पहुंचने के उपरान्त ही लिफाफा खोला जाता है तथा चयनित वृक्षारोपण स्थल के बारे में संबंधित उप वन संरक्षक/सहायक वन संरक्षक को सूचित किया जाता है ।

वृक्षारोपण कार्यों में अग्रिम मृदा कार्य की गुणवत्ता जांचने हेतु विगत दो वर्षों से अग्रिम मृदा कार्यों का भी मूल्यांकन किया जा रहा है। मृदा कार्यो में पाई गई कमियों को दुरूस्त करने हेतु मौके पर ही संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत करा दिया जाता है।

गणना दल द्वारा संबंधित उप वन संरक्षक/सहायक वन संरक्षक गणना हेतु चयनित कार्य स्थल के बारे में सूचित करने के उपरांत गणना दल साईट पर पहुंचता है। साईट पर पहुंचने के उपरांत स्थानीयकर्मियों की उपस्थिति में मौका पंचनामा बनाया जाता हैगणना कार्य हेतु कार्य स्थल पर ही गणना दलों का गठन किया जाता है । दल द्वारा वृक्षारोपण में स्थित प्राकृतिक पौधों की गणना, रोपित पौधों, मृत पौधों, खाली गड्डों, स्टेगर्ड कन्टूर ट्रेंचों आदि को सफेद पाउडर से निशान लगा कर गणना की जाती है । कन्टूर डाईक्स, चैकडेम्स, एवं अन्य भू–जल संरचनाओं की माप की जाकर उन पर नंबर अंकित किये जाते है । कार्यस्थल पर एवं आसपास रोपित पौधों तथा प्राकृतिक वनस्पति पर भू एवं जल संरक्षण संरचनाओं के प्रभाव का आंकलन भी किया जाता है ।

मूल्यांकन के दौरान साईट पर समस्त कार्य की जांच की जाती है तथा प्रजातिवार रोपित पौधों की औसत ऊंचाई मापी जाती है । पौधों की जीवितता प्रतिशत का आंकलन किया जाता एवं प्राकृतिक पौधों की वृद्धि पर हुये प्रभाव का भी आंकलन किया जाता है ।

गणना दल द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि मूल्यांकन के पश्चात् एक बार पुनः क्षेत्र का निरीक्षण किया जाये जिससे कोई कार्य छूट नजाये। यह सुनिश्चित करने के उपरांत समस्त स्थिति से मौके पर उपलब्ध स्थानीय स्टाफ को अवगत कराकर मौका पंचनामा तैयार किया जाता है एवं उस पर स्थानीय कार्मिकों के हस्ताक्षर कराये जाते है । यदि स्थानीय कार्मिक हस्ताक्षर करने से मना करता है तो मूल्यांकन दल इस संबंध में गणना रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख करता है।

संबंधित उप वन संरक्षक पी एण्ड एम द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर उसे अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एम.एंड.ई. को प्रस्तुत करतेहै। अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एम.एंड ई., के स्तर से

मूल्यांकन रिपोर्ट का विश्लेषण कर कार्यों की गुणवत्ता एवं मात्रा में यदि कोई कमी पाई जाती है तो सुधारात्मक सुझाव के साथ संबंधित संभागीय मुख्य वन संरक्षक को भेजी जाती है । कार्य में गंभीर अनियमितता पाई जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की सिफारिश भी की जाती है

स्वतंत्र ऐजेन्सी द्वारा मूल्यांकन

वन विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यों का स्वतंत्र एजेंसी द्वारा पूर्व में भी मूल्यांकन कराया जाता रहा है। विभिन्न परियोजनाओं में स्वतंत्र एजेंसी से मूल्यांकन करवाये जाने के संबंध में पर्याप्त प्रावधान होते है जिसके अंतर्गत ही मूल्यांकन कार्य संपादित करवाये जाते है।

वृक्षारोपणों एवं अन्य विकास कार्यों का मूल्यांकन राज्य सरकार के अधीन अन्य विभाग जो वन विभाग के नियंत्रण में नही हो,द्वारा भी किया जाता है। राजस्थान राज्य में निदेशक मूल्यांकन संगठन, राजस्थान द्वारा अन्य विभागों के कार्यों के मूल्यांकन के अतिरिक्त वन विकास कार्यों का मूल्यांकन भी किया जाता है ।

माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा विभाग के कार्यों का स्वतंत्र एजेंसी से मूल्यांकन करवाये जाने के संबंध में निर्देश दिये हैं। इस क्रम में वर्ष 2014–15 में वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज–द्वितीय के कार्यो का मूल्यांकन सेंटर फॉर डवलपमेंट एण्ड स्टेडीज (सी–डेक), जयपुर नामक स्वतंत्र निकाय से तृतीय पक्ष मूल्यांकन करवाया गया। उक्त निकाय से प्राप्त मूल्यांकन प्रतिवेदन विभाग के लिये उत्साहवृर्द्धक रहा।

कैम्पा के अंतर्गत वर्ष 2010–11 से 2013–14 तक करवाये गये कार्यो के तृतीय पक्ष मूल्यांकन हेतु शुष्क क्षेत्र वानिकी अनुसंधान संस्थान जोधपुर को चिन्हित किया जाकर उन्हें मूल्यांकन करवाये जाने हेतु माह जून 2016 में कार्यादेश दे दिये गये है। ये संस्थान लगभग 6–7 माह में मूल्यांकन कर प्रतिवेदन विभाग को प्रस्तुत कर देगी।

वन विभाग में राज्य वन विकास अभिकरण एवं बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत कराये गये कार्यों का मूल्यांकन बाह्य ऐजेन्सी द्वारा भी कराया जाता है । इस हेतु परियोजना स्तर पर बाह्य ऐजेन्सी का चयन किया जाता है तथा उनके साथ एम ओ यू हस्ताक्षरित किया जाकर उसे यह कार्य दिया जाता है ।

मूल्यांकन प्रक्रिया एवं प्रगति

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर द्वारा समवर्ती मूल्यांकन हेतु समय–समय पर दिशा निर्देश जारी किये है। ये परिपत्र/ आदेश जिनमें से अधिकांश का समावेश इस पुस्तिका में भी किया गया है ताकि समय–समय पर इनका उपयोग किया जा सके। उक्त दिशा निर्देशाों के अनुसार वर्तमान में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, टी.आर.ई.ई. राजस्थान के अधीन अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एम एण्ड ई) एवं वन संरक्षक (सी.ई.) राजस्थान सम्पूर्ण राज्य में चल रहे वानिकी विकास कार्यो के मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त कर रहे है ये प्रतिवेदन सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में कार्यरत उप वन संरक्षक, आयोजना एवं प्रबोधन द्वारा सम्भाग के अधीन सम्पादित विकास कार्यो का मूल्यांकन कर प्रेषित किये जाते है।

मुख्यालय द्वारा समवर्ती मूल्यांकन हेतु समय–समय पर विभिन्न परिपत्र/आदेश जारी किये गये है जो इस प्रकार है :–परिपत्र क्रमांक एफ 7(5) आप्र/ वसं/परिसूमू/94/ 4039 दिनांक 19–11–1996, एफ 6(1) समू/ 97/ 1156 जयपुर, दिनांक 28–4–1998,एफ ( ) प्रमुवस/ समू/ वसं/ 90–91/ परिसूमू/ 3569–89 दिनांक 12–8–1999 एफ 7(3) आप्र/ 99/ 3505 दिनांक 29–9–1999 तथा एफ 6( ) समू/ 2001/वसं/ तेपसो / 1664 दिनांक 2–7–2001, एफ 7(24) 2002–03/विभा.वृक्षा.का./प्रभुवस/ 10401 दिनांक 31.3.2004, परिपत्र क्रमांक–एफ7 (5) आप्र/वसं/परिसूमू/94/749 दिनांक 10.02.1997, परिपत्र क्रमांक–एफ 6 (1) स.मू./97/1150 दिनांक 28.04.1998, परिपत्र क्रमांक– एफ 18 ( ) 2000/जांच/प्रमुवसं/2620 दिनांक 12.07.2004, परिपत्र क्रमांक– एफ ( ) 05/विकास/प्रमुवसं/139 दिनांक 07.04.2005, परिपत्र क्रमांक– एफ ( ) 2008/स.मू./प्रमुवसं/879 दिनांक 19.07.2008 आदि । इन परिपत्रों में से अधिकांश का समावेश इस पुस्तिका में किया गया हैं।

उप वन संरक्षक, आयोजना एवं प्रबोधन सम्भाग के अधीन समस्त वन मण्डलों के विकास कार्यो (वृक्षारोपणों आदि) का शत प्रतिशत एवम् सेम्पलिंग (दस प्रतिशत उप खण्ड के बराबर क्षेत्र) पद्धति से मूल्यांकन करते है।

चयनित पौधशालाओं का मूल्यांकन भी किया जाता है ताकि स्थानीय निवासियों को उनकी मांग एवं क्षेत्र की आवश्यकतानुसार स्वस्थ पौधे उपलब्ध कराये जा सके तथा वृक्षारोपण कार्यो में उचित प्रजाति के पौधों का रोपण सुनिश्चित हो सके। चूंकि विभाग में वृक्षारोपण कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों जैसे वन क्षेत्रों के संरक्षण हेतु दीवार निर्माण, भू एवं जल संरक्षण हेतु निर्मित संरचनायें, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवंटित राशि से निर्मित विभागीय चौकी नाका, रेंज आदि के भवन इत्यादि कार्य भी कराये जाते है जिनका भी मूल्यांकन, मूल्यांकन एवं प्रबोधन इकाईयां समय–समय पर करती है एवं अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसका परीक्षण अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एम.एण्ड ई.) कार्यालय में पदस्थापित अधिकारियों द्वारा किया जाता है। परीक्षण के दौरान मूल्यांकन कार्य में पायी गयी कमियों को दुरूस्त करने हेतु तथा कार्य में कमी पायी जाने की स्थिति में समुचित कार्यवाही करने हेतु मुख्यालय द्वारा सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक व उप वन संरक्षक को निर्देशित किया जाता है।

मूल्यांकन प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण :–

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ()प्रभुवस/स.मू./99/3505 दिनांक 29.9.99 एवं संबंधित पश्चातवर्ती परिपत्रो से समवर्ती मूल्यांकन की वर्तमान प्रक्रिया अनुसार सर्वप्रथम समवर्ती मूल्यांकन करे जाने हेतु वन मंडल का चयन मुख्यालय द्वारा किया जाकर उक्त वन मण्डल में चालू वृक्षारोपण वर्ष एवं उससे पूर्व के वृक्षारोपण स्थलों की सूची प्राप्त की जाती है, उक्त दोनों वर्षों के वृक्षारोपणो में से नियमानुसार कार्यो का चयन रेण्डम प्रणाली से अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एम एण्ड ई) स्तर पर किया जाता है उक्त वृक्षारोपण स्थलों में माप पुस्तिका के अनुसार कराये गये समस्त वृक्षारोपण सम्बन्धी कार्यों का शत–प्रतिशत/ सैम्पंलिग प्रक्रिया जैसा भी निश्चय किया गया हो, भौतिक सत्यापन मौके पर किया जाता है। समवर्ती मूल्यांकन हेतु चयनित वनमंडल को इस आशय की सूचना मूल्यांकन कार्य प्रारम्भ करने के एक सप्ताह पूर्व ही दी जाती है, किन्तु गोपनीयता की दृष्टि से चयनित वृक्षारोपण के नाम की सूचना उन्है मूल्यांकन दल के पहुंचने पर ही दी जाती है इसके बाद गणना/मापन दलों का गठन किया जाकर मूल्यांकन दल के सदस्यों के साथ–2 स्थानीय कर्मचारियों एवं श्रमिकों को सम्मिलित किया जाता है इस प्रकार गठित दलों द्वारा वृक्षारोपण क्षेत्र में लगाये गये समस्त जीवित पौधों, मृत पौधों, खाली गड्डों एवं स्टेगर्ड कंटूर ट्रेन्चों की गणना की जाकर सफेद पाउडर से चिन्हित कर गणना प्रपत्रों में इन्द्राज किया जाता है

वृक्षारोपण से संबंधित निम्न रिकॉर्ड जिसके संधारण हेतु समय–समय पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर द्वारा निर्देश दिये जाते है, को मूल्याकन दल को मूल्यांकन के दौरान उपलब्ध कराया जाता है।

1. सर्वे मैप, सोइल मैप, ट्रीटमेंट मैप
2. तकनीकी टिप्पणी एवं ट्रीटमेंट प्लान
3. स्वीकृत तकनीकी प्राक्कलन
4. प्लाण्टेशन जनरल, प्लाण्टेशन कार्ड
5. माइक्रोप्लान
6. वृक्षारोपण से लघु वन उपज के वितरण संबंधी अभिलेख

   (पूर्व में माप पुस्तिका को भी मूल्यांकन से पूर्व मूल्यांकन दल को उपलब्ध कराने के निर्देश थे, किन्तु अब माप पुस्तिका को मूल्यांकन कार्य के अंत में उपलब्ध कराने के निर्देश है।)

मूल्यांकन अधिकारी द्वारा मौके पर संपादित भौतिक कार्य के शत–प्रतिशत मूल्यांकन के अतिरिक्त निम्न बिंदुओं का भी वस्तुनिष्ठ आंकलन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन में उल्लेख किया जाएगा।

- वृक्षारोपण कार्य के सम्पादन एवं सुरक्षा में जन–सहभागिता हेतु गठित वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति की बैठकों का विवरण, बैंक अकाउंट, स्वयं सहायता समूहों की प्रगति, प्रवेश बिंदु कार्य आदि।
- कार्य स्थल की स्थिति मय नजरी नक्शाजी.टी.शीट जीपीएस कोर्डीनेट्स, साईन बोर्ड, गेट, केटलगार्ड हट, निरीक्षण पथ एवं औजार आदि की स्थिति
- मृदा व धरातल की संरचना
- वृक्षारोपण के अंदर अथवा आसपास वनभूमि पर अतिक्रमण की स्थिति
- रोपित एवम् प्राकृतिक पौधों पर कट–बैंक ऑपरेशन, पौधों के चारों ओर बने थांवलों की एवं उन पर हुए बीजारोपण की स्थिति, प्राकृतिक वनस्पति की स्थिति एवं इसके संवर्धन/संरक्षण हेतु वृक्षारोपण कार्य के दौरान किये गये प्रयास यथा निराई–गुड़ाई/प्रुनिंग आदि का समयवार विवरण।
- प्राकृतिक पौधों के पुर्नउत्थान के प्रयासों का विवरण जैसे कि प्राकृतिक पौधों के समीप वर्षा जल संरक्षणार्थ बनाई गयी ट्रेन्चो का माप व प्राकृतिक पौधों से ट्रेन्चो की दूरी।
- पुराने कार्यों (यदि कोई हो) का विवरण
- जैव विविधता संरक्षण के प्रभाव

मूल्यांकन दल द्वारा मूल्यांकन के दौरान यह भी आंकलन किया जाता है कि वृक्षारोपण फेन्सिंग प्रभावी है या नहीं, पौधों/बीजों की प्रजाति का चयन साईट के अनुसार है या नही, साईट का चयन उपयुक्त है या नही, कार्य में एकरूपता एवं तकनीकी रूप से अनुकूलता, ट्रेंचेज, डाईक्स आदि कन्टूर के अनुसार है या नहीं, चैकडेम्स की आवश्यकता तथा उनके माप एवं दूरी सही है या नही । बडे वृक्षों के नीचे वृक्षारोपण तो नहीं किया गया।

थॉवलों की गणना प्रजातिवार की जाती है तथा प्राकृतिक पौधों की गणना पृथक से की जाती है।

मूल्यांकन दल के द्वारा यह भी ध्यान रखा जाता है कि समस्त गणना कार्य उप खण्डवार हो तथा गणना शीटों की फोटो प्रति संबंधित उप वन संरक्षक/ सहायक वन संरक्षक को उपलबध करायी जावे । कन्टूर ट्रेंचेज, वी–डिचेज, कन्टूर डाईक्स, चैकडेम्स एवं फेन्सिंग की माप निर्देशानुसार ही हों।

मूल्यांकन के पश्चातवर्ती आंकलनः–

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 7(24) 2002–03/विभा.वृक्षा.का./प्रभुवस/10401 दिनांक 31.3.2004 के जरिये इसी कार्यालय के आदेश सं. एफ() 2002/ते.प./स.मू./2290 दिनांक 18.11.2002 द्वारा गठित समिति की अभिशंषा के मध्य नजर

विभिन्न वानिकी विकास कार्यों के मूल्यांकन की अवधि एवं मूल्यांकन के परिणाम के स्थानीय प्राकृतिक, जैविक, तकनीकी तथा प्रबन्धकीय कारकों के परिवेश में विश्लेषणोपरान्त विकास कार्यों की गुणवता के निर्धारण के संबंध में पूर्व में जारी इस कार्यालय के पत्र संख्या 348–79 दिनांक 08.02.1980, पत्रांक एफ 22 (2) 86 विकास/मुवसंज/6848–6966 दिनांक 25.04.1985 एवं पत्र क्रमांक एफ 7 (3) आ.प्र/व.स/परि.मू.सू./90–91/2688–749 दिनांक 26.11.1990 द्वारा प्रसारित दिशा–निर्देश के अधिलंघित करते हुए निम्न प्रकार से नवीन दिशा–निर्देश प्रसारित किये गये थे जिसके अनुसार –

1. पौधोरोपण के पश्चातवर्ती तीन वर्षों (अर्थात् प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय संधारण वर्ष) में जीवितता की शत प्रतिशत गणना द्वारा ज्ञात की जावेगी।
2. प्रत्येक कार्य प्रभारी द्वारा वृक्षारोपण के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय संधारण वर्ष के माह अप्रैल में पौधों की शत–प्रतिशत गणना कर जीवित प्रतिशतता का आंकलन किया जावेगा जिसकी प्रति क्षेत्रीय व मंडल कार्यालय मे प्रेषित होगी।
3. कार्य प्रभारी से गणना प्रतिवेदन प्राप्ति के साथ ही (प्रत्येक गणना वर्ष के माह अप्रैल–मई में) संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय संधारण वर्षों की प्रत्येक कार्य स्थल की गणना के क्रमशः 50, 20 एवं 10 प्रतिशत क्षेत्र में जांच करेंगे। कार्य स्थलों की जांच पश्चात क्षेत्रीय स्तरीय समस्त प्रतिवेदन माह मई के अन्त तक मंडल कार्यालय को प्रेषित कर दिये जावे।
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी अपने प्रतिवेदन में जीवितता प्रतिशत को प्रभावित करने वाले मुख्य स्थानीय कारकों, प्राकृतिक जैविक कारणों और वनस्पति संवर्धन, केज्यूएल्टी रिप्लेसमेंट, बीजारोपण, प्रुनिंग आदि सुधार कार्यों का उल्लेख करेंगे।
5. वनमंडल कार्यालय में आलौच्य गणना का निर्धारित प्रपत्र में वृक्षारोपणवार अभिलेख रखा जावेगा।

समवर्ती मूल्यांकन हेतु समय–समय पर जारी दिशा निर्देश

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज. जयपुर

परिपत्र क्रमांक–एफ7 (5) आप्र/वसं/परिसूमू/94/4039 दिनांक 19.11.1996

विभाग में क्रियान्वित किये जा रहे विभिन्न कार्यों के प्रभावी प्रबोधन एवं मूल्यांकन की आवश्यकता को देखते हुए पूर्व में इस संबंध में जारी किये गये समस्त परिपत्रों एवं आदेशों को अधिलंघित करते हुए निम्नानुसार दिशा–निर्देश दिये जाते है यह केवल प्रबोधन एवं मूल्यांकन का विधि ही नहीं रहेगा। बल्कि इसको विभाग में सभी विकास कार्यों में शुरू से ही लागू किया जावेगा जिससे कि सभी स्तर पर मूल्यांकन एवं प्रबोधन में सहूलियत रहै

1. पहाड़ी कार्य स्थल को भूतल की बनावट/प्राकृतिक संरचनाओं के आधार पर एवं पत्थरगढ़ी या अन्य विधि से उपखण्डों में विभाजित किया जावे तथा समतल कार्यस्थलों पर उपखण्डों का विभाजन पत्थरगढ़ी या अन्य विधि से किया जावें।
2. प्रत्येक उपखण्ड को अलग–अलग नम्बर दिये जाकर इसमें करवाए जाने वाले भू–संरक्षण कार्य, मृदा कार्य, पौधारोपण व बीजारोपण हेतु प्रजातियों के चयन के संबंध में उपचार योजना तैयार की जावे। बाड़ (फैन्सिंग) करते समय प्रत्येक 50 मीटर पर निशानदेही कर बाड़ के समस्त परिणाम अंकित किया जावे। विभाग द्वारा पूर्व में प्रसारित किए गए निर्देशों के अनुसार प्रत्येक के लिए जॉब नम्बर आवंटित करना अनिवार्य है प्रत्येक जॉब नम्बर के आगे कोष्ठक के अन्दर उपखण्ड की संख्या उल्लेखित की जावे ताकि किसी भी कार्यस्थल को कितने उपखण्डों में विभाजित किया गया है, आसानी से इसका पता लग सके।
3. प्रत्येक कार्यस्थल हेतु एक वृक्षारोपण कार्ड (संलग्न प्रपत्र 1) में संधारित किया जावे। इस कार्य में उपखण्डवार करवाये गये कार्य का ब्यौरा एवं उपखण्ड का नम्बर स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे। कार्ड पर कार्यस्थल का मानचित्र, (स्केच मैप) भी रेखांकित किया जावें। वृक्षारोपण कार्ड पर विभिन्न विकास कार्यों का किस्म अनुसार नम्बर मुख्यपृष्ठ के बायें कोने पर अंकित किया जावे जो निम्न प्रकार रहेगाः–

क्र.सं. कार्य की किस्म

(1) वृक्षविहीन वन क्षेत्रों का पुनरारोपण

(2) परिभ्रांषित वनों का पुनर्वास

(3) सामुदायिक वृक्षारोपण

(4) टिब्बा स्थितिकरण

(5) चारागाह विकास

(6) नहरों के किनारे वृक्षारोपण/रेलवे साईड वृक्षारोपण/रोड साइड (स्ट्रिप) वृक्षारोपण

(7) अन्य

4. कार्य प्रभारी कार्यस्थल पर एक दैनिक कार्य पंजिका (प्रपत्र 2) संधारित करेगा जिसमें प्रतिदिन होने वाले कार्य की उपखण्डवार नपती कर उसकी प्रविष्टि पंजिका में करेगा एवं उपखण्ड का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ठेकेदार/मेट के हस्ताक्षर भी लेगा। इस पंजिका में अंकित कार्य के अनुसार ही कार्य की प्रविष्टि माप पुस्तिका में की जावेंगी।
5. वृक्षारोपण कार्ड तीन प्रतियों में तैयार किया जावेगा जिसकी एक प्रति कार्यस्थल प्रभारी वन रक्षक/वनपाल, द्वितीय प्रति क्षेत्रीय वनाधिकारी कार्यालय तथा तृतीय प्रति कार्यालय उप वन संरक्षक में संधारित की जावेगी। कार्य प्रभारी द्वारा संधारित वृक्षारोपण कार्ड के आधार पर क्षेत्रीय स्तर पर एवं उप वन संरक्षक कार्यालय स्तर पर वृक्षारोपण संधारित कार्ड समय–समय पर अपडेट करेंगे।
6. कार्यस्थलों पर जो कार्य ठेकों, पीस रेट अथवा वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के माध्यम से करवाया जा रहा है, उन कार्यों के बिल्स क्षेत्रीय द्वारा उपखण्डवार तैयार कर मण्डल कार्यालय में प्रेषित किए जावेंगे। जिन कार्यस्थल पर कार्य मस्ट्रोल पर करवाए जा रहे है वहॉ पर भी मस्ट्रोल पर गोशवारा भरते समय कार्य का विवरण उपखण्डवार अंकित किया जावेंगा।
7. क्षेत्रीय वनाधिकारी प्रत्येक कार्यस्थल पर हुए कार्यों का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन करेंगे।
8. प्रत्येक कार्यस्थल के कम से कम 20 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर उपखण्डों का सत्यापन सहायक वन संरक्षक द्वारा एवं 5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर उपखण्डों का सत्यापन उप वन संरक्षक द्वारा किया जावेगा। संबंधित अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण कार्ड में सत्यापित उपखण्डों के नीचे अपने लघु हस्ताक्षर किए जावेंगे एवं तदनुसार उसका उल्लेख निरीक्षण नोट तथा टूर डायरी में किया जावेगा।
9. वन संरक्षक कम से कम तीन माह में प्रत्येक वन मण्डल का दौरा करके यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही हो रही है, अथवा नहीं। इसी प्रकार संबंधित मुख्य वन संरक्षक कम से कम 6 माह में प्रत्येक वन मण्डल का भ्रमण करके उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। जहॉ तक संभव हो वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा पूर्व में सत्यापन किए गए उपखण्डों की गणना परीक्षा मूलक रूप में आवश्यक की जावें।

मूल्यांकन

संभाग स्तर पर मूल्यांकन

वन संरक्षक कार्यालय में कार्यरत तकनीकी सहायक प्रत्येक वन मण्डल के रैन्डम पद्धति से चयनित दो कार्यस्थलों का शत प्रतिशत मूल्यांकन वर्ष में एक बार करेंगे। इस कार्य के लिए उन्है वन मण्डल के स्थानीय स्टाफ या वृत्त स्तर पर उपलब्ध गश्तीदल की सहायता ले सकते है

परियोजना स्तर पर मूल्यांकन

मुख्य वन संरक्षक परियोजना प्रभारी कार्यालय की आयोजना एवं प्रबोधन इकाई परियोजना के 40 प्रतिशत रैन्डम चयनित वन मण्डलों के कार्यों का प्रति वर्ष भौतिक सत्यापन करेंगे। वन मण्डलों के कार्यों के भौतिक सत्यापन में रैन्डम विधि द्वारा चयनित एक कार्यस्थल का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन तथा पांच रैन्डम चयनित कार्यस्थलों के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर उपखण्डों का शत प्रतिशत सत्यापन भी आयोजना एवं प्रबोधन इकाई द्वारा किया जावेंगा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर पर मूल्यांकन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक के मुख्यालय के अधीन आयोजना एवं प्रबोधन इकाई 20 प्रतिशत रैन्डम चयनित वन मण्डलों के कार्यों का भौतिक सत्यापन करेगी।

वन मण्डलों के कार्यों के भौतिक सत्यापन के चयनित वन मण्डल के कम से कम एक कार्य का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन तथा चयनित वन मण्डल के प्रत्येक रेंज का रैण्डम पद्धति से चुने गए एक कार्य के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर उपखण्डों का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन भी आयोजना एवं प्रबोधन इकाई द्वारा किया जावेगा। इसके अतिरिक्त चयनित वन मण्डल के कम से कम एक पुराने कार्य का मूल्यांकन भी उक्त इकाई द्वारा रैन्डम पद्धति से चुना जाकर निम्नानुसार किया जावेगा :–

एक/दो वर्ष पुराना वृक्षारोपण – 5 प्रतिशत कार्यों का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन

तीन/चार वर्ष पुराना वृक्षारोपण – 2.5 प्रतिशत कार्यों का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन

पांच वर्ष या अधिक पुराना वृक्षारोपण – 1 प्रतिशत कार्य का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन

बाह्म मूल्यांकन–

प्रदेश में रैन्डम पद्धति द्वारा चयनित 10 प्रतिशत वन मण्डलों का मूल्यांकन बाह्म मूल्यांकन संस्थाओं द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक के मुख्यालय के अधीन आयोजना एवं प्रबोधन इकाई हेतु उपरोक्त वर्णित मूल्यांकन पद्धति अनुसार स्वतंत्र रूप से समग्रिक मूल्यांकन किया जाना अनिवार्य होगा। यह मूल्यांकन परियोजना काल के तृतीय वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् प्रारम्भ किया जावेगा।

परियोजना मुख्यालय एवं बाह्म मूल्यांकन इकाईयों के द्वारा मूल्यांकन किए जाने वाले कार्यस्थल जहां तक संभव हो अलग हो, इसका ध्यान रखा जावें ताकि अधिक से अधिक क्षेत्र पर प्रभावी मूल्यांकन हो सके।

उपरोक्त मूलभूत सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य वन संरक्षकगण इस प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने हेतु अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में प्रभावी निर्देश जारी करें।

हस्ताक्षर/–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

राज. जयपुर

प्रपत्र–I (वृक्षारोपण कार्ड)

प्रकार वृक्षारोपण.....

संबंधितनम्बर .....

I मुखपृष्ठ

नाम वन मण्डल : पंचायत समिति :

नाम रेंज : क्षेत्रफल :

कार्यस्थलः वर्ष :

विभाजित उपखण्डों की संख्याः

जॉब नम्बर :

वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति ग्रामः

लाभावित्त ग्राम :

सदस्यों की संख्याः

II बाड़बन्दी (रनिंग मीटर में)

क.	पत्थर की दीवार	साईज	मात्रा
ख.	खाई फैन्सिंग		
ग.	डोला फैन्सिंग		
घ.	कांटेदार तार की बाड़		
ड.	पुरानी बाड़ की मरम्मत		
योग			

III भू–संरक्षण/वृक्षारोपण कार्य (प्लॉटवार)

क्र.सं. कार्य इकाई प्लॉटवार 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,

1.	ट्रेंचेज	
	क. कन्टीन्युअस	र.मी.
	ख. स्टेगर्ड	र.मी.
2.	कन्टूर डाइक्स	र.मी.
3.	वी–डिचेज	र.मी.
4.	फरोज	र.मी.
5.	चैकडैम	र.मी.
	क. पत्थ्र के संख्या	नग
	ख. मिट्टी के संख्या	नग
	मात्रा	घ.मी.
6.	खड्डे	नग
	रोपित पौधों की संख्या	नग

IV	**अन्य कार्य**	**दिनांक**	**V वर्षवार व्यय**
क.	केटल गार्ड हट निर्माण	आरम्भ सम्पन	राशि 0 वर्ष वृक्षा, संधारण वर्ष
ख.	निराई–गुडाई		लाखों में वर्ष 1, 2, 3, 4, 5
ग.	थिनिंग प्रुनिंग ऑपरेशन		
घ.	प्राकृतिक पौधों के धांवला बनवाई		
ड.	निरीक्षण पथ निर्माण		स्वीकृत राशि
च.			
छ.			
ज.			वास्तविक
झ.			व्यय

प्रपत्र VI परियोजना अवधि में कार्य से लाभ

वर्ष	सृजित मानव	घास	मूंज	बीज	.....	कुल राशि

	दिवस										
		मात्रा	राशि	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि		
योग											

प्रपत्र VII स्केच मैप (प्लॉट विवरण सहित)

प्रपत्र II (दैनिक कार्य पंजिका)

नाम वन मण्डल :–

नाम कार्यस्थल :–

नाम रेंज :–

क्षेत्रफल :–

कार्य सम्पादन की पद्धतिः– ठेका/पीसरेट/मस्ट्रोल

दिनांक	उपखण्डवार किए गए कार्य का विवरण एवं मात्रा	नाम ठेकेदार/मेट	कार्य प्रभारी द्वारा शत–प्रतिशत सत्यापन संबंधित टिप्पणी

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज. वन भवन, जयपुर

परिपत्र क्रमांक–एफ 6 (1) स.मू./97/1150 दिनांक 28.04.1998

समवर्ती मूल्यांकन के अन्तर्गत राज्य में विभिन्न वन मण्डलों द्वारा करवाये गये वानिकी विकास कार्यों का शत–प्रतिशत मूल्यांकन मुख्यालय की प्रबोधन एवं मूल्यांकन इकाई द्वारा किया जा रहा है फील्ड में मूल्यांकन के दौरान वृक्षारोपणों के विकास, संधारण एवं सुरक्षा के संबंध में विभिन्न पहलुओं पर गहन रूप से परीक्षण किया गया और उनका उल्लेख संबंधित मूल्यांकन प्रतिवेदन में किया गया है वृक्षारोपणों के विकास एवं संधारण के संबंध में पूर्व में भी कई बार दिशा–निर्देश प्रसारित किये जा चुके है। परन्तु समवर्ती मूल्यांकन के समय वृक्षारोपणों की स्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि प्रसारित दिशा–निर्देशों का कडाई से पालन नहीं किया जाता है मुख्यतः वृक्षारोपणों में समवर्ती मूल्यांकन के दौरान जो कमियां पाई जाती है, उनमें से कुछ इस प्रकार हैः– जैसे वृक्षारोपण क्षेत्र का सर्वे सही ढंग से नहीं किया जाना, फैन्सिंग पूरी एवं प्रभावी नहीं होना, वृक्षारोपण से संबंधित रिकॉर्ड का सही ढंग से संधारण नहीं किया जाना, वृक्षारोपणों के रिकॉर्ड के अनुसार मौके पर निशादेही नहीं होना, अग्रिम मृदा कार्यों में विभिन्न कार्य आईटमों का सही नाप व मात्रा में नहीं होना, कार्यस्थल के अनुसार मृदा कार्य एवं प्रजातियों का चयन नहीं करना, वृक्षारोपणों की मृदा एवं जल संरक्षण हेतु विभिन्न विधियों जैसे थांवला बनाने, ट्रैन्च, वी–डिच, चैक–डैम, कन्टूर डाइक्स आदि का सही ढंग से बनवाया जाना, निराई–गुडाई समय पर नहीं करवाना, माप पुस्तिका एवं मौके पर करवाये गये कार्य आइटमों में भिन्नता, वृक्षारोपणों की सुरक्षा प्रभावी होना एवं मवेशियों की चराई होना, वृक्षारोपणों का समय–समय पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण नहीं करना आदि।

उपरोक्त स्थित को देखते हुए वृक्षारोपणों को सफल बनाने एवं कराये गये विभिन्न कार्य आइटमों की गुणवता एवं मात्रा सही ढंग से करवाने हेतु निम्न प्रकार दिशा–निर्देश पुनः प्रसारित किये जाते है :–

1. विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वृक्षारोपण स्थलों का चयन करने से पूर्व मौके की स्थिति को देखते हुए उचित प्रकार से मृदा कार्य कराया जाव व रोपित किये जाने हेतु उचित प्रजाति के पौधों का चयन किया जावे व तदनुसार ही क्षेत्र का ट्रीटमेंट प्लान व एस्टीमेट बनाया जावे। यदि इस ट्रीटमेंट प्लान व कार्य मॉडल में कोई विशेष अन्तर हो तो एस्टीमेट के तकनीकी नोट में इसका उल्लेख किया जावे व सक्षम अधिकारियों से इसकी स्वीकृति ली जावें।
2. चयनित वृक्षारोपण स्थल का सर्वे सही ढंग से मौके की स्थिति अनुसार किया जावे और उसी नक्शे के अनुसार ट्रीटमेंट मैप, सोइल मैप आदि तैयार किया जावें।
3. वृक्षारोपण करते समय 50 हैक्टेयर इकाई का क्षेत्र मौके पर सही ढंग से निशानदेही किया जाकर रखा जाये ताकि क्षेत्र में कराये गये कार्यों का सत्यापन संधारित रिकॉर्ड के अनुसार किया जा सके।

यदि मौके की स्थिति को देखते हुए 100 हैक्टेयर क्षेत्र को एक साथ फैन्सिंग के लिए लिया जाता है तो उसका 50–50 हैक्टेयर के भाग मौके पर या तो ट्रेन्च खोदकर उस पर बीजों की बुवाई कर या पत्थरगढ़ी कर या लाइन ट्रैन्च आदि जैसा भी मौके की स्थिति को देखते हुए उपयुक्त हो, किया जाये।

4. वृक्षारोपण की सफलता पौधों की प्रजाति के चयन पर बहुत कुछ निर्भर करती है। नर्सरियों में पौधें तैयारी का कार्य समय पर एवं वृक्षारोपण स्थलों को देखते हुए सही प्रजातियों के बड़े साइज के स्वस्थ पौधे उपयुक्त मात्रा में तैयार किये जाए। वृक्षारोपण में बडे पौधे ही लगाये जाने चाहिए ताकि वृक्षारोपण निर्धारित समय में विकसित एवं सफल हो सके।
5. अग्रिम मृदा कार्य के अन्दर खड्डे खुदाई, वी–डिच, कन्टूर ट्रैन्च चैकडैम आदि का कार्य तकनीकी रूप से उच्च क्षेणी का करवाया जाये और उनकी मात्रा एवं नाप सही होनी चाहिए।
6. कार्यस्थलों पर करवाये गये विभिन्न आइटमों की माप पुस्तिका में दर्शाये गये विवरण से मेल होनी चाहिए ताकि मौके की स्थिति रिकॉर्ड में सही ढंग से प्रदर्शित हो सके। वृक्षारोपण से संबंधित रिकॉर्ड जैसे प्लान्टेशन जर्नल, ट्रीटमेंट मैप, सूक्ष्म नियोजन, सोइल मैप आदि सही ढंग से संधारित किया जाये और उसमें वृक्षारोपणों में कराये गये कार्यों का सही उल्लेख किया जाये, जिससे कि मौके पर कराये गये कार्यों की वस्तुस्थिति मालूम हो सके। क्षेत्र में अत्यधिक/कम वर्षा, गर्मी, सर्दी, पाला आदि और इससे वृक्षारोपण पर हुए प्रभाव का विस्तृत उल्लेख होना चाहिए।
7. वृक्षारोपणों के विकास एवं सुरक्षा में जनभागीदारी को बढ़ावा देने के लिए वन सुरक्षा समितियों के गठन एवं समय–समय पर की जाने वाली बैठकों के रिकॉर्ड को सही ढंग से संधारित किया जाकर निरीक्षण के दौरान मौके पर उपलब्ध कराया जाये। इसी प्रकार क्षेत्र से निकास की गई लघु वन उपज का भी पूर्ण रिकॉर्ड रखा जावें। जनभागीदारी को वन विकास एवं सुरक्षा में सही अंजाम देने हेतु सदस्यों को इन कार्यों के साथ शुरू से लगातार जोडा वृक्षारोपणों की सफलता हेतु उनकी समुचित सुरक्षा होना अत्यन्त आवश्यक है

वृक्षारोपणों की सुरक्षा की व्यवस्था प्रभावी ढंग से की जाये ताकि लगाये गये पौधे 4 से 5 वर्ष की अवधि में इतने बडे हो जाये कि उनका मवेशियों आदि द्वारा नुकसान नहीं किया जा सके।

वृक्षारोपणों में लगाये गये पौधों की समय–समय पर निराई–गुडाई करने से पौधे की बढ़ोतरी पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है इसलिए लगाये गये पौधों की निराई–गुडाई उचित समय की जानी चाहिए।

इसी तरह बीजों की बुवाई से जो पौधे अंकुरित होते है, उनमें भी गुडाई समय–समय पर किया जाना आवश्यक है ताकि इस तरह उगे पौधे भी अच्छी तरह पनप सके।

1. वृक्षारोपण स्थल का अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा समय–समय पर निरीक्षण आवश्यक रूप से किया जाये और वृक्षारोपण के विकास के संबंध में समय–समय पर आवश्यक कदम उठाये जायें।

2. वृक्षारोपणों में प्राकृतिक रूप से पनपे पौधे एवं लगाये गये पौधों में आवश्यकतानुसार तकनीकी ढंग से प्रूनिंग, सिंगलिंग (बीज बुवाई के पौधों में) आदि किया जाये ताकि पौधों की ग्रोथ अच्छी हो सके और पौधे कम समय में विकसित हो सके।

हस्ताक्षर/–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

राज. जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज. जयपुर

परिपत्र क्रमांक–एफ ( ) प्रमुवसं/स.मू./99/3505 दिनांक 29.09.1999

. इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक 316 दिनांक 26.09.1994 द्वारा राज्य में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत क्रियान्वित किये जा रहे वृक्षारोपण कार्यों के शत प्रतिशत मूल्यांकन के संबंध में दिशा–निर्देश प्रचलित किये गये थे। तत्पश्चात इय कार्यालय के परिपत्र क्रमांक 4039 दिनांक 19.11.1996 एवं 5331 दिनांक 22.08.1997 तथा 1150 दिनांक 28.04.1998 द्वारा इस संबंध में अग्रिम निर्देश जारी कर मूल्यांकन कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने तथा अब तक किये मूल्यांकनों से प्राप्त परिणामों के आधार पर वृक्षारोपण कार्य में सुधार करे जाने बाबत निर्देश प्रसारित किये गये। उक्त निर्देशों की अनुपालना में वर्तमान में इस कार्यालय के अधीन मुख्यालय पर कार्यरत राज्य स्तरीय आयोजना एवं प्रबोधन इकाई द्वारा वन संरक्षक, तेन्दू पत्ता एवं समवर्ती मूल्यांकन के निर्देशन में चयनित वन मण्डलों के चयनित वृक्षारोपणों के समवर्ती मूल्यांकन का कार्य किया जा रहा है

समवर्ती मूल्यांकन की वर्तमान प्रक्रिया में सर्वप्रथम समवर्ती मूल्यांकन करे जाने हेतु वन मण्डल का चयन रैन्डम पद्धति से इस कार्यालय द्वारा किया जाकर उस वन मण्डल में चालू वृक्षारोपण वर्ष एवं उससे पूर्व के वृक्षारोपण वर्ष में उस वन मण्डल में किये गये समस्त वृक्षारोपण स्थलों की सूची प्राप्त की जाती है उक्त दोनों वर्षों के एक–एक वृक्षारोपण का चयन रैन्डम प्रणाली से वन संरक्षक, समवर्ती मूल्यांकन स्तर पर किया जाता है उक्त वृक्षारोपण स्थल में माप पुस्तिका के अनुसार कराये गये समस्त वृक्षारोपण संबंधी कार्यों का शत–प्रतिशत भौतिक सत्यापन मौके पर किया जाता है समवर्ती मूल्यांकन हेतु चयनित वन मण्डल को इस आशय की सूचना मूल्यांकन कार्य प्रारम्भ करने के एक सप्ताह पूर्व ही दी जाती है यद्यपि गोपनीयता हेतु चयनित वृक्षारोपण के नाम की सूचना उन्है मूल्यांकन दल के पहुॅचने पर ही दी जाती है वृक्षारोपण के चयन के उपरान्त इस कार्यालय के मूल्यांकन दल द्वारा सर्वप्रथम वृक्षारोपण स्थल का घूम–फिर कर निरीक्षण किया जाता है एवं इस दौरान वृक्षारोपण स्थल के बारे में लिए गए प्रेक्षणों के आधार पर एक पंचनामा बनाया जाता है इसके पश्चात गणना/मापन दलों का गठन किया जाता है, जिसमें मूल्यांकन दल के सदस्यों के साथ–साथ स्थानीय कर्मचारियों एवं श्रमिकों को सम्मिलित किया जाता है इस प्रकार गठित दलों द्वारा वृक्षारोपण क्षेत्र में लगाये गये समस्त जीवित पौधों, मृत पौधों, खाली गड्ढों एवं स्टेगर्ड कंटूर ट्रैन्चों की गणना की जाकर सफेद पाउडर से चिन्हित किया जाकर गणना प्रपत्रों में इन्द्राज किया जाता है वृक्षारोपण क्षेत्र में खुदवाई गई लगातार कंटूर ट्रैन्चों–वीडिचों, कंटूर डाइकों एवं चैकडैमों की माप ली जाकर गणना प्रपत्र में दर्ज की जाकर अस्थाई नम्बर अंकित किया जाता है तथा सफेद पाउडर से चिन्हित भी किया जााता है वृक्षारोपण क्षेत्र का सर्वे मूल्यांकन दल के सर्वेयर द्वारा स्थानीय कर्मचारियों द्वारा इंगित की गई सीमाओं/बाड़ के सहारे–सहारे ही चैन एवं कम्पास पद्धति द्वारा किया जाता है सर्वे के साथ–साथ ही वृक्षारोपण के चारों ओर की गई प्रत्येक प्रकार की बाड़ की माप भी रनिंग मीटर की जाती है तथा प्रत्येक 100 मीटर के अन्तराल पर

बाड़ की अनुप्रस्थ काट की माप भी ली जाती है उपरोक्तानुसार मूल्यांकन कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात स्थानीय कर्मचारियों को साथ लेकर समस्त वृक्षारोपण क्षेत्र का एक बार पुनः निरीक्षण किया जाकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि वृक्षारोपण क्षेत्र में कराया गया काई भी मापन/गणना कार्य सफेद पाउडर से चिन्हित हुए बिना तो नहीं रह गया है, अर्थात् गणना/माप में सम्मिलित होने से छूट तो नहीं गया है उपरोक्तानुसार पुनर्निरीक्षण के उपरान्त एक बार पुनः कार्य समाप्ति/पूर्ण होने का पंचनामा बनाया जाता है तथा इन पंचनामें में यह भी अंकित कर दिया जाता है कि प्रत्येक कार्य के माप/गणना में कितने प्रपत्र प्रयोग में लिये गये है इस पंचनामें एवं प्रत्येक गणना प्रपत्र पर उपलब्ध स्थानीय कर्मचारियों के हस्ताक्षर करवा लिए जाते है ताकि भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न न हो। उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण का मूल्यांकन पूर्ण होने के पश्चात मूल्यांकन दल के मुख्यालय पर वापिस आने के उपरान्त ही संकलन कार्य किया जाकर मूल्यांकन प्रतिवेदन किया जाता है मूल्यांकन प्रतिवेदन की प्रति वृक्षारोपण से संबंधित वन मण्डल के उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी तथा उनके नियन्त्रण अधिकारियों यथा वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक को भेजी जाकर निर्देश दिये जाते है कि वृक्षारोपण में पायी गयी खामियों की पुनरावृति भविष्य में नहीं होने के लिए आवश्यक उपाय करें एवं वृक्षारोपण कार्य के संपादन में पायी गई गम्भीर कमियों के लिए जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करें।

उपरोक्तानुसार अपनायी जा रही मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से प्राप्त सुझावों एवं अनुभवों के आधार पर इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से पूर्व में प्रसारित दिशा–निर्देशों के क्रम में निम्नानुसार दिशा–निर्देश और प्रचलित किये जाते है

समवर्ती मूल्यांकन हेतु चयनित वन मण्डल एवं रेंज का नाम मूल्यांकन कार्य प्रारम्भ करे जाने की प्रस्तावित तिथि से, पूर्व की भांति, एक सप्ताह पूर्व संबंधित उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी को सूचित किया जाकर मूल्यांकन दल के आगमन की प्रस्तावित तिथियों से अवगत कराया जायेगा। गोपनीयता बरतने की दृष्टि से समवर्ती मूल्यांकन हेतु चयनित वृक्षारोपण स्थल का नाम मूल्यांकन दल के वन मण्डल मुख्यालय पर पहुॅचने के उपरान्त ही संबंधित उप वन संरक्षक/सहायक वन संरक्षक को अवगत कराया जायेगा। मूल्यांकन दल के मुख्यालय पर पहुॅचने एवं एवं मूल्यांकन करे जाने वाले वृक्षारोपण का नाम अवगत करा दिये जाने के उपरान्त इस वृक्षारोपण में किसी भी प्रकार का विकास कार्य मूल्यांकन अवधि के दौरान नहीं करवाया जावेगा। यदि पूर्व में ही कोई कार्य जारी है तो उसे भी मूल्यांकन अवधि के लिए स्थगित कर दिया जावें। संबंधित उप वन संरक्षक से यह अपेक्षित है कि मूल्यांकन दल के वन मण्डल मुख्यालय पर पहुॅचने की प्रस्तावित तिथि के दिन वे यथासंभव स्वयं मुख्यालय पर उपस्थित रहै तथा मूल्यांकन दल को वृक्षारोपण से संबंधित समस्त रिकॉर्ड माप पुस्तिका को छोडकर उपलब्ध करायें। यदि अपरिहार्य कारणों से उप वन संरक्षक स्वयं उपस्थित नहीं रह सके तो अपने सहायक वन संरक्षक को इस कार्य हेतु अवश्य ही पाबन्द करें।

उपरोक्तानुसार समवर्ती मूल्यांकन की सूचना दिये जाने वाले पत्र में ही यह भी अंकित कर दिया जावेगा कि वृक्षारोपण के मूल्यांकन हेतु कितने गणना दलों का गठन किया जावेगा। संबंधित उप वन

संरक्षक, वृक्षारोपण से संबंधित क्षेत्रीय स्तर के कर्मचारियों को मूल्यांकन के दौरान मूल्यांकन दल के साथ रहने हेतु पाबन्द करेंगे। यदि उप वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी उचित समझें तो मुल्यांकन दल हेतु गठित प्रत्येक गणना/मापन दल के साथ कार्य प्रभारी के अतिरिक्त आवश्यक संख्या के अतिरिक्त कर्मचारियों (जो उनकी वन मण्डल/रेंज में कार्यरत हों) की ड्यूटी भी अल्प समय के लिए इस प्रकार अतिरिक्त रूप से लगा दी जावें कि प्रत्येक गणना दल के साथ वन मण्डल का एक कर्मचारी गणना के समय लगातार साथ–साथ रहे, गणना कार्य से पूर्णतः संतुष्ट एवं सहमत होकर प्रतिदिन गणना के समय लगातार साथ–साथ रहे, गणना कार्य से पूर्णतः संतुष्ट एवं सहमत होकर प्रतिदिन गणना शीट पर सहमति के प्रतीक स्परूप अपने हस्ताक्षर करें। इस आधार पर ही वृक्षारोपण से संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी स्तर तक के कर्मचारियों के हस्ताक्षर भी प्रत्येक गणना प्रपत्र पर करवाये जावेंगे। यदि अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध नहीं कराये गये, तो कार्य प्रभारी ही गणना कार्य से संतुष्ट एवं सहमत होकर समस्त गणना शीटों पर अपने हस्ताक्षर करेंगे।

संबंधित उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी का भी यह दायित्व होगा कि वह स्वयं कम से कम एक बार मूल्यांकन कार्य कराये जा रहे वृक्षारोपण का मूल्यांकन के दौरान ही निरीक्षण कर ले एवं एक बार अपने सहायक वन संरक्षक से निरीक्षण करा लेवे ताकि यदि मूल्यांकन कार्य में कोई खामी पायी जावे तो उसका तत्काल ही सुधार करवा लिया जावें। इस संबंध में स्थानीय स्टाफ एवं मूल्यांकन दल के सदस्यों के मध्य किसी भी प्रकार का मतभेद होने की स्थिति में उप वन संरक्षक, आयोजना एवं प्रबोधन के साथ वार्ता कर निराकरण किया जावे अथवा वन संरक्षक, तेन्दू पत्ता एवं समवर्ती मूल्यांकन को सूचित किया जावें। मूल्यांकन कार्य पूर्ण होने के पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा पुनर्मूल्यांकन नहीं कराया जायेगा।

पूर्व में प्रचलित दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में ही पुनः व्यार्दिष्ट किया जाता है कि इस विभाग द्वारा समय–समय पर वृक्षारोपण से संबंधित रिकॉर्ड के संधारण के क्रम में जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक वृक्षारोपण से संबंधित निम्न रिकॉर्ड में से जितना भी संधारित किया गया हो, वह मूल्यांकन दल को उपलब्ध कराया जावें।

1. सर्वे मैप, सोइल मैप, ट्रीटमेंट मैप।
2. तकनीकी टिप्पणी अथवा ट्रीटमेंट मैप।
3. प्राक्कलन
4. प्लांटेशन जर्नल/प्लांटेशन कार्ड।
5. माइक्रोप्लान
6. माप पुस्तिका
7. वृक्षारोपण से प्राप्त लघु वन उपज के वितरण संबंधित अभिलेख।

मूल्यांकन दल संपादित भौतिक कार्य के शत–प्रतिशत मूल्यांकन के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं का भी वस्तुनिष्ठ आकलन (Objective Assessment) करेंगा :–

(क) वृक्षारोपण कार्य के संपादन एवं सुरक्षा में जन सहभागिता : इस संबंध में यह देखा जायेगा कि ग्राम स्तरीय वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति गठित की गई है अथवा नहीं तथा इससे संबंधित अभिलेखों जैसे समिति की समय–समय पर बुलाई गई बैठकों का विवरण, समिति का बैंक खाता, समिति द्वारा संपादित विकास कार्य, यदि कोई हो, के अभिलेख तथा समिति के माध्यम से वितरित की गई लघु वन उपज का अभिलेख आदि का अवलोकन किया जायेगा। साथ ही यह भी आकलन किया जायेगा कि इस संबंध में विभाग द्वारा समय–समय पर प्रचलित दिशा–निर्देशों की कहॉ तक पालना की गई है

(ख) वृक्षारोपण के अन्दर अथवा आस–पास वन भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति तथा वृक्षारोपण की बाहरी सीमा वन क्षेत्र की सीमा के साथ–साथ यथासंभव बनाये जाने के निर्णय की पालना की स्थिति।

(ग) वृक्षारोपण का नाम पट्ट (साइन बोर्ड) इस कार्यालय द्वारा प्रचलित दिशा–निर्देशों केअनुसार होना।

(घ) वृक्षारोपण क्षेत्र की स्थिति मय नजरी नक्शा।

(च) मृदा एवं धरातल की संरचना।

(छ) प्राकृतिक वनस्पति एवं उनका उपचार

(ज) वृक्षारोपण क्षेत्र में पूर्व में यदि कोई कार्य हुआ हो तो उसकी स्थिति का विवरण।

(झ) वृक्षारोपण में नये संपादित किये गये दृष्टिगोचर होने वाले कार्य।

(ट) पौधों के चारों ओर थांवले बनाये जाने एवं उसके डाले पर बीजारोपण की स्थिति।

(ठ) पौधों के चारों ओर यदि निराई–गुडाई/प्रुनिंग किए जाने के चिन्ह प्रकट होते हो तोउसका विवरण।

(ड) कंटूर, ट्रैन्चों, वीडिचों के डोले पर एवं डाइक तथा बाड़ के सहारे बीजारोपण एवं उससे उगे पौधों की स्थिति का विवरण।

(ढ) वृक्षारोपण क्षेत्र में नॉचेज बनाकर किया गया बीजारोपण अथवा कंटूर फरोज बनाकर घास के बीजारोपण की स्थिति।

(ण) कट बैक ऑपरेशन अथवा प्राकृतिक पौधों के सांवले बनाया जाना अथवा मूंजारोपण, आईपोमिया या रतनजोत कटिंग कार्यों की स्थिति।

वृक्षारोपण कार्यों के गुणात्मक आकलन हेतु निम्न तथ्यों का प्रेक्षण किया जावेगाः–

1. बाड़ की प्रभाविता।
2. प्रजातियों का चयन एवं उनकी बढ़त।
3. वृक्षारोपण क्षेत्र में कार्य की एकरूपता एवं अन्तराल।

4. कार्यस्थल का चयन।
5. कंटूर, ट्रैन्चों, वीडिचों कंटूर डाइक इत्यादि का ले–आउट एवं परस्पर अंतराल।
6. चैकडैमों की बनावट एवं परस्पर अंतराल तथा तकनीकी उपचार पूर्ण है अथवा नहीं।
7. वृक्षारोपण क्षेत्र में यदि कोई नुकसान हो तो उसके सम्भावित कारण एवं उन्है दूर करने के समयानुकूल उपाय।
8. क्षेत्र में विकास कार्य कराये जाने के फलस्वरूप प्राकृतिक रूप से उगी घास एवं वनस्पति के विकास की स्थिति।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक 4039 दिनांक 19.11.1996 द्वारा वृक्षारोपण क्षेत्र के उपखण्डों में विभाजित करने के आदेशों के साथ–साथ यह भी निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार बनाये गये उपखण्डों के नम्बर अंकित किये जावें तथा प्रत्येक उपखण्ड में कराये गये कार्य की मात्रा का विवरण प्लांटेशन कार्ड में दर्ज किया जावे। अतः मूल्यांकन कार्य के अन्तर्गत किया जाने वाला गणना का कार्य जैसे जीवित/मृत पौधों की गणना, समान साईज की स्टेगर्ड कंटूर ट्रैन्चों की गणना आदि कार्य भी उपखण्डवार किया जावेगा। पौध गणना में थांवले युक्त रोपित जीवित पौधों की प्रजातिवार गणना की जावेगी तथा थांवले युक्त खाली खड्डों को मृत पौधों मानकर गणना की जावेगी। थांवले रहित खाली खड्डों के संबंध में यह माना जावेगा कि वे पौधारोपण से छुट गये है तथा खाली खड्डे के रूप में गणना की जावे। बीजारोपण से उगे पौधों अथवा प्राकृतिक पौधों के चारों ओर बनाये गये थांवलों की गणना नहीं की जावेगी। क्षेत्र में कराये गये अन्य मापन योग्य कार्य जैसे कंटूर ट्रैन्च (लगातार), कंटूर डाइक, चैकडैम, बाड़ इत्यादि की माप पूर्ववत् समस्त वृक्षारोपण क्षेत्र को इकाई मानकर की जावेगी। किन्तु प्रत्येक कार्य पर अस्थायी नम्बर अंकित किया जावेगा। कंटूर ट्रैन्चों/वीडिचों की लम्बाई की ही माप रनिंग मीटर में की जावेंगी। अनुप्रस्थ काट की माप नहीं ली जावेगी। कंटूर डाइक की लम्बाई की माप के साथ–साथ प्रारम्भ एवं अंत के साथ–साथ प्रत्येक 25 मीटर के अन्तराल पर अनुप्रस्थ काट की माप भी ली जावेगी। चैक डेम की लम्बाई (नाले की चौडाई) की माप दो स्थानों पर (टॉप एवं बॉटम) ऊंचाई (नाले की गहराई) की माप तीन स्थानों (दोनो किनारों एवं मध्य में) तथा मोटाई की माप भी तीन स्थानों (दोनों किनारों एवं मध्य) में ली जावेगी। प्रत्येक प्रकार के बाड़ों की लम्बाई की माप रनिंग मीटर में ली जावेगी तथा प्रत्येक 100 मीटर के अन्तराल पर अनुप्रस्थ काट की माप ली जावेगी। यदि वृक्षारोपण क्षेत्र को उपखण्ड में विभाजित नहीं किया गया हो तो मूल्यांकन दल के सदस्य सुविधानुसार क्षेत्र को स्तर पर चूने पाउडर से उपखण्डों में विभाजित करेंगे। यदि वृक्षारोपण क्षेत्र को कार्य संपादन के समय उपखण्ड में विभाजित नहीं किया गया हो, किन्तु मूल्यांकन के समय तक उपखण्डों की सीमाएं मिट गई हो अथवा अस्पष्ट हो तो मूल्यांकन दल द्वारा उक्त सीमाओं को पुनः सफेद चूना पाउडर से चिन्हित करवाया जाकर गणना कार्य उपखण्डवार करवाया जावेगा। मूल्यांकन कार्य प्रगतिरत रहने अथवा समाप्त होने के पश्चात मूल्यांकन दल के प्रभारी द्वारा कम से कम रैन्डमली चयनित एक उपखण्ड की पुनः गणना करवायी जावेगी तथा मापन योग्य कार्यों की

भी स्वयं द्वारा पुनर्माप यथा योग्य उचित संख्या में ही की जावेगी। वृक्षारोपण से संबंधित क्षेत्रीय अथवा सहायक सन संरक्षक/उप वन संरक्षक भी मूल्यांकन के दौरान उपरोक्तानुसार किसी भी उपखण्ड में पुनः गणना/माप कार्य मूल्यांकन दल की उपस्थिति में कर सकते है उपरोक्तानुसार किये गये पुनर्गणना/पुनर्माप कार्य पर मूल्यांकन के गणनकर्ता एवं प्रभारी क्षेत्रीय के हस्ताक्षर बतौर सहमति करवाये जावें।

मूल्यांकन कार्य पूर्ण हो जाने एवं कार्य समाप्ति का पंचनामा बन जाने के उपरान्त संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी के चाहे जाने पर वृक्षारोपण के मूल्यांकन में प्रयुक्त समस्त गणना/माप प्रपत्रों की फोटो प्रति मूल्यांकन दल के प्रभारी द्वारा वन मण्डल से संबंधित उप वन संरक्षक/सहायक वन संरक्षक को उपलब्ध करायी जावेगी।

मूल्यांकनदल के मुख्यालय पर लौटने के उपरान्त आंकडों का संकलन किया जाकर मूल्यांकन प्रतिवेदन बनाया जावेगा। जिसमें वृक्षारोपण से संबंधित समस्त तथ्यों का उपरोक्तानुसार रूप से समावेश होगा। पूर्णरूप से संकलित मूल्यांकन प्रतिवेदन उप वन संरक्षक, आयोजना एवं प्रबोधन द्वारा वन संरक्षक, तेन्दु पत्ता एवं समवर्ती मूल्यांकन/मुख्य वन संरक्षक (विकास) के माध्यम से निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत किया जाकर प्रति संबंधित उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी एवं उनके नियन्त्रण अधिकारियों वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक को प्रेषित की जायेगी जिनका यह दायित्व होगा कि मूल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शायी गई खामियों को दूर करने के प्रयास करें तथा गंभीर त्रुटियों के लिए जिम्मेदार कर्मचारी/अधिकारी को चिन्हित कर उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करें। इस संबंध में यह भी स्पष्ट निर्देश दिये जाते है कि यदि उक्त कार्यवाही के फलस्वरूप कोई प्रारम्भिक जांच संपादित की जाती है तो भी मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त पुनः गणना कार्य कदापि नहीं किया जावें वरन् समवर्ती मूल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाये गणना कार्य के आधार पर आवश्यक कार्यवाही कर प्रारम्भिक जांच प्रतिवेदन एवं अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव तैयार कराये जावें।

मूल्यांकन प्रतिवेदन के गत दो वर्षों का यह अनुभव रहा है कि मूल्यांकन कार्य में कमी पाये जाने वाले प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही जैसे दोषी कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करना इत्यादि, अपेक्षित तत्परता से नहीं की जाती है जिस कारण इस महत्वपूर्ण कार्य की उपयोगिता पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है एवं विभाग की संवेदनशील एवं साख पर भी आंच आ सकती है, अतः इस संबंध में यह निर्णय भी लिया गया है कि समवर्ती मूल्यांकन के गम्भीर प्रकरणों एवं अनियमितता बरतने वाले प्रकरण में प्रारम्भिक जांच अधिकारी इस कार्यालय स्तर से ही नियुक्त कर दिया जावेगा जो अधिकतम तीन सप्ताह में प्रारम्भिक जांच संपादित कर दोषी लोक सेवकों का उत्तरदायित्व निर्धारण कर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव तैयार कर अपनी रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित करें। इसमें शिथिलता बरतने को गंभीर दृष्टि से देखा जावेगा।

प्रगतिरत कार्यों का समवर्ती मूल्यांकन एवं भौतिक सत्यापन विभाग में वृहद् स्तर पर कराये जा रहे विकास कार्यों की निर्धारित मात्रा एवं गुणवत्ता बनाये रखने के लिए आवश्यक है अतः उपरोक्त दिशा–निर्देशों की पूर्णतया पालना सभी संबंधितों के द्वारा सुनिश्चित की जावें।

हस्ताक्षर/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राज. जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज. जयपुर

परिपत्र क्रमांक– एफ 6 ( ) स.मू./2001वसं/तेपयो/1664 दिनांक 02.07.2001

इस कार्यालय के परिपत्र संख्या एफ ( ) प्रमुवसं/स.मू./99/3505 दिनांक 29.09.1999 द्वारा विभिन्न वानिकी कार्यों के समवर्ती मूल्यांकन/भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है इस प्रक्रिया के तहत कार्यस्थल पर सम्पादित समस्त कार्यों, जैसे विभिन्न प्रकार की बाड़, खड्डे, खुदाई, पौधारोपण, कंटूर ट्रैन्च, तीडिच, कंटूर डाइक्स, पत्थर एवं मिट्टी के चैकडैम एवं मिट्टी की अन्य संरचनाओं (डोला व पेरिफेरल बन्ड्स आदि) का भी शत प्रतिशत मापन/भौतिक सत्यापन किया जाता है अधीनस्थ वन अधिकारियों द्वारा बार–बार यह मुद्दा उठाया जाता है कि कार्यस्थलों पर बनाई गयी मृदा की संरचनाओं जैसे मृदा के चैकडैम, डोला एवं पेरिफेरल बन्ड्स (मेड़बन्दी) के आयतन में इनके निर्माण के कुछ समय पर्यन्त (विशेषकर एक वर्षा ऋतु के बाद), वर्षा/हवा/आंधी आदि प्राकृतिक कारणों से कमी होना स्वाभाविक है

इस कार्यालय के अधीन प्रबोधन एवं आयोजना इकाई सहित किसी भी मूल्यांकन दल द्वारा मृदा संरचनाओं का मापन, सामान्यतः मृदा संरचनाओं के निर्माण के कम से कम एक वर्षा ऋतु पर्यन्त ही किया जाना संभव हो पाता है कभी–कभी एक दो वर्ष पश्चात भी मृदा संरचनाओं का मापन किया जाता है उकत अन्तराल के पश्चात मृदा संरचनाओं के मापन किए जाने पर आलोच्य प्राकृतिक कारणों से इनके आयतन में कमी पायी जाना स्वाभाविक है और इस प्रकृतिजन्य कमी के प्रति किसी भी लोक सेवक को उत्तरदायी ठहराना न्यायसंगत नहीं है

चूंकि उक्त संरचनायें, मिट्टी के कच्चे काम होते है और इनमें वर्षा के पश्चात मिट्टी का भराव/कटान हो जाने से इनके आयतन में कमी आना स्वाभाविक है, अतः विचारोपरान्त, इस कार्यालय के परिपत्र दिनांक 29.09.1999 के क्रम में एतद् निर्दिष्ट किया जाता है कि उकत मृदा की संरचनाओं का भौतिक सत्यापन, कार्य संपादन के तुरन्त बाद, विशेषतः वर्षा से पहले ही, संबंधित वन संरक्षक, अपने तकनीकी सहायक के नेतृत्व में एक टीम गठित कर इन मृदा संरचनाओं संबंधी कार्यों का शत प्रतिशत सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित करें।

समवर्ती मूल्यांकन दल द्वारा क्षेत्र में मृदा के चैकडैम, डोला व पेरिफेरल (मेड़बन्दी) की मापन न कर, वत्त स्तरीय सत्यापन के सारांश, अपने प्रतिवेदन में समाविष्ट कर, इनकी वर्तमान स्थिति, उपयोगिता एवं प्रभाविता के संबंध में टिप्पणी दी जावेगी। समवर्ती मूल्यांकन दल द्वारा उक्त मृदा संरचनाओं के अतिरिक्त, क्षेत्र में हुए अन्य समस्त कार्यों का पूर्ववत् शत–प्रतिशत गणना/मापन सत्यापन किया जाता रहेगा।

हस्ताक्षर/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राज. जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज. जयपुर

परिपत्र क्रमांक– एफ 7 (24) 02–03/विभा.वृक्षा.का./प्रमुवसं/10401 दिनांक 31.03.2004

इस कार्यालय के आदेश संख्या एफ ( ) 2002/ते.प./स.मू./2290/ दिनांक 18.11. 2002 द्वारा गठित समिति की अभिशंषा अनुसार, विभिन्न वानिकी विकास कार्यों के मूल्यांकन की अवधि एवं मूल्यांकन के परिणाम के स्थानीय प्राकृतिक, जैविक, तकनीकी तथा प्रबन्धकीय प्रभावी कारकों के परिवेश में विश्लेषणोपरान्त विकास कार्यों की गुणवत्ता के निर्धारण के संबंध में, अब से पूर्व में जारी इस कार्यालय के पत्र संख्या 348–79 दिनांक 08.02.1980 पत्रांक एफ 22 (2) 86 विकास/मुवसंज/6848–6966 दिनांक 25.04.1985 एवं पत्र क्रमांक एफ 7 (3) आ.प्र./व.सं/परि.मू.सू. /90–91/2688–749 दिनांक 26.11.1990 द्वारा प्रसारित दिशा–निर्देशों को अधिलंघित करते हुए एतद् द्वारा निम्नांकित दिशा–निर्देश प्रसारित किये जाते हैः–

1. पौधारोपण के पश्चातवर्ती तीन वर्षो (अर्थात प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय संधारण वर्ष) में जीवितता प्रतिशत विस्तृत गणना द्वारा ज्ञात की जावेगी।
2. प्रत्येक कार्य प्रभारी (वन रक्षक/सहायक वनपाल) एवं वनपाल द्वारा सम्मिलित रूप से वृक्षारोपण के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय संधारण वर्ष के माह अप्रैल में पौधा की उपखण्डवार शत प्रतिशत गणना कर, जीवितता प्रतिशत का आंकलन किया जावेगा। वृक्षारोपणवार गणना कार्य पूर्ण होते ही गणना प्रतिवेदन संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी को समय–समय पर प्रस्तुत करते रहैगे एवं प्रतिवेदन की एक प्रति मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक को प्रस्तुत की जावेगी। कार्य प्रभारी अपने अधीन समस्त संबंधित वृक्षारोपण क्षेत्रों की गणना अप्रैल में ही पूर्ण करेंगे।
3. कार्य प्रभारी एवं वनपाल से गणना प्रतिवेदन प्राप्ति के साथ ही (प्रत्येक गणना वर्ष के माह अप्रैल–मई में) संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय संधारण वर्षों की, प्रत्येक कार्यस्थल की गणना के क्रमशः 50, 20 एवं 10 प्रतिशत क्षेत्र में जांच करेंगे। गणना करने हेतु वृक्षारोपण क्षेत्र को उपखण्डों में विभाजित कर रैन्डम पद्धति से 50, 20 एवं 10 प्रतिशत क्षेत्र के बराबर उपखण्डों का चयन करेंगे। उपखण्डों का चयन करते समय क्षेत्र के ढलान व उपजाऊ क्षमता आदि का ध्यान रखते हुए सभी प्रकार के क्षेत्रों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व हो जाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उपखण्डों का चुनाव पौधारोपण के घनत्व के अनुरूप करेंगे यानी, जिस भाग में अधिक पौधे रोपित किये गये हो उनमें अधिक उपखण्ड चयनित किये जावें एवं जिन भागों में कम पौधे रोपित किये हो उन क्षेत्रों में लगभग उसी अनुपात में कम उपखण्ड चयनित किये जावें। कार्यस्थलों की जांच के एक सप्ताह में गणना रिपोर्ट क्रमवार समय–समय पर वन मण्डल

कार्यालय में इस प्रकार प्रस्तुत की जाती रहेगी कि क्षेत्र स्तरीय समस्त प्रतिवेदन माह मई के अंत तक मण्डल कार्यालय को प्रेषित कर दी जावें।

4. क्षेत्रीय वन अधिकारी अपने प्रतिवेदन में, जीवितता प्रतिशत को प्रभावित करने वाले मुख्य स्थानीय कारकों (Locality Factors) प्राकृतिक, जैविक आदि कारणों (यदि कोई हो) और वनस्पति संवर्धन, केज्यूअल्टी –रिप्लेसमेंट/बीजारोपण/प्रूनिंग आदि सुधार कार्यों, यदि आवश्यक हो तो, उनका उल्लेख करेंगे। इस प्रकार के आवश्यक कार्यों का सम्पादन वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति को प्रेरित कर उनके सहयोग से, कार्य प्रभारित कर्मियों के माध्यम से एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का उपयोग कर, करवाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

5. वन मण्डल कार्यालय में आलोच्य गणना का संलग्न प्रपत्राधीन (रजिस्टर/कम्प्यूटर में) वृक्षारोपणवार अभिलेख रखा जावेगा।

6. क्षेत्रीय वन अधिकारी, प्रत्येक विकास/वृक्षारोपण कार्य के लिए प्लान्टेशन जर्नल संधारित करना सुनिश्चित करेंगे। प्लान्टेशन जर्नल में भी क्षेत्रीय द्वारा उक्त गणना आधारित जीवितता प्रतिशत का लेखा जोखा एवं संबंधित विकास/वृक्षारोपण स्थल पर सम्पादित कार्यों को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक (जैसे अनावृष्टि/अतिवृष्टि, पाला, चक्रवात, ओलावृष्टि) एवं जैविक (जैसे चूहे, खरगोश, दीमक, सेही, रोजड़ा एवं बन्दर आदि के प्रकोप) आदि कारणों की अपरिहार्य क्षति से संबंधित सम्पुष्ट प्रमुख कारकों का आधार युक्त विस्तृत उल्लेख भी किया जावेगा।

7. रोपण उपरान्त प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय संधारण वर्ष की गणनर से यदि, रोपित पौधों की जीवितता जब कभी भी 40 प्रतिशत से कम हो तो, सहायक वन संरक्षक/उप वन संरक्षक द्वारा यथाशीघ्र निरीक्षण कर तथ्यान्वेषणोपरान्त, उच्चाधिकारियों को अगले 30 दिन में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेंगा। यदि, अपेक्षित से ज्यादा पौधे मर जाने का कारण मानवीय गलती रहा होना प्रकट हो तो संबंधित लोक सेवकों के विरूद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही करने की जिम्मेदारी उप वन संरक्षक की होगी। परन्तु जिम्मेदारी अधिरोपित करने से पूर्व ऐसे वृक्षारोपण क्षेत्र की शत प्रतिशत गणना कर लेना उचित होगा।

8. रोपण के पश्चातवर्ती चौथे वर्ष एवं उसके उपरान्त क्षेत्र में विकास हेतु किये गये कार्यों की गुणवता का निर्धारण, क्षेत्र में प्रभावी रहे प्राकृतिक, जैविक आदि कारकों के मद्देनजर, क्षेत्र में सम्पादित प्रत्येक गतिविधि, यथा बाड़बन्दी, वृक्षारोपण, बीजारोपण, विकृत प्राकृतिक वनस्पति में की गई वनवर्धन क्रियाएं (जैसे कटबैक, सिंगलिंग, प्रूनिंग आदि) तथा भू एवं जल संरक्षण आदि के एकीकृत प्रभाव के फलस्वरूप क्षेत्र में हुए वानस्पतिक विकास के आधार पर किया जावें।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगे।

संलग्न :– प्रपत्र

हस्ताक्षर/–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

राज. जयपुर

गणना परिणाम व कार्यवाही विवरण

नाम रेंज .....नाम वृक्षारोपण .....वृक्षारोपण वर्ष .....

क्षेत्रफल ..... योजना..... रोपित पौधों कीं संख्या .....

गणना कार्य का वर्ष	गणना की अवधि	कार्य प्रभारी या वनपाल द्वारा पाया गया जीवितता प्रतिशत	क्षेत्रीय द्वारा पाया गया जीवितता प्रतिशत	जीवितता को प्रभावित करने वाले कारक/क्षति का विवरण जिनकी सम्पुष्टि अभिलेख आधारित हो	सुधार हेतु की गई कार्यवाही
प्रथम वर्ष संधारण					
द्वितीय वर्ष संधारण					
तृतीय वर्ष संधारण					

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज. जयपुर

परिपत्र क्रमांक– एफ ( ) 2008/स.मू./प्रमुवसं/879 दिनांक 19.07.2008

वन विभाग के क्षेत्र के अन्तर्गत वृक्षारोपण स्थलों के कार्यों के सतत् मूल्यांकन किये जाने हेतु 5 मूल्यांकन दलों का गठन किया हुआ है उक्त मूल्यांकन दलों हेतु पूर्व में प्रसारित दिशा–निर्देशों के अतिरिक्त निम्नांकित नवीन दिशा–निर्देश प्रसारित किये जा रहे है मूल्यांकन दलों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इन दिशा–निर्देशों की कठोरता से पालना करेंगे :–

1. मूल्यांकन दलों को प्रस्तावित क्षेत्र के मूल्यांकन की रिपोर्ट कार्य समाप्ति के 15 दिवस में अन्दर–अन्दर वन संरक्षक, डी.ओ.सी. एण्ड सी.ई. राजस्थान जयपुर को आवश्यक रूप से देनी होगी।
2. मूल्यांकन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में कुल 20 प्रतिशत प्लान्टेशन का चयन किया जायेगा जिनमें से 10 प्रतिशत प्लान्टेशन साइट्स का शत प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत का सैम्पल पद्धति से मूल्यांकन किया जायेगा।
3. मूल्यांकन दलों को गणना किये जाने वाले वृक्षों के प्रजातिवार तथा वैज्ञानिक नाम स्पष्ट रूप से अंकित करने होगें। इसके साथ ही यह उल्लेख भी करना होगा कि वृक्षारोपण क्षेत्र में उक्त प्रजाति के पौधे उपयुक्त भी है अथवा नहीं ?
4. मूल्यांकन दल को साझा वन प्रबन्ध के बारे में विस्तार से जानकारी देनी होगी। इसी प्रकार से वृक्षारोपण स्थल का कटबैक ऑपरेशन तथा वहॉ प्रूनिंग की गई है अथवा नहीं, के संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत कराना होगा।
5. मूल्यांकन दल को मूल्यांकन स्थल के अन्दर तथा बाहर के फोटोग्राफ प्रतिवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
6. संबंधित वन मण्डल द्वारा रिकॉर्ड मूल्यांकन दल को उपलब्ध नहीं कराया है तो उसे प्रतिवेदन में अंकित किया जावे, जैसे माप पुस्तिका, प्लान्टेशन जर्नल, माइक्रोप्लान, प्राक्कलन, ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति का रिकॉर्ड इत्यादि।
7. मूल्यांकन दल को स्थानीय कार्य प्रभारी को साथ में लेकर कार्य करना होगा तथ उन्है फील्ड बुक पर हस्ताक्षर लेने होगें।
8. मूल्यांकन दल को विद्यमान वन उपज की निकासी का ब्योरा आवश्यक रूप से प्रतिवेदन में देना होगा।
9. मूल्यांकन प्रतिवेदन में वृक्षारोपण स्थल का चयन मॉडल के अनुरूप है अथवा नहीं, के बारे में अवगत कराना होगा।

10. पौधों की जीवितता प्रतिशत के साथ में पौधों की औसत ऊँचाई भी अंकित किया जाना आवश्यक है

11. जिन वृक्षारोपण स्थलों में घास की बीज सोईंग की गई है, उसके परिणाम प्रतिवेदन में दर्शाये जाये।

12. इस कार्यालय द्वारा पूर्व में प्रसारित परिपत्र क्रमांक–एफ ( ) प्रमुवसं/स.मू./99/3505 दिनांक 29.09.1999 में आंशिक संशोधन करते हुए प्राक्कलन एवं माप पुस्तिका गणना होने के पश्चात मूल्यांकन दल को उपलब्ध करायेगें ना कि पहले मूल्यांकन दल गणना प्रपत्रों की फोटोप्रति संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी/उप वन संरक्षक को उपलब्ध करायेगे।

हस्ताक्षर/–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

राज. जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज. जयपुर

परिपत्र क्रमांक– एफ 21 (18) 2005–06/आयो/प्रमुवसं/4519 दिनांक 04.08.2008

विभाग द्वारा आबादी के आसपास के वन क्षेत्रों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने हेतु 12वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान का उपयोग कर पक्की दीवार निर्माण किया जा रहा है इसी प्रकार संवेदनशील वन क्षेत्र जहां पर अतिक्रमण की समस्या बनी रहती है, ऐसे क्षेत्रों को भी पूर्ण सुरक्षा देने के उद्देश्य से पक्की दीवार निर्माण कार्य विभिन्न वन मण्डलों में कराया जा रहा है 12वें वित्त आयोग के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी प्राप्त धनराशि का उपयोग करते हुए दीवार बनाई जाती है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत भी पक्की दीवार का कार्य कतिपय वन मण्डलों में कराया जाता है दीवार के अतिरिक्त वन सीमांकन हेतु मीनारें, भवन, एनिकट आदि का पक्का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है

परन्तु कुछ स्थानों से यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि सुरक्षा हेतु बनाई जा रही दीवार की गुणवता निम्न स्तर की है जिससे दीवार निर्माण का उद्देश्य ही विफल हो रहा है, जिसका कारण सीमेंट का घटिया स्तर का होना, मौके पर बिन छनी रेत का उपयोग करना, सीमेंट व रेत का सही मिश्रण नहीं होना, दीवार के चुनने के बाद तराई नहीं होना आदि कारण होते है।

अतः जहॉ भी किसी प्रकार का पक्का निर्माण का कार्य हो रहा है, इस कार्य की गुणवता समय–समय पर जांच कर प्रमाणीकरण होने की जिम्मेदारी संबंधित वन संरक्षक की होगी एवं वे भविष्य में क्वालिटी कन्ट्रोल का कार्य निभायेगें एवं आवश्यकता पड़ने पर स्थिति में संदिग्ध स्थानों में सार्वजनिक निर्माण विभाग अथवा स्थानीय इंजीनियरिंग कॉलेज से भी टेस्ट कर सुनिश्चित करेंगे कि विभाग द्वारा निर्माणाधीन पक्के कार्य की गुणवता उनके अधीनस्थ क्षेत्र में सही रूप से हो रही है

हस्ताक्षर/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राज. जयपुर

वर्ष 2014–15 के दौरान योजनावार किये गये मूल्यांकन कार्यो का विवरण

वर्ष 2014–15 में राज्य के विभिन्न संभागो में कुल 514 कार्यो का मूल्यांकन किया गया । उक्त मूल्यांकन हेतु राज्य में चल रही विभिन्न योजनाओ के अन्तर्गत कराये गये कार्यो का चयन रेण्डम पद्दति से चयन किया गया । इस वर्ष बडे पैमाने पर वृक्षारोपणो के अग्रिम मृदा कार्यो का मूल्यांकन भी किया गया। **नाबार्ड वित्त पोषित** योजनान्तर्गत 68 वृक्षारोपण, 96 अग्रिम कार्यों तथा 38 अन्य कार्य, **कैम्पा** योजनान्तर्गत 37 वृक्षारोपण 18 अग्रिम कार्योंतथा 8 अन्य कार्यों , **आर एफ बी पी–।।** योजनांतर्गत 36 वृक्षारोपण 46 अग्रिम कार्योंतथा 2 अन्य कार्य, **एस.एफ.डी.ए.**योजनान्तर्गत 11 वृक्षारोपण तथा 10 अग्रिम कार्यों, **सी.डी.पी.** योजनान्तर्गत 11 वृक्षारोपण कार्यों, तथा **अन्य** योजनाओं के अंतर्गत 59 वृक्षारोपण तथा 43 अग्रिम कार्यों एवं 31 अन्य कार्यों का मूल्यांकन किया गया जिसका विवरण सारणी के रूप में निम्नानुसार है :–

कार्य का प्रकार	नाबार्ड	कैम्पा	आर.एफ. बी.पी.।।	एस.एफ. डी.ए.	सी.डी. पी.	अन्य	कुल योग
वृक्षारोपण	68	35	36	11	11	59	220
अग्रिम कार्य	95	21	46	10	0	37	209
अन्य कार्य	38	8	2	0	0	37	85
कुल सँख्या	201	64	84	21	11	133	514

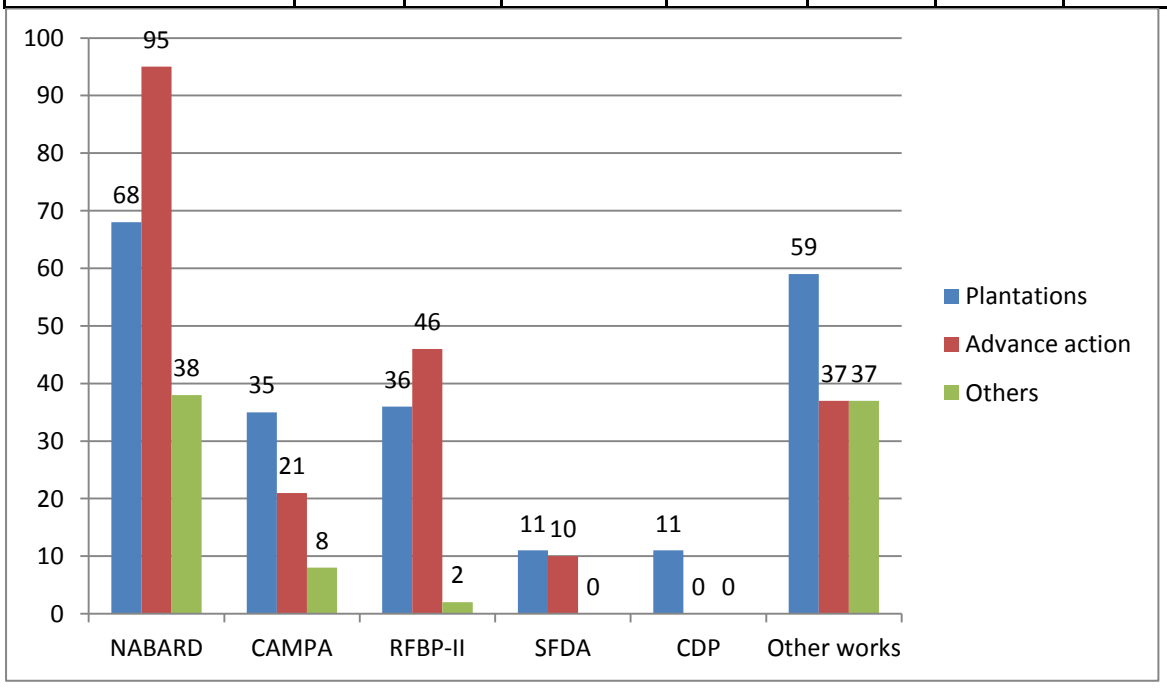

वर्ष 2014–15 के दौरान योजनावार किये गये मूल्यांकन

वित्तीय वर्ष 2014–15 में विभागीय कार्यो के मूल्यांकन की सम्भागवार स्थिति

क्रम सख्ँया	नाम संभाग	जीवितता प्रतिशत की साइटो की सख्ंया					अग्रिम कार्यो की साइटो की सख्ंया	अन्य (स्थायी नर्सरी, एनिकट, इकोरेस्टोरेशन वाल, बाउन्ड्री पिलर्स,वाच टावर्स आदि)	योग
		40 प्रतिशत से कम	40–60 प्रतिशत	60–80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	योग			
1	*2*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
7	अजमेर	0	8	11	21	40	28	3	71
6	बीकानेर	3	4	4	3	14	22	0	36
5	भरतपुर	0	7	17	7	31	25	36	92
1	जयपुर	2	4	9	19	34	24	0	58
4	जोधपुर	0	0	17	11	28	9	1	38
2	कोटा	2	6	11	1	20	24	35	79
3	उदयपुर	1	4	18	30	53	77	10	140
	योग राजस्थान	**8**	**33**	**87**	**92**	**220**	**209**	**85**	**514**

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत करवाये गये कुल 220 वृक्षारोपण कार्यो का मूल्यांकन किया गया जिसमें से 8 वृक्षारोपणों में 40 प्रतिशत से कम जीवितता प्रतिशत पाई गई, जबकि 33 वृक्षारोपणों में 40–60 प्रतिशत, 87 वृक्षारोपणों में 60–80 प्रतिशत तथा 92 वृक्षारोपणों में 80 से अधिक प्रतिशत जीवित पौधे पाये गये जो विभाग के लिए संतोष की बात है।

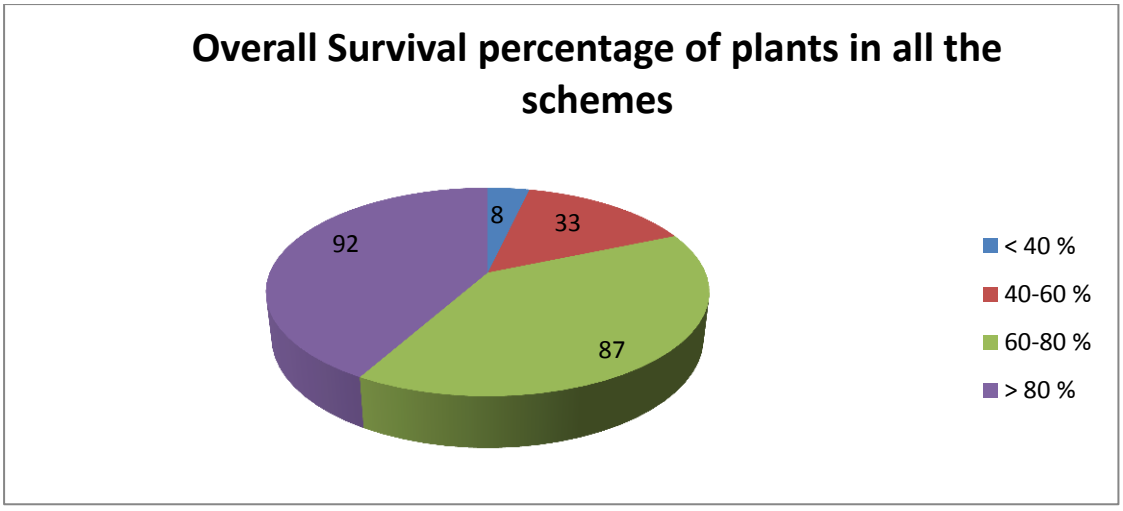

वर्ष 2014–15 के दौरान समस्त योजनाओ के वृक्षारोपणों के मूल्यांकन में पाई गई समग्र जीवितता प्रतिशत

केम्पा के अन्तर्गत कराये गये मूल्यांकन कार्यो का विवरण

राजस्थान स्टेट कैम्पा–

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो में उपयोग करने के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी स्वीकृति में यूजर ऐजेन्सी से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (सीए), नेट प्रजेन्ट वेल्यू (एनपीवी), अतिरिक्त दण्डात्मक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (एपीसीए) व दण्डात्मक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (पीसीए) हेतु राशि वसूल करने की शर्त भी अधिरोपित की जाती है। इस प्रकार प्राप्त राशि के प्रबन्धन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश 10 जुलाई 2009 से राज्यो में ''स्टेट कम्पेनसेटरी अफोरस्टेशन फण्ड मैनेजमेन्ट एवं प्लानिंग अथॉरिटी''(State CAMPA)के गठन के निर्देश दिये थे। उक्त आदेश की अनुपालना में राजस्थान सरकार ने अधिसूचना क्रमांक 279/12.11.2009 से राजस्थान स्टेट कम्पेनसेटरी अफोरस्टेशन फण्ड मैनेजमेन्ट एवं प्लानिंग अथॉरिटी (Rajasthan State CAMPA) का गठन किया।

स्टेट कैम्पा का उद्देश्य–

- स्टेट कैम्पा का गठन वन संरक्षण, सुरक्षा, पुर्नरूद्भवन व मौजूदा प्राकृतिक वनों का प्रबन्धन करना।
- वन्य जीवों व इनके आवास संरक्षित क्षेत्रों के अन्दर व बाहर का संरक्षण, सुरक्षा एव प्रबन्धन करना।
- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण करना।
- पर्यावरण संरक्षण करना।
- रिसर्च, प्रशिक्षण व कैपेसिटी बिल्डिंग करना।

स्टेट कैम्पा का गठन वर्ष 2009 में होने के उपरान्त ऐडहॉक कैम्पा से स्टेट कैम्पा में निम्नानुसार राशि प्राप्त तथा व्यय हुई ।

वित्तीय वर्ष	राशि लाखो में	ब्याज राशि लाखो में	किया गया व्यय
2009–10	3259.08	0.47	0
2010–11	4206.98	166.80	2581.73
2011–12	3189.13	581.15	3718.00
2012–13	3742.98	465.99	4612.45
2013–14	3450.00	490.51	3829.29
2014–15	7400.00	657.99	6542.93
योग	25248.17	2362.91	21284.4

स्टेट कैम्पा का गठन वर्ष 2009 में होने के उपरान्त ऐडहॉक कैम्पा से स्टेट कैम्पा के द्वारा निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्य करवाये गये है:–

वृक्षारोपण विवरण	वर्ष 2011–12 वृक्षारोपण है0	वर्ष 2012–13 वृक्षारोपण है0	वर्ष 2013–14 वृक्षारोपण है0	वर्ष 2014–15 वृक्षारोपण है0
गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (सीए–एनएफएल)	468	538.88	529.32	342.05
वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (सीए–डीएफएल)	1750	1000	993	1033.01
असिस्टेड नेचूरल रिजेनरेशन (एएनआर)	6175	4500	2300	1462
योग हैक्टेयर में	8393	6038.88	3822.32	2837.06

कैम्पा योजनान्तर्गत समस्त राज्य में वर्ष 2014–15 में कुल 64 कार्यस्थलों का मूल्यांकन किया गया। उक्त 64 कार्यस्थलों में से 35 वृक्षारोपण कार्य, 21 अग्रिम कार्य तथा 8 अन्य कार्यो का मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन में 13 कार्यस्थलो पर 40–60 प्रतिशत, 13 कार्यस्थलों पर 60–80 प्रतिशत, तथा 9 कार्यस्थलों पर 80 प्रतिशत से अधिक जीवित पौधें पाये है।

जीवितता प्रतिशत	40 प्रतिशत से कम	40–60 प्रतिशत	60–80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	कुल
वृक्षारोपणो की संख्या	0	13	13	9	35

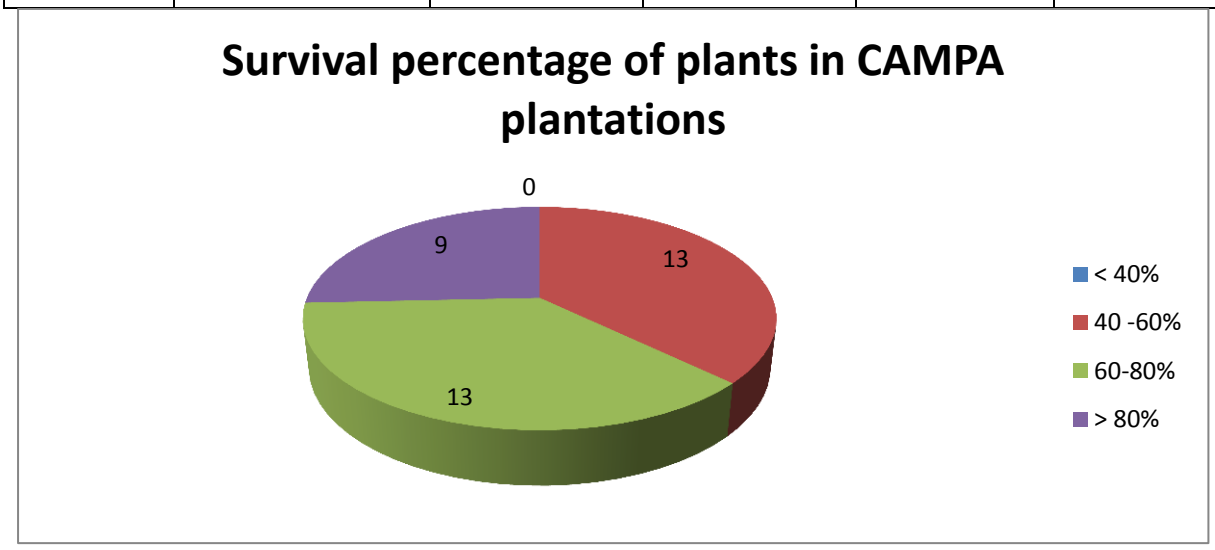

वर्ष 2014–15 कैम्पा कार्यों में मूल्यांकन के दौरान पाई गई जीवितता प्रतिशत की स्थिति

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज–2 अन्तर्गत कराये गये वृक्षारोपणो में मूल्यांकन वर्ष 2014–15 के दौरान जीवितता प्रतिशत

राज्य के दस मरूस्थलीय जिले (सीकर, झुंझुंनू, चूरू, जालौर, बाडमेर, जोधपुर, पाली, नागौर, जैसलमेर एवं बीकानेर) एवं पांच गैर मरूस्थलीय जिले (बांसवाडा, डूंगरपुर, भीलवाडा, सिरोही एवं जयपुर) तथा सात वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों (कुंभलगढ वन्य जीव अभयारण्य, फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य, जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य, सीतामाता वन्य जीव अभयारण्य, बस्सी वन्य जीव अभयारण्य, कैलादेवी वन्य जीव अभयारण्य, रावली टाडगढवन्य जीव अभयारण्य) के आसपास 2 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र में स्थित कुल 650 गांवों में वित्तीय वर्ष 2011–12 से जापान इन्टरनेशनल को–ऑपरेशन ऐजेन्सी (JICA) द्वारा वित्त पोषित राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का द्वितीय चरण प्रारम्भ किया गया है।

इस परियोजना अंतर्गत वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण तथा भू–जल संरक्षण कार्यों के अतिरिक्त गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका संवर्धन के कार्य भी किये जा रहे है । परियोजना में कार्य यथासम्भव ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति/पारिस्थितिकीय विकास समिति एवं स्वयं सहायता समूह का गठन कर सम्पादित किये जायेंगे । इस परियोजना की कुल लागत रूपये 1152.53 करोड है जिसमें से रूपये 884.77 करोड का ऋणJICA द्वारा वर्ष 2011–12 से 2018–19 तक आठ वर्ष की अवधि के लिये उपलब्ध कराया जावेगा । परियोजना की अवधि में कुल 83650 है0 में वृक्षारोपण कार्य करवाये जायेंगे । वर्ष 2013–14 में कुल 10930 है0 भूमि पर वृक्षारोपण किया गया तथा वर्ष 2014–15में कुल 22123 है0 भूमि पर वृक्षारोपण करवाया गया है।

उक्त योजनान्तर्गत करवाये गये कुल कार्यो में से वर्ष 2014–15 के दौरान 84 कार्यस्थलों का मूल्यांकन हेतु चयन किया गया। उक्त 84 कार्यस्थलों में 46 अग्रिम मृदा कार्य, 36 वृक्षारोपण कार्य एवं 2 कार्य इको रेस्टोरेशन के थे। 36 वृक्षारोपण कार्यो में से 2 कार्य 40 प्रतिशतजीवितता से कम, 3 कार्य 40 से 60 प्रतिशत जीवितता, 17 कार्य 60 से 80 प्रतिशत जीवितता तथा 14 कार्य 80 प्रतिशत जीवितता से अधिक के पाये गये।

जीवितता प्रतिशत	40 प्रतिशत से कम	40–60 प्रतिशत	60–80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	अन्य कार्य	अग्रिम कार्य	कुल
वृक्षारोपणो की संख्या	2	3	17	14	2	46	84

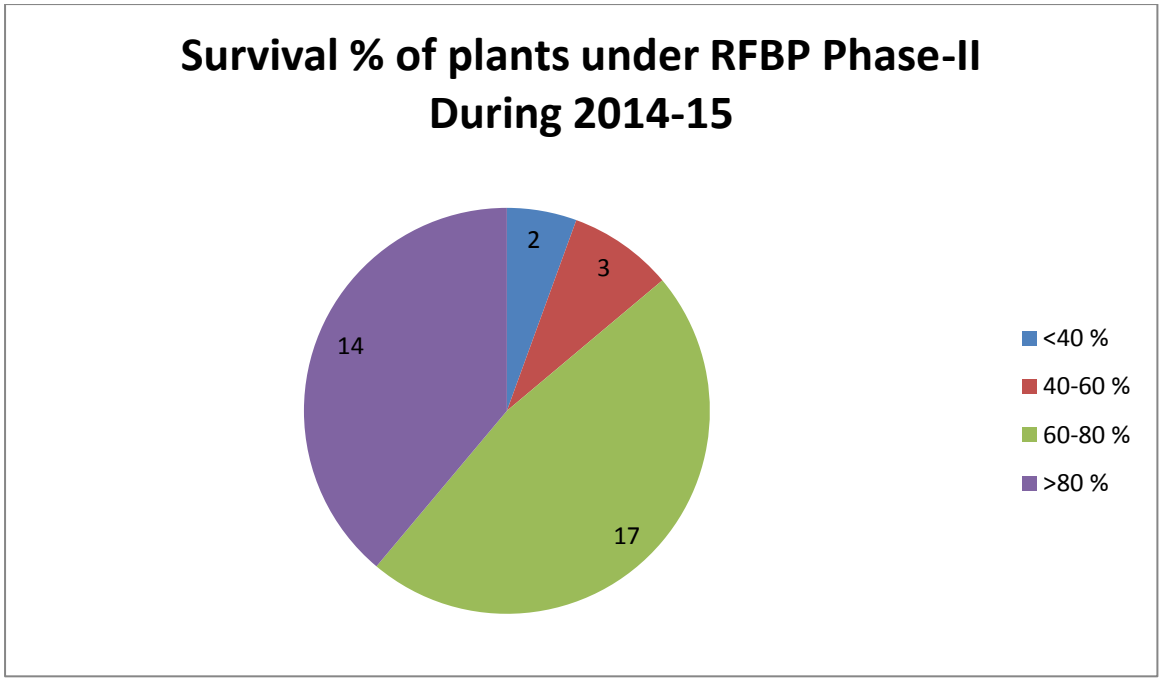
Survival % of plants under RFBP Phase-II
During 2014-15
2
3
17
14
<40 %
40-60 %
60-80 %
>80 %

नाबार्ड वित्त पोषित परियोजना

प्रदेश में जलग्रहण क्षेत्र के विकास द्वारा राजस्थान को हरा भरा बनाए जाने हेतु नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. ट्रांच 18 अंतर्गत वित्त पोषण से राज्य के 17 जिले (अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही एवं उदयपुर) में पंचवर्षीय परियोजनाअंतर्गत 52,750 है0 क्षेत्र में वृक्षारोपण, भू एवं जल संरक्षण तथा कृषि वानिकी कार्यों हेतु राशि रु. 336.65 करोड़ की प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त की जाकर वर्ष 2012–13 से कार्यों का सम्पादन किया जा रहा है। इस वर्ष में परियोजना अंतर्गत 52750 है0 क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य करा लिया गया है। परियोजना में वित्तीय वर्ष 2012–13 में राशि रु 7897.00 लाख, 2013–14 में राशि रु 13317.08 लाख,2013–14 में राशि रु 7897.00 लाख एवं 2014–15 में राशि रु 5154.31 लाख व्यय किये गये। परियोजना में वृक्षारोपण के अतिरिक्त जल संरक्षण कार्य, कृषि वानिकी के तहत पौध तैयारी एवं वितरण, वन सुरक्षा प्रबन्ध समितियों का गठन एवं सुदृढीकरण, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका संवर्द्धन कार्य आदि भी किये जा रहे है। परियोजना में समस्त कार्य स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से तैयार सूक्ष्म नियोजन के आधार पर कराए जा रहे है।

परियोजना के उद्देश्य

नाबार्ड वित्त पोषित RIDFXVIII परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं :–

- सघन वृक्षारोपण तथा जल एवं मृदा संरक्षण कार्यों के माध्यम से अरावली तथा विन्ध्याचल पर्वतमाला के पारिस्थितिकीय स्तर की पुनर्स्थापना।
- वन भूमि के पास स्थित वर्षा आधारित गैर वन भूमि में कृषि को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां संचालित करना ताकि स्थानीय लोगों की वनों पर निर्भरता कम हों तथा उन्हें आजीविका के अतिरिक्त साधन मिल सके।
- 'जीन पूल' का संरक्षण तथा क्षेत्र की जैव विविधता में अभिवृद्धि।
- राज्य में लघु वन उपज, ईंधन व चारे की उपलब्धता को बढ़ाना।
- ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार के साधन उपलब्ध करा उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार करना।
- साझा वन प्रबंध के माध्यम से वन सुरक्षा एवं विकास मे जन भागीदारी प्राप्त करना।
- राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 के अनुरूप राज्य के 20 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को वृक्षाच्छादित करने का प्रयास करना।
- जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों को कम करना तथा कार्बन सिंक व कार्बन पूल को बढ़ाना।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परिभ्रांषित वन भूमि तथा पंचायत एवं गोचर भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा जिसकी परिणति जलग्रहण क्षेत्र में जल संरक्षण से होगी

तथा आसपास निवास करने वाले लोगों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध हो सकेगा। इस हेतु परियोजना को 7 पैकेज में विभक्त किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

पैकेज–1 : वृक्षारोपण कार्य : इस पैकेज के तहत वन क्षेत्रों में वर्तमान वनस्पति घनत्व के आधार पर वृक्षारोपण का प्रावधान है। इस पैकेज के तहत निम्न चार मॉडल्स का प्रावधान किया गया है:

(i) परिभ्रांषित वनों का पुनरूत्पादन –I (Rehabilitation of Degraded Forests - I) : ऐसे परिभ्रांषित वन क्षेत्र जहां का वनस्पति घनत्व 0 से 10 प्रतिशत हो तथा जहां रूट स्टॉक बहुत कम हो वहां इस मॉडल के अनुसार कार्य किया जावेगा। ऐसे क्षेत्रों में 400 से 500 पौधे प्रति हैक्टेयर लगाए जावेंगे।

(ii) **परिभ्रांषित वनों का पुनरूत्पादन –II (RDF-II) :** ऐसे परिभ्रांषित वन क्षेत्र जहां का वनस्पति घनत्व 10 से 40 प्रतिशत हो तथा अच्छी मात्रा में रूट स्टॉक उपलब्ध हो वहाँ इस मॉडल के अनुसर कार्य किया जावेगा। ऐसे क्षेत्रों में 200 से 300 पौधे प्रति हैक्टेयर लगाए जावेंगे।

(iii) प्राकृतिक रिजनरेशन को बढ़ावा (Assisted Natural Regeneration) : ऐसे वन क्षेत्र जहां का वनस्पति घनत्व 40 प्रतिशत से अधिक है तथा पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक रूप से पौधे तथा रूट स्टॉक उपलब्ध हो तथा खाली स्थानों में 150–200 पौधे लगाए जाने की संभावना हो, में इस मॉडल के तहत कार्य किया जावेगा।

(iv) पंचायत भूमि वृक्षारोपण (Panchayat Land Plantation) : वन भूमि के अतिरिक्त ग्राम की रिक्त पड़ी गैर वन भूमि, चारागाह भूमि, पड़त भूमि पर वृक्षारोपण हेतु इस मॉडल के तहत 800 पौधे प्रति हैक्टेयर लगाए जाने का प्रावधान है। इस मॉडल के तहत भूमि की उपलब्धता अनुसार 10 से 20 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जा सकता है।

पैकेज–2 : कृषि वानिकी गतिविधियां : इस पैकेज के तहत कृषकों एवं आमजन में पौधे उपलब्ध कराने हेतु नर्सरी में पौधे तैयार करने तथा इस हेतु नई नर्सरी लगाने तथा स्थापित विभागीय नर्सरियों के विकास का प्रावधान रखा गया है।

पैकेज–3 : जल एवं मृदा संरक्षण संरचनाओं का निर्माण : इस पैकेज के तहत वन तथा गैर वन भूमियों में चेकडैम, गैबियन चेकडैम, रिसाव तालाब (Percolation Tank), जल संरक्षण संरचनाएं तथा एनिकट बनाने का प्रावधान है। इसके अलावा वनभूमि से लगते हुए 500 मीटर के दायरे में आने वाली कृषि भूमि में कन्टूर बंडिंग तथा फार्म पौण्ड बनाने का प्रावधान है जिससे कृषि भूमि की उत्पादकता बढ़ाई जा सकेगी।

पैकेज–4 : साझा वन प्रबन्ध : इस पैकेज के तहत परियोजना क्षेत्र में वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों के गठन, समितियों से संबंधी ग्रामों की सूक्ष्म योजना बनाने, सझा वन प्रबंध के सुदृढीकरण हेतु स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आय सृजन की अतिरिक्त गतिविधियां करने, प्रवेश बिन्दु गतिविधियों के तहत ग्राम की आवश्यकताओं के अनुरूप सामुदायिक कार्य करने तथा आम जन में वनों एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से अवेयरनेस कैम्पस आयोजित करने का प्रावधान है।

पैकेज–5 : दक्षता निर्माण (Capacity Building) : इस पैकेज के तहत परियोजना से संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों, स्वयंसेवी संस्थाओं आदि के प्रशिक्षण का प्रावधान है ताकि नवीनतम तकनीक की जानकारी देकर परियोजना के उद्देश्यों के अनुरूप सफल कार्य कराए जा सके।

पैकेज–6 : संचार एवं प्रसार (Communication & Extension) : इस पैकेज के तहत परियोजना से संबंधितअधिकारियों, कर्मचारियों, वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों, स्वयंसेवी संस्थाओं आदि के शैक्षणिक भ्रमण, सफल कार्य स्थलों के भ्रमण तथा इस हेतु कार्यशालाओं के आयोजन का प्रावधान है। इसके अलावा परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक उपकरण यथा जी.पी.एस., कैमरा, टी.वी., वी.सी.आर. आदि के क्रय का तथा परियोजना के कार्यों की तकनीक संबंधी वन–पर्यावरण के संबंध में जाग्रति पैदा करने हेतु सामग्री प्रकाशन का प्रावधान भी किया गया है।

पैकेज–7 : प्रबोधन एवं मूल्यांकन (Monitoring & Evaluation) : इस पैकेज के तहत परियोजना के तहत कराए गए कार्यों के प्रबोधन एवं मूल्यांकन का प्रावधान है, ताकि इसके क्रियान्वयन में हो रही तकनीकी कमियों का पता लग सके तथा भविष्य में इसमें सुधार किया जा सके।

नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. ट्रांच XX फेज 2 के अंतर्गत वर्ष 2014–15 से 2018–19 की अवधि में 43000 है0 क्षेत्र में वृक्षारोपण,भू एवं जल संरक्षण कार्य तथा कृषि वानिकी के तहत पौध तैयारी एवं वितरण का कार्य प्रस्तावित किया गया है। द्वितीय चरण की कुल प्रस्तावित लागत रु 283.42 करोड़ है। इस चरण की परियोजना को स्वीकृति प्राप्त की जाकर वर्ष 2014–15 से कार्यो का सम्पादन किया जा रहा है। परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में 22046 है0 पर वृक्षारोपण कार्य करवाया गया है।

वृक्षारोपण के कार्यो में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परियोजना के अन्तर्गत कराये गये इन वृक्षारोपणो के अग्रिम कार्यो का मूल्यांकन भी करवाया गया। वर्ष 2014–15 के दौरान परियोजना अन्तर्गत कुल 201 कार्यो का मूल्यांकन करवाया गया जिसमें से 68 वृक्षारोपण कार्य, 95 अग्रिम कार्य तथा 38 अन्य कार्यो का मूल्यांकन करवाया गया। अग्रिम कार्यो के मूल्यांकन के दौरान कार्यो में पायी गयी कमियो के संबंध में मौके पर दुरूस्ति बाबत निर्देश दिये गये।

68 वृक्षारोपण कार्यो में से 2 कार्य 40 प्रतिशतजीवितता से कम, 7 कार्य 40 से 60 प्रतिशत जीवितता, 31 कार्य 60 से 80 प्रतिशत जीवितता तथा 28 कार्य 80 प्रतिशत जीवितता से अधिक के पाये गये।

जीवितता प्रतिशत	40 प्रतिशत से कम	40–60 प्रतिशत	60–80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	कुल
वृक्षारोपणो की संख्या	2	7	31	28	68

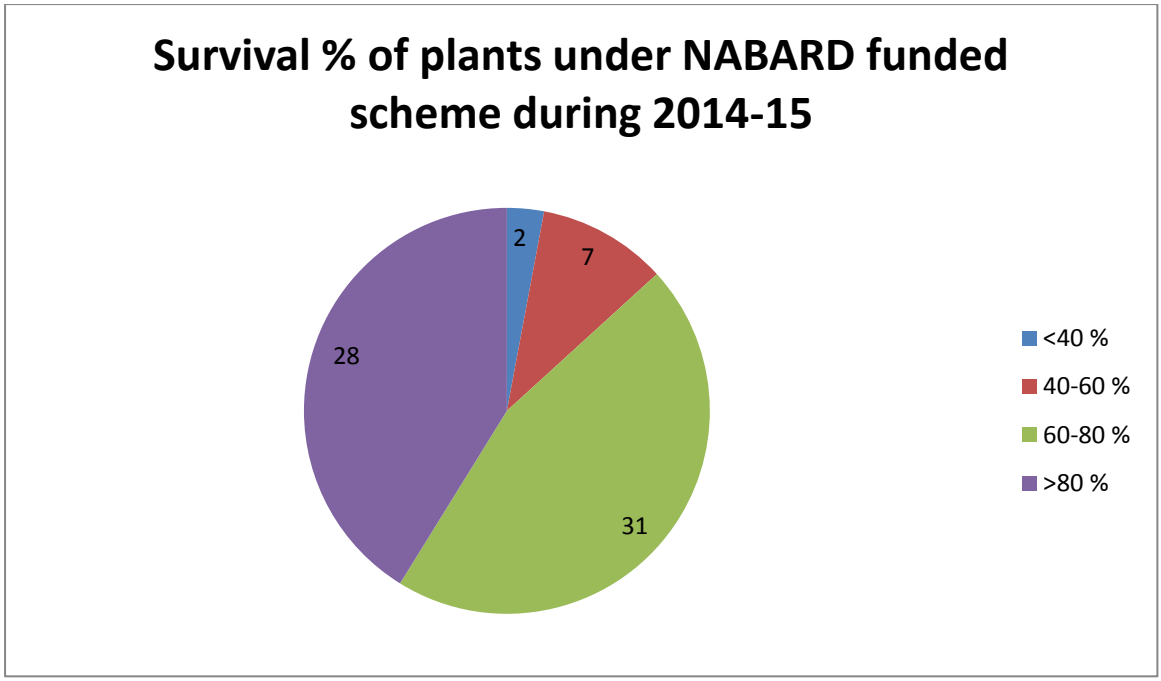
Survival % of plants under NABARD funded scheme during 2014-15
2
7
31
28
<40 %
40-60 %
60-80 %
>80 %

वर्ष 2014–15 में मरू प्रसार रोक अन्तर्गत कराये गये वृक्षारोपणो में जीवितता प्रतिशत

राज्य में मरू प्रसार की अभिवृद्धि को रोकने हेतु मरूस्थलीय जिलों में टिब्बा स्थिरीकरण तथा मेगा शेल्टर बेल्ट के कार्य करवाये जा रहे है ।

वर्ष 2014–15 में इस योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यो में से कुल 11 कार्यस्थलों का मूल्यांकन हेतु चयन किया गया। 11 कार्यस्थलों में से 40 प्रतिशत जीवितता से कम एक कार्य पाया गया, 2 कार्यस्थलों पर 60–80 एव 8 कार्यस्थलों पर 80 प्रतिशत से अधिक पौधों का जीवितता प्रतिशत पाया गया है।

जीवितता प्रतिशत	40 प्रतिशत से कम	40–60 प्रतिशत	60–80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	कुल
वृक्षारोपणो की संख्या	1	0	2	8	11

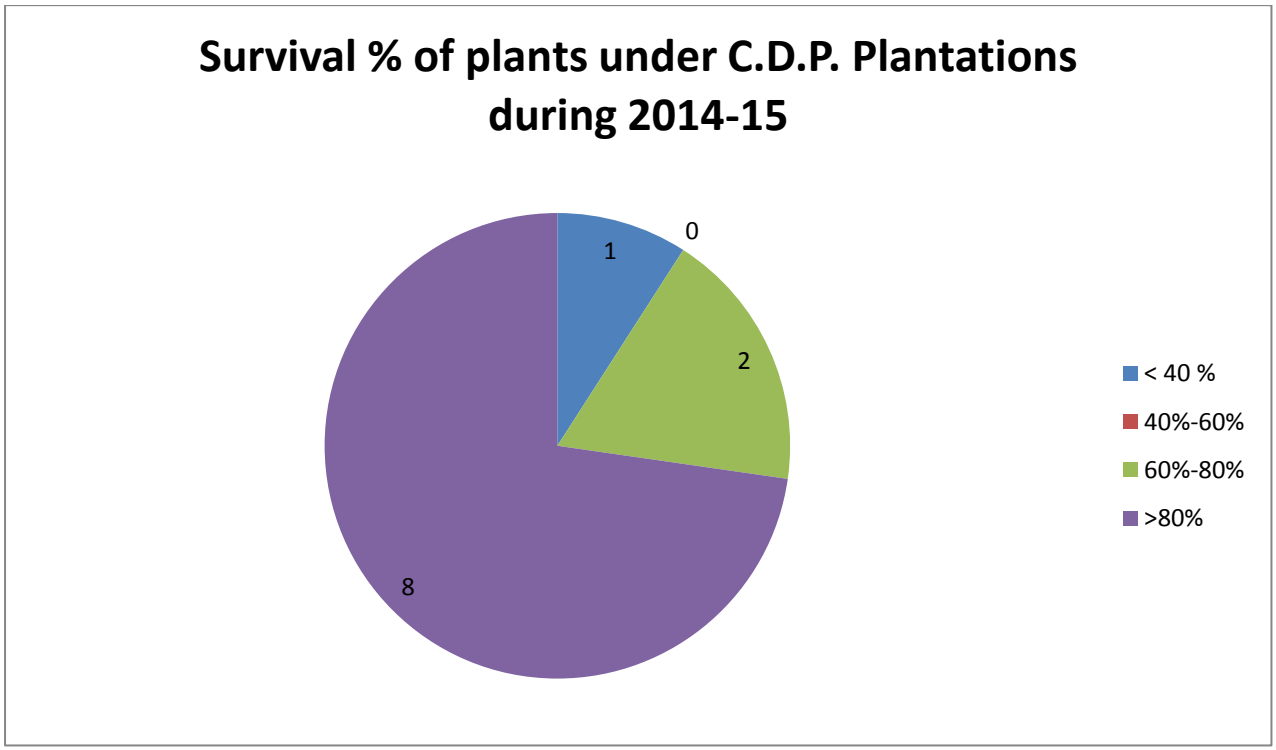

वर्ष 2014–15 में एस.एफ.डी.ऐ. के अन्तर्गत कराये गये वृक्षारोपणो में जीवितता प्रतिशत

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने वानिकी गतिविधियो के सरलीकरण एवं उनके क्रियान्वयन में जनसहभागिता बढाने के उद्देश्य से दसवीं पंचवर्षीय योजना में चार केन्द्र प्रवर्तित योजनाओ को एक कर एक राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (National Afforestation Programme) योजना का सृजन किया है उक्त कार्यक्रम राज्य वन विकास अभिकरण (एस.एफ.डी.ऐ.) के माध्यम से संचालित किये जा रहे है। ये अभिकरण ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियो के माध्यम से कार्य सम्पादित करते है। 9 जुलाई 2010 से राज्य में राज्य वन विकास अभिकरण (एस.एफ.डी.ए) का गठन किया गया है।

वर्ष 2014–15 में राज्य वन विकास अभिकरण (एस.एफ.डी.ए) द्वारा करवाये गये कुल कार्यो में से 21 कार्यस्थलों का मूल्यांकन हेतु चयन किया गयाजिसमें से 10 में अग्रिम कार्य तथा 11 वृक्षारोपण कार्य थे। उक्त 11 वृक्षारोपण कार्यस्थलों में, 1 कार्यस्थलों पर 40 प्रतिशत से कम, 3 कार्यस्थल पर 40–60 प्रतिशत, 4 कार्यस्थलों पर 60–80 प्रतिशत, तथा 3 कार्यस्थल पर 80 प्रतिशत से अधिक जीवित पौधे पाये गये।

जीवितता प्रतिशत	40 प्रतिशत से कम	40–60 प्रतिशत	60–80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	कुल
वृक्षारोपणो की संख्या	1	3	4	3	11

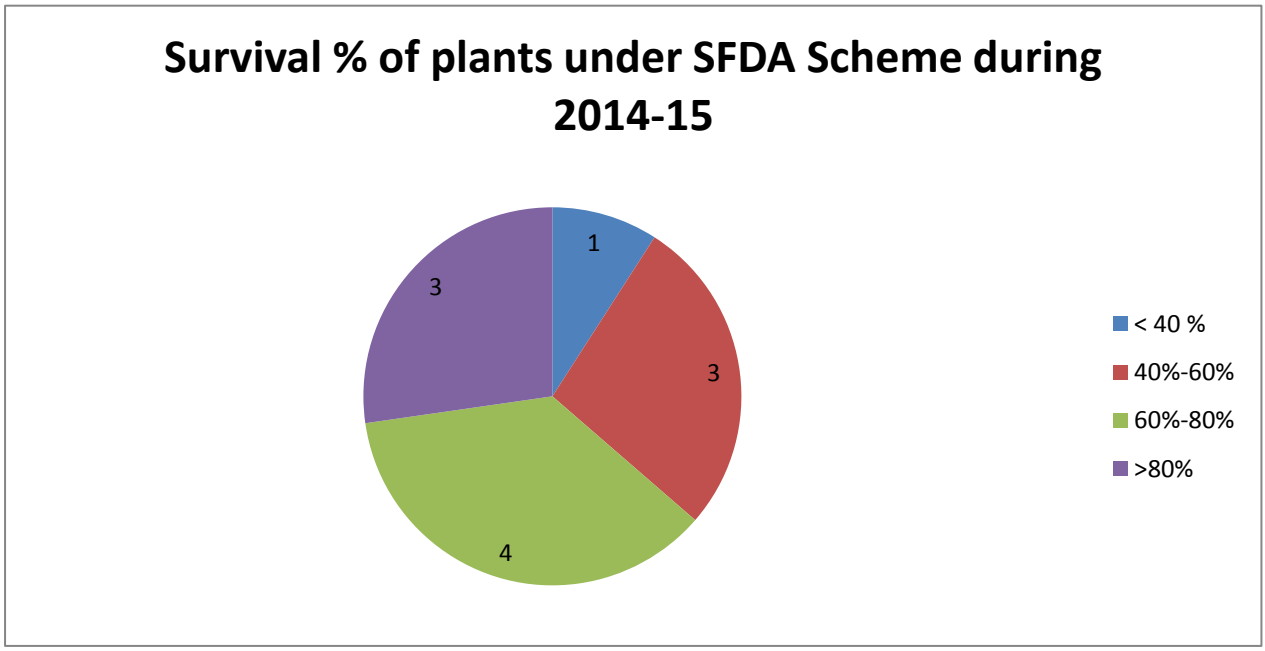

वर्ष 2014–15 में अन्य योजनाओ के अन्तर्गत कराये गये वृक्षारोपणो में जीवितता प्रतिशत

वन विभाग में उक्ताकिंत योजनाओ के अतिरिक्त वृक्षारोपण का कार्य अन्य योजनाओं के अंतर्गत भी किया जाता है जिनमे मुख्य रूप से राष्ट्रीय बास मिशन, टी.ए.डी, गंगनहर व भाखडा नहर योजना, नर्मदा नहर योजना, राष्ट्रीय वनीकरण योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आदि प्रमुख है। इन योजनाओं के अंतर्गत करवाये गये वृक्षारोपणों का भी मूल्यांकन एवं प्रबोधन विभाग द्वारा नियमित रूप से करवाया जाता है।

वर्ष 2014–15 के दौरान उक्ताकिंत योजनाओं के अंतर्गत करवाये गये विभिन्न कार्यो में से कुल 133 कार्यो का मूल्यांकन करवाया गया। मूल्यांकन में 59 वृक्षारोपणों कार्यो, 37 वृक्षारोपणों के अंग्रिम कार्य तथा 37 अन्य कार्यो का मूल्यांकन करवाया गया। इन 59 वृक्षारोपणों कार्यो में से 2 कार्यस्थलों पर 40 प्रतिशत से कम, 7 कार्यस्थल पर 40–60 प्रतिशत, 20 कार्यस्थलों पर 60–80 प्रतिशत, तथा 30 कार्यस्थलो पर 80 प्रतिशत से अधिक जीवित पौधे पाये गये। अधिक जीवितता प्रतिशत कार्यो की सफलता को इंगित करता हैं।

जीवितता प्रतिशत	40 प्रतिशत से कम	40–60 प्रतिशत	60–80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	कुल
वृक्षारोपणो की संख्या	2	7	20	30	59

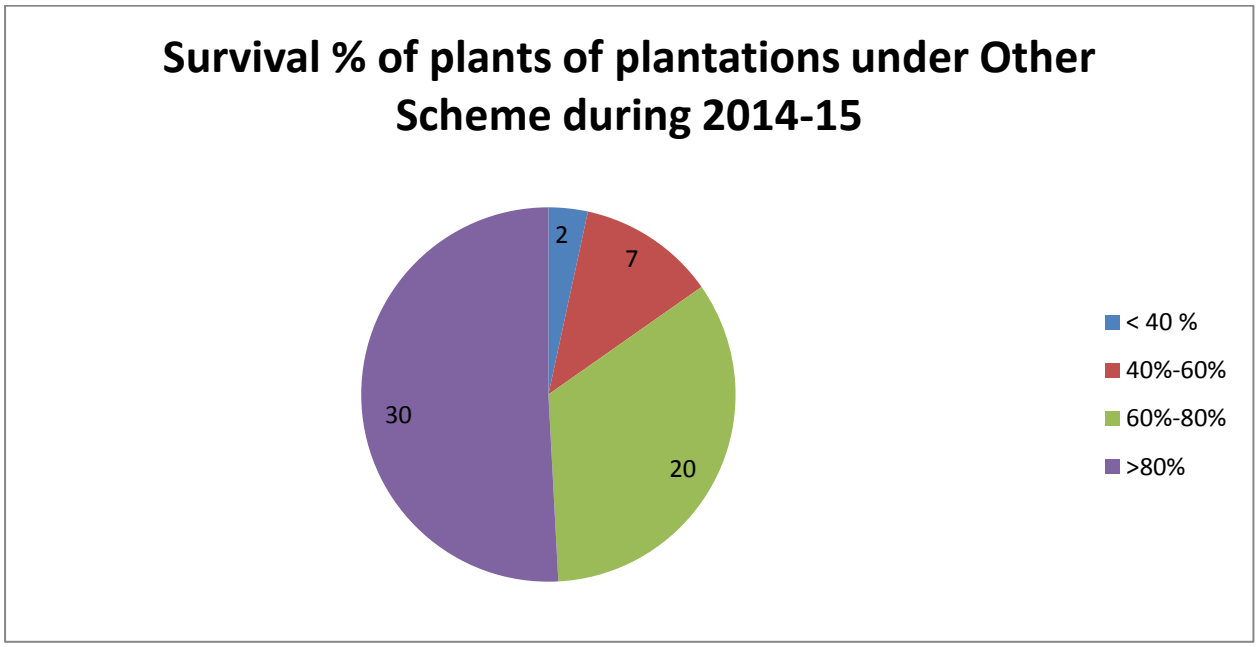

वर्ष 2015–16 के दौरान योजनावार किये गये मूल्यांकन कार्यो का विवरण

वर्ष 2015–16 में राज्य के विभिन्न संभागो में कुल 196 कार्यो का मूल्यांकन किया गया था। उक्त मूल्यांकन हेतु राज्य में चल रही विभिन्न योजनाओ के अन्तर्गत कराये गये कार्यो का चयन रेण्डम पद्दति से चयन किया गया । सम्पादित मूल्यांकन कार्यों में से **नाबार्ड वित्त पोषित**योजनान्तर्गत 72 वृक्षारोपण, 5 अग्रिम कार्यो तथा 1 अन्य कार्य, **कैम्पा** योजनान्तर्गत 27 वृक्षारोपण 3 अग्रिम कार्यों, **आर एफ बी पी–।।** योजनांतर्गत 24 वृक्षारोपण 3 अग्रिम कार्यों, **एस.एफ.डी.ए.**योजना के अंतर्गत 7 वृक्षारोपण, **सी.डी.पी.** योजनान्तर्गत 11 वृक्षारोपण कार्यों, पुनः पौधारोपण के 16 वृक्षारोपण कार्य तथा **अन्य** योजनाओं के अंतर्गत 25 वृक्षारोपण एक अग्रिम कार्यों तथा एक अन्य कार्य का मूल्यांकन किया गया जिसका विवरण सारणी के रूप में निम्नानुसार है के :–

कार्य का नाम़	नाबार्ड	कैम्पा	आर. एफ.बी. पी.।।	एस. एफ. डी. ए.	सी. डी.पी.	पुनः पौधारोपण	अन्य	कुल योग
वृक्षारोपण	72	27	24	7	11	16	25	182
अग्रिम कार्य	5	3	3	0	0	0	1	12
अन्य कार्य	1	0	0	0	0	0	1	2
कुल सॅख्या	78	30	27	7	11	16	27	196

वर्ष 2015–16 मूल्यांकन की योजनावार स्थिति

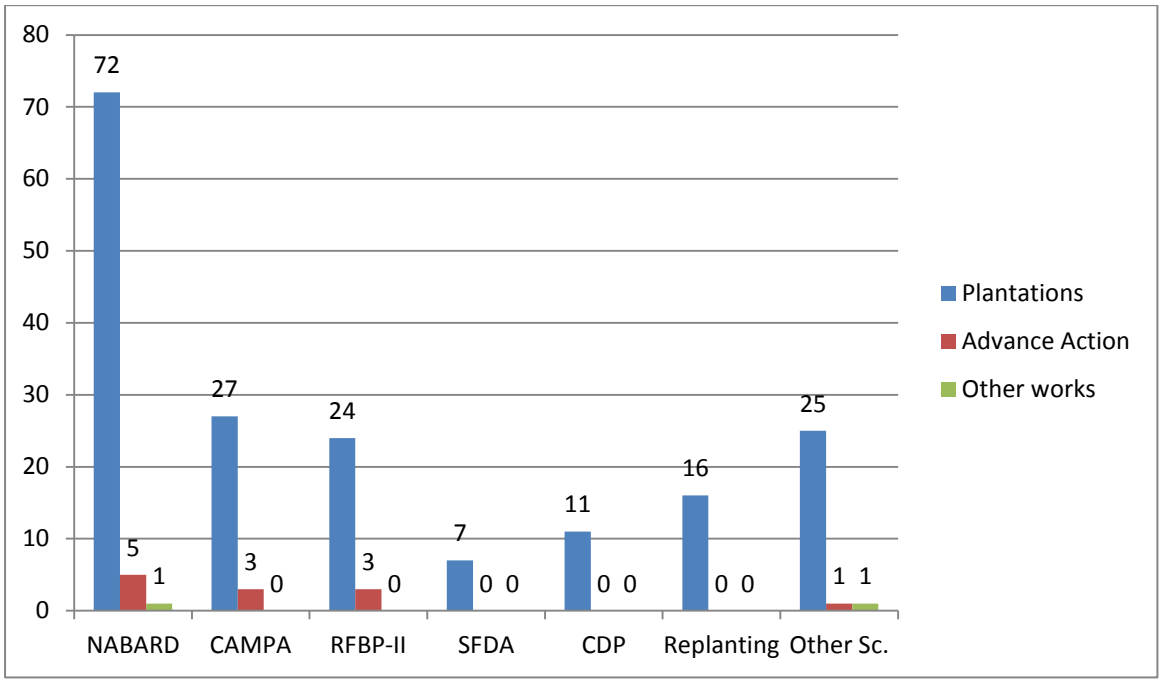

वर्ष 2015–16 मूल्यांकन की योजनावार स्थिति

वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभागीय कार्यो के मूल्यांकन की सम्भागवार स्थिति

क्रम सख्ँया	नाम संभाग	जीवितता प्रतिशत की साइटो की सख्या					अग्रिम कार्यो की साइटो की सख्या	अन्य (स्थायी नर्सरी, एनिकट, इकोरेस्टोरेशन वाल, बाउन्ड्री पिलर्स,वाच टावर्स आदि)	योग
		40 प्रतिशत से कम	40–60 प्रतिशत	60–80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	योग			
1	***2***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***
7	अजमेर	1	8	6	1	16		0	16
6	बीकानेर	2	19	18	6	45	0	0	45
5	भरतपुर	4	14	11	0	29	4	1	34
1	जयपुर	4	12	15	2	33	4	0	37
4	जोधपुर	0	5	7	3	15	4	0	19
2	कोटा	0	20	7	0	27	0	0	27
3	उदयपुर	0	9	6	2	17	0	1	18
	योग	**11**	**87**	**70**	**14**	**182**	**12**	**2**	**196**

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत करवाये गये कुल 182 वृक्षारोपण कार्यो का मूल्यांकन भी किया गया है जिसमें से 11 वृक्षारोपणों में 40 प्रतिशत से कम जीवितता प्रतिशत पाई गई, जबकि 87 वृक्षारोपणों में 40–60 प्रतिशत, 70 वृक्षारोपणों में 60–80 प्रतिशत तथा 14 वृक्षारोपणों में 80 से अधिक प्रतिशत जीवित पौधे पाये गये जो विभाग के लिए संतोष की बात है।

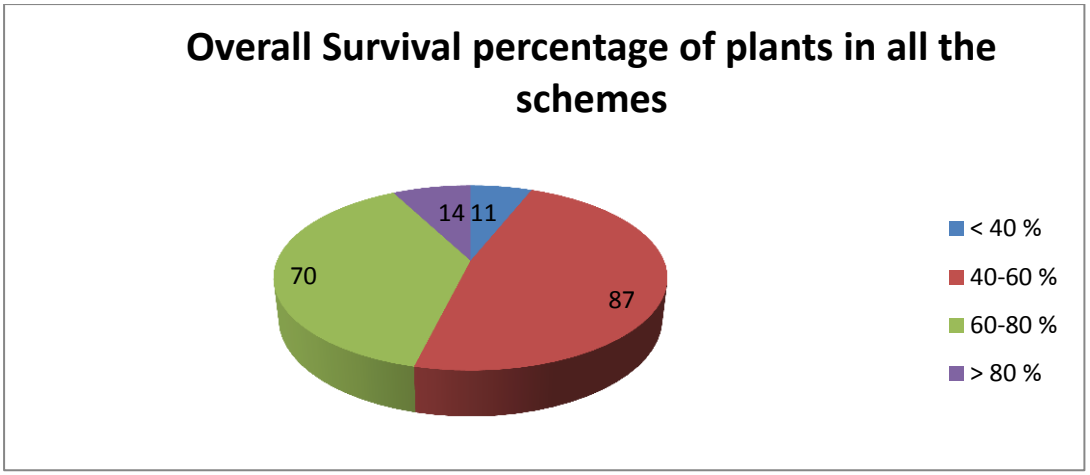

वर्ष 2015–16 के दौरान समस्त योजनाओ के वृक्षारोपणों के मूल्यांकन में पाई गई समग्र जीवितता प्रतिशत

वर्ष 2015–16 में केम्पा के अन्तर्गत कराये गये मूल्यांकन कार्यो का विवरण

कैम्पा योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में राज्य में कुल 30 कार्यो का कार्यस्थलों का मूल्यांकन हेतु चयन किया गया। उक्त 30 कार्यस्थलों में से 27 वृक्षारोपण कार्य तथा 3 अग्रिम कार्यो का चयन किया जाकर मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन में 3 वृक्षारोपण कार्यो में 40 प्रतिशत से कम, 14 वृक्षारोपण कार्यो में 40–60 प्रतिशत तथा 10 वृक्षारोपण कार्यो में 60–80 प्रतिशत जीवित पौधें पाये गये।

जीवितता प्रतिशत	40 प्रतिशत से कम	40–60 प्रतिशत	60–80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	कुल
वृक्षारोपणो की संख्या	3	14	10	0	27

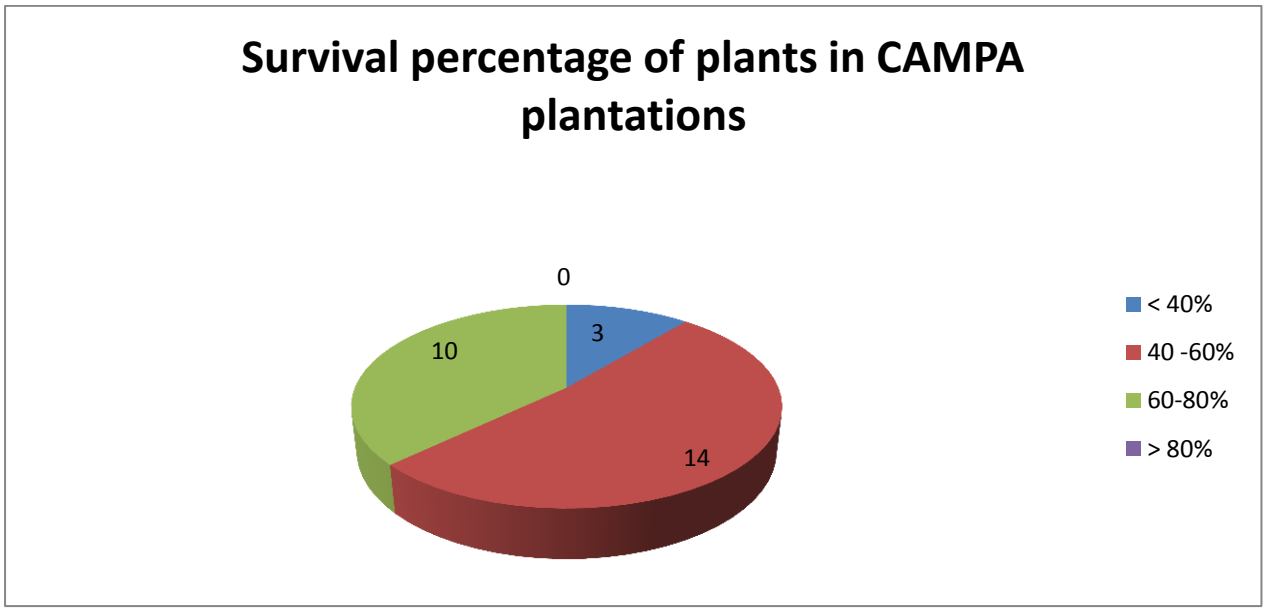

वर्ष 2015–16कैम्पा कार्यों में मूल्यांकन के दौरान पाई गई जीवितता प्रतिशत की स्थिति

वर्ष 2015–16 में आर.एफ.बी.पी.–।। के अन्तर्गत कराये गये मूल्यांकन कार्यो का विवरण

वृक्षारोपण के कार्यो में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परियोजना के अन्तर्गत कराये गये इन वृक्षारोपणो के अग्रिम कार्यो का मूल्यांकन भी करवाया गया। करवाये गये कुल कार्यो में से वर्ष 2015–16 के दौरान 27 कार्यो का कार्यस्थलों का मूल्यांकन हेतु चयन किया गया। उक्त 27 कार्यस्थलों में 3 अग्रिम मृदा कार्य एवं 24 वृक्षारोपण कार्य थे। अग्रिम कार्यो के मूल्यांकन के दौरान कार्यो में पायी गयी कमियो के संबंध में मौके पर दुरूस्ति बाबत निर्देश दिये गये।

24 वृक्षारोपण कार्यो में से 1 कार्य में 40 प्रतिशत से कम, 8 कार्य में 40–60 प्रतिशत, 14 कार्य 60–80 प्रतिशत तथा 1 कार्य 80 प्रतिशत से अधिक जीवितता के पाये गये।

जीवितता प्रतिशत	40 प्रतिशत से कम	40–60 प्रतिशत	60–80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	अग्रिम कार्य	कुल
वृक्षारोपणो की संख्या	1	8	14	1	3	27

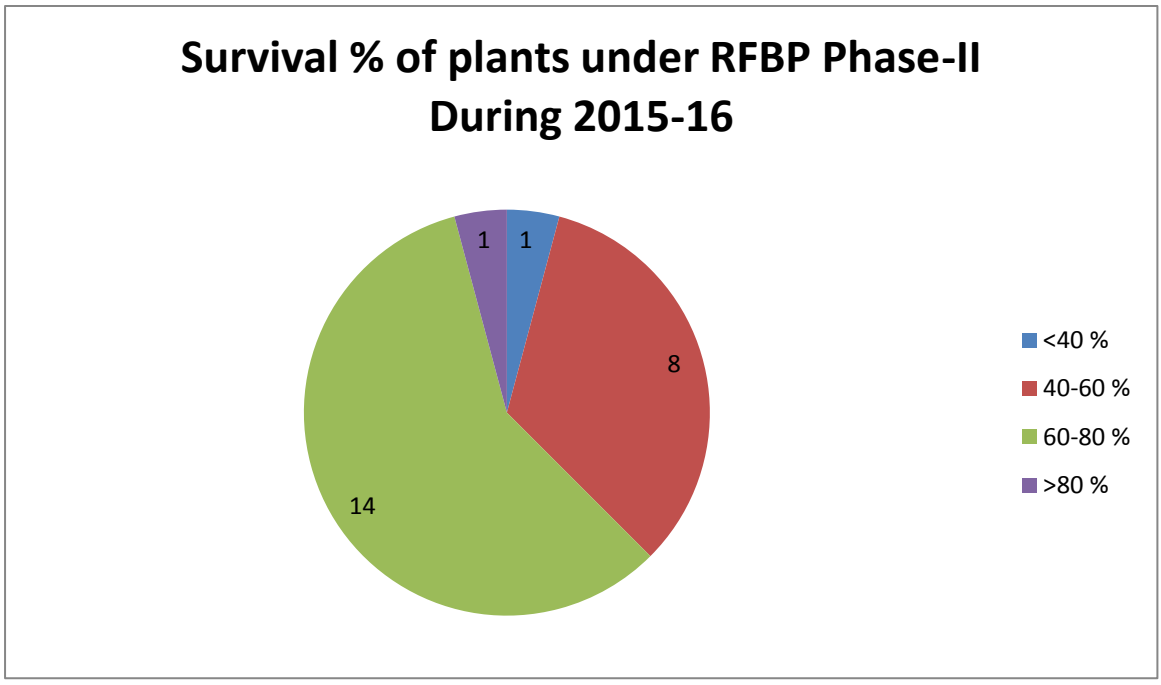

वर्ष 2015–16 में नाबार्ड वित्त पोषित परियोजनायोजना के अन्तर्गत कराये गये मूल्यांकन कार्यो का विवरण

वृक्षारोपण के कार्यो में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परियोजना के अन्तर्गत कराये गये इन वृक्षारोपणो के अग्रिम कार्यो का मूल्यांकन भी करवाया गया। अग्रिम कार्यो के मूल्यांकन के दौरान कार्यो में पायी गयी कमियो के संबंध में मौके पर दुरूस्ति बाबत निर्देश दिये गये।

उक्त योजनान्तर्गत करवाये गये कुल कार्यो में से वर्ष 2015–16 के दौरान 78 कार्यो के कार्यस्थलों का मूल्यांकन हेतु चयन किया गया। उक्त 78 कार्यस्थलों में 5 अग्रिम मृदा कार्य, 72 वृक्षारोपण कार्य एवं एक अन्य कार्यो का चयन किया गया था। 72 वृक्षारोपण कार्यो में से 4 कार्य 40 प्रतिशत से कम, 36 कार्य 40–60 प्रतिशत, 29 कार्य 60–80 प्रतिशत तथा 3 कार्य 80 प्रतिशत से अधिक जीवितता के पाये गये।

जीवितता प्रतिशत	40 प्रतिशत से कम	40–60 प्रतिशत	60–80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	कुल
वृक्षारोपणो की संख्या	4	36	29	3	72

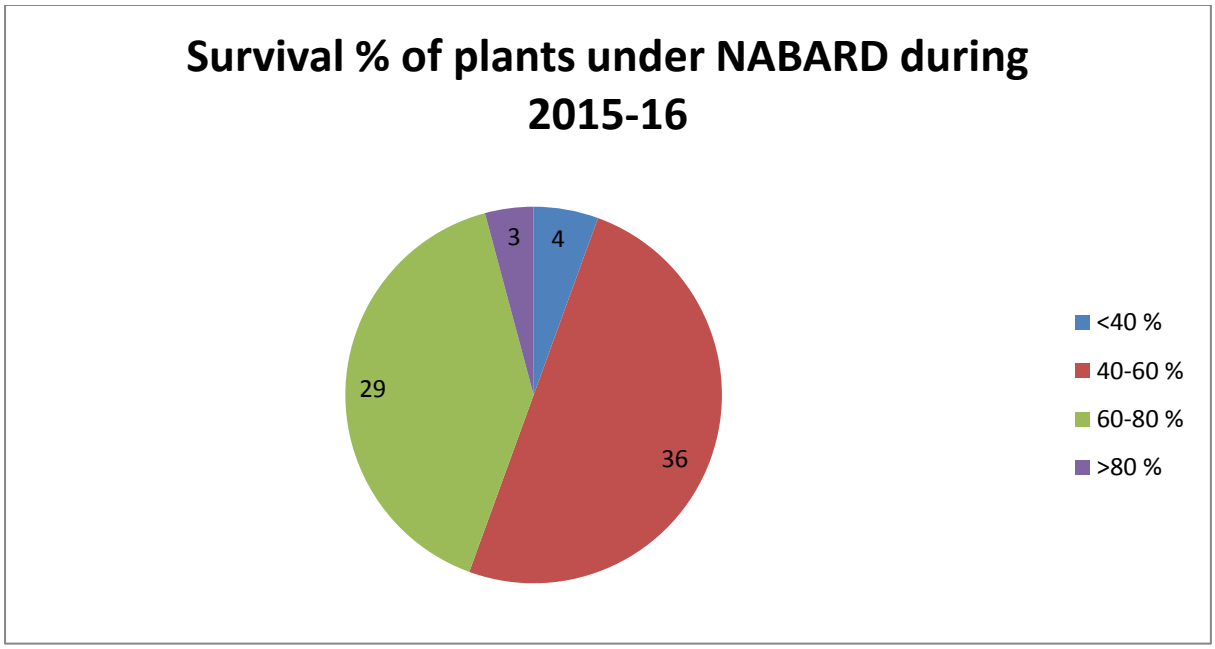

वर्ष 2015–16 में कराये गये मूल्यांकन में मरू प्रसार रोक अन्तर्गत कराये गये वृक्षारोपणो की स्थिति

मरू प्रसार रोकपरियोजना के अन्तर्गत कराये गये वृक्षारोपणो में से वर्ष 2015–16 के दौरान कुल 11 कार्यो का मूल्यांकन करवाया गया। इन 11 कार्यस्थलों में से 40 प्रतिशत जीवितता से कम का कोई कार्य नही पाया गया। 4 कार्यस्थलों पर 40–60, 3 कार्यस्थल पर 60–80 एवं 4 कार्यस्थलों पर 80 प्रतिशत से अधिक पौधों का जीवितता प्रतिशत पाया गया है।

जीवितता प्रतिशत	40 प्रतिशत से कम	40–60 प्रतिशत	60–80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	कुल
वृक्षारोपणो की संख्या	0	4	3	4	11

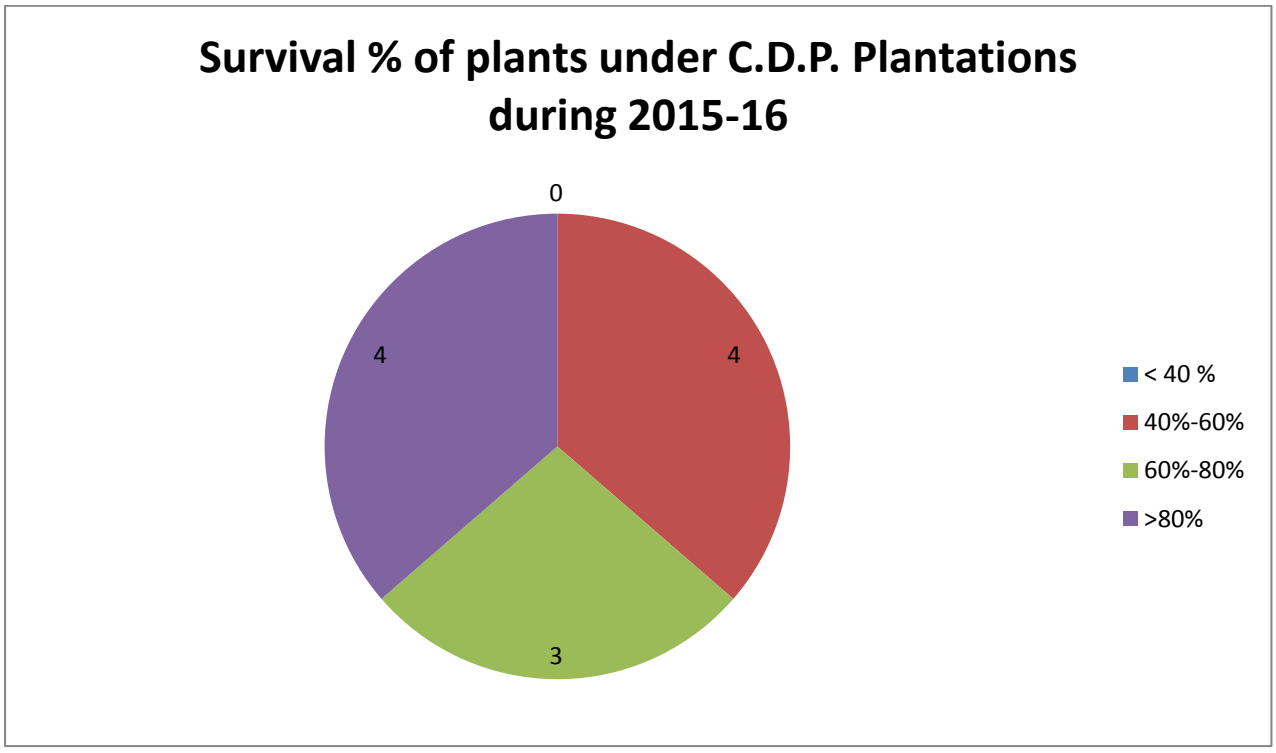

वर्ष 2015–16 में एस.एफ.डी.ऐ. के अन्तर्गत कराये गये वृक्षारोपणो में जीवितता प्रतिशत

वर्ष 2015–16 में मूल्यांकन हेतु राज्य वन विकास अभिकरण (एस.एफ.डी.ए) द्वारा करवाये गये कार्यो में से 7 वृक्षारोपण कार्यो का चयन मूल्यांकन हेतु किया गया।

इन 7 कार्यस्थलों में से 40 प्रतिशत जीवितता से कम का कोई कार्य नही पाया गया, 6 कार्यस्थलों पर 40–60, एवं एक कार्यस्थल पर 60–80 प्रतिशत पौधों का जीवितता प्रतिशत पाया गया है।

जीवितता प्रतिशत	40 प्रतिशत से कम	40–60 प्रतिशत	60–80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	कुल
वृक्षारोपणो की संख्या	0	6	1	0	7

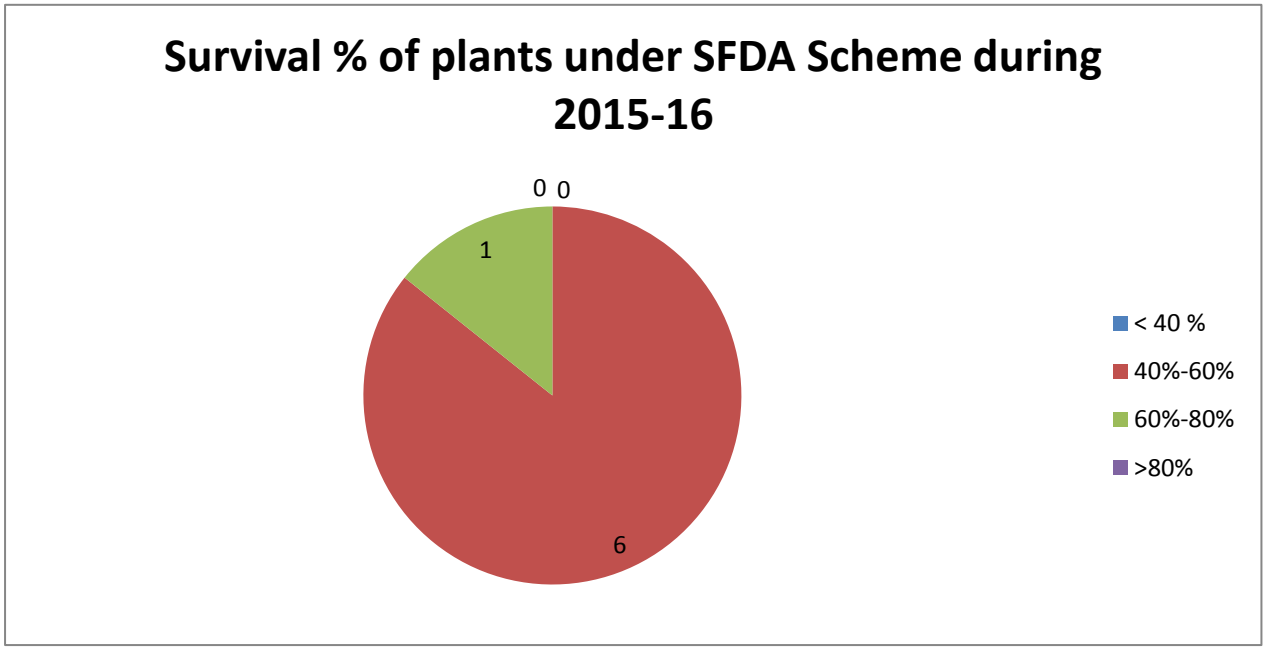

वर्ष 2015–16 में पुनः पौधारोपण योजना के अन्तर्गत कराये गये वृक्षारोपणो में जीवितता प्रतिशत

पुनःपौधारोपण योजनान्तर्गत हनुमानगढ एवं गंगानगर जिलो मे नहर किनारे पूर्व मे किये गये वृक्षारोपण के फलस्वरूप रिक्त स्थान पर नहरो को मिट्टी के भराव से बचाने एवं क्षेत्र की मृदा एवं पारिस्थितिकी मे वांछित सुधार के लिये वृक्षारोपण का कार्य करवाया जाता है। वर्ष 2015–16 में मूल्यांकन हेतु पुनःपौधारोपण योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यो में से बीकानेर संभाग के हनुमानगढ एवं श्रीगांगानगर मे 16 वृक्षारोपण कार्यो का चयन किया गया। मूल्यांकन अनुसार एक पौधारोपण स्थल पर 40 प्रतिशत से कम, 8 पौधारोपणों स्थल पर 40–60 प्रतिशत, 5 पौधारोपण स्थलो मे 60–80 प्रतिशत तथा 2 वृक्षारोपणो स्थलो मे 80 प्रतिशत से अधिक पौधो की जीवितता प्रतिशत पायी गयी।

जीवितता प्रतिशत	40 प्रतिशत से कम	40–60 प्रतिशत	60–80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	कुल
वृक्षारोपणो की संख्या	1	8	5	2	16

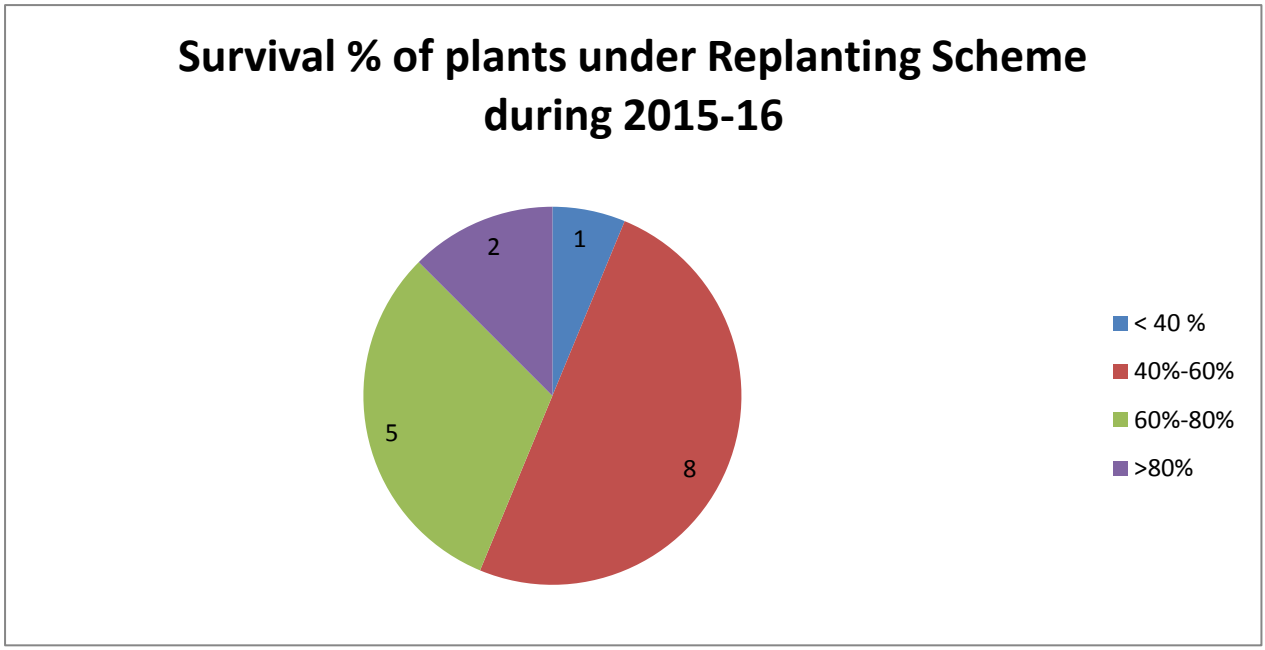

वर्ष 2015–16 में अन्य योजनाओ के अन्तर्गत कराये गये वृक्षारोपणो में जीवितता प्रतिशत

वन विभाग में उक्ताकिंत योजनाओ के अतिरिक्त वृक्षारोपण का कार्य अन्य योजनाओं के अंतर्गत भी किया जाता है जिनमे मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन, राष्ट्रीय बास मिशन, टी.ए.डी, राष्ट्रीय वनीकरण योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राज्य योजना आदि प्रमुख है। इन योजनाओं के अंतर्गत करवाये गये वृक्षारोपणों का मूल्यांकन भी मूल्यांकन एवं प्रबोधन विभाग द्वारा नियमित रूप से करवाया जाता है।

वर्ष 2015–16 के दौरान उक्ताकिंत योजनाओं के अंतर्गत करवाये गये विभिन्न कार्यो में से 1 अंग्रिम कार्य, 1 अन्य कार्य तथा 25 वृक्षारोपणों कार्यो का मूल्यांकन करवाया गया । इन 25 वृक्षारोपणों कार्यो में से 2 कार्यस्थलों पर 40 प्रतिशत से कम, 11 कार्यस्थल पर 40–60 प्रतिशत, 8 कार्यस्थलों पर 60–80 प्रतिशत, तथा 4 कार्यस्थलो पर 80 प्रतिशत से अधिक जीवित पौधे पाये गये।

जीवितता प्रतिशत	40 प्रतिशत से कम	40–60 प्रतिशत	60–80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	कुल
वृक्षारोपणो की संख्या	2	11	8	4	25

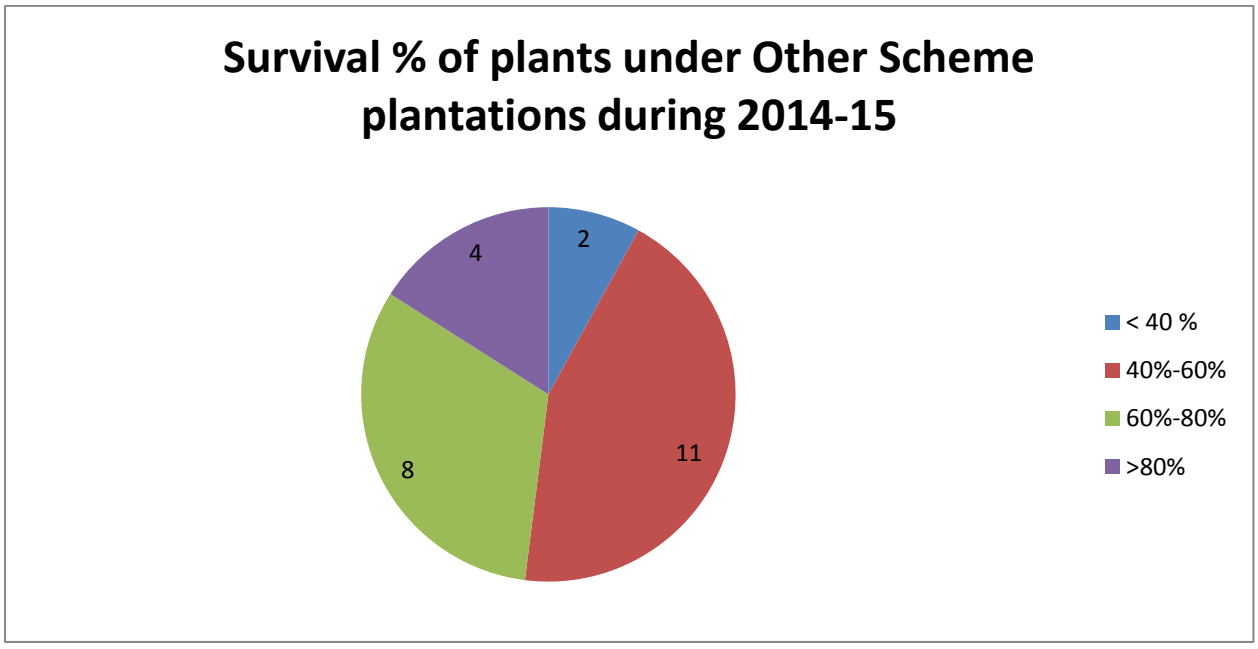

वित्तीय वर्ष 2014–15 में विभागीय कार्यो के मूल्यांकन की स्थिति सम्भागवार / मण्डलवार

क्र. सं.	नाम संभाग	नाम वन मंडल	मूल्यांकन पद्धति(100 प्रतिशत अथवा 10 प्रतिशत)	जीवितता प्रतिशत की साइटो की सख्या					अग्रिम कार्यो की साइटो की सख्या	अन्य कार्य (स्थायी नर्सरी, एनिकट, इकोरेस्टोरेशन वाल, बाउन्ड्री पिलर्स,वाच टावर्स आदि)	योग
				40 प्रतिशत से कम	40–60 प्रतिशत	60–80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**जयपुर**	जयपुर	100		1		2	3	0	0	3
			10				2	2	0	0	2
		जयपुर उत्तर	100		1	1	3	5	0	0	5
			10				5	5	0	0	5
		सीकर	100			1	2	3	0	0	3
			10		1	1	1	3	6	0	9
		झुन्झुनू	100					0	0	0	0
			10					0	5	0	5
		दौसा	100					0	0	0	0
			10					0	7	0	7
		अलवर	100	2	1	2		5	0	0	5
			10			3	2	5	6	0	11
		अलवर सरिस्का	100				1	1	0	0	1
			10			1	1	2	0	0	2
		जयपुर वन्य जीव	100					0	0	0	0
योग जयपुर संभाग				**2**	**4**	**9**	**19**	**34**	**24**	**0**	**58**
2	**कोटा**	कोटा	100	1	2	3	0	6			6
			10		1	2		3	9		12
		बून्दी	100							19	19
			10						6		6
		बारां	100								
			10						6		6

		झालावाड	100		3	3		6			6
			10	1		3	1	5	3		8
		वन्य जीव कोटा	100							10	10
			10							6	6
योग कोटा संभाग				**2**	**6**	**11**	**1**	**20**	**24**	**35**	**79**
3	**उदयपुर**	उदयपुर	100	0	0	0		0	0	0	0
			10	0	0	0		0	13	0	13
		उदयपुर दक्षिण	100	0	0	0		0	0	0	0
		उदयपुर उत्तर	100	0	0	0		0	0	0	0
			10	0	0	0		0	10	0	10
		राजसमन्द	100	1	0	3		4	0	0	4
		राजसमन्द	10	0	1	1	2	4	2	0	6
		राजसमन्द वन्यजीव	100	0	1	2	1	4	0	10	
		उदयपुर वन्यजीव	100	0	0	0		0	0	0	0
		चित्तौडग ढ	100	0	0	0		0	0	0	0
			10	0	0	0		0	10	0	10
		चित्तौडग ढ वन्यजीव	100	0	0	0		0	0	0	0
		बांसवाडा	100	0	0	2	4	6	0	0	6
			10	0	0	1	5	6	17	0	23
		डूंगरपुर	100	0	1	0		1	0	0	1
			10	0	0	2	2	4	9	0	13
		प्रतापगढ	100	0	1	3	8	12	0	0	12
			10	0	0	4	8	12	16	0	28
योग उदयपुर संभाग				**1**	**4**	**18**	**30**	**53**	**77**	**10**	**140**
4	**जोधपुर**	जोधपुर	100				2	2			2
			10				2	2			2

		पाली	100			1	1	2			2
			10			3	2	5	4		9
		सिरोही	100					0			0
			10					0	3		3
		जालौर	100					0			0
			10					0	2		2
		बाडमेर	100					0			0
			10				3	3			3
		जैसलमेर	100			2		2			2
			10			3		3			3
		जैसलमेर ईगानप–।।	100			2		2			2
			10			6	1	7			7
		जोधपुर वन्यजीव	100					0		1	1
योग जोधपुर संभाग						**17**	**11**	**28**	**9**	**1**	**38**
5	**भरतपुर**	भरतपुर	100		2	3		5			5
			10		1		1	2	0	5	7
		धौलपुर	100			5	3	8			8
			10		2	4		6	10		16
		करौली	100		1	1	1	3			3
			10		1	1	2	4	9	13	26
		करौली व. जी.	100		0	0	0	0			0
			10		0	0	0	0	0	6	6
		केवलादेव	100								0
			10							7	7
		स0 माधौपुर	100			1	0	1			1
			10			2		2	6		8
		भू.स.अ. स0 माधौपुर	100			0	0	0			0

			10			0		0		5	5
योग भरतपुर संभाग					**7**	**17**	**7**	**31**	**25**	**36**	**92**
6	**बीकानेर**	बीकानेर	100	0	0	0	0	0			0
			10	0	0	0	0	0	4		4
		छत्तरगढ	100	0	1	4	1	6			6
			10	2	1	0	2	5	10		15
		चूरू	100	0	0	0	0	0			0
			10	1	1	0	0	2	1		3
		बीकानेर स्टेज–।।	100	0	1	0	0	1			1
			10	0	0	0	0	0	7		7
योग बीकानेर संभाग				**3**	**4**	**4**	**3**	**14**	**22**		**36**
7	**अजमेर**	भीलवाडा	100		4	3		7			7
			10		2	1		3	9		12
		अजमेर	100		1	2	1	4			4
			10			1	3	4	5		9
		नागौर	100			2	7	9			9
			10			1	5	6	6		12
		टौंक	100		1	1	2	4			4
			10				3	3	8		11
		बनास टोंक	100					0		3	3
					8	**11**	**21**	**40**	**28**	**3**	**71**
		महायोग		**8**	**33**	**87**	**92**	**220**	**209**	**85**	**514**

अप्रैल 2014 ये 31 मार्च 2015 तक अग्रिम/वृक्षारोपण कार्यों का विवरण

क्र. सं.	वन मंडल	नाम वृक्षारोपण कार्यस्थल एवं रेंज	क्षेत्रफल है0	वर्ष	योजना	जीवितता प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
			अजमेर			
सेम्पलिंग						
1	भीलवाडा	खराडिया ई,माण्डलगढ़	50	12–13	कैम्पा	52.84
2	भीलवाडा	घेवरिया,जहाजपुर	35	13–14	आर.एफ.बी.पी.	57.58
3	भीलवाडा	बडोदिया ए,माण्डलगढ़	50	13–14	स्टेट प्लान	69.98
4	भीलवाडा	मकरेडी, माण्डलगढ़	50	14–15	एफ.डी.ए.	अग्रिम कार्य
5	भीलवाडा	खेरडिया, माण्डलगढ़	50	14–15		अग्रिम कार्य
6	भीलवाडा	सुई, जहाजपुर	50	14–15	कैम्पा	अग्रिम कार्य
7	भीलवाडा	किशनगढ,जहाजपुर	50	11–12	कैम्पा	अग्रिम कार्य
8	भीलवाडा	खराडिया डी,माण्डलगढ़	50	11–12	कैम्पा	अग्रिम कार्य
9	भीलवाडा	नाहरडिया, जहाजपुर	50	14–15	स्टेट प्लान	अग्रिम कार्य
10	भीलवाडा	बिजेठा, जहाजपुर	50	14–15	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य
11	भीलवाडा	गिरधरपुरा, आसीन्द	20	14–15	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य
12	भीलवाडा	केकडिया, माण्डलगढ़	50	14–15	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य
13	नागौर	दुगौर अचलास,मेडता	15	11–12	सी.डी.पी	66.40
14	नागौर	गागवा ए,परबतसर	50	14–15	स्टेट प्लान	80.52
15	नागौर	नोखा चांदावत,मेडता	16	11–12	सी.डी.पी	80.62
16	नागौर	सिडियास,कुचामन	20	14–15	आर.एफ.बी.पी.	82.70
17	नागौर	टालनपुर,मेडता	16	14–15	सी.डी.पी	88.37
18	नागौर	ताडास,नागौर	24	11–12	सी.डी.पी	88.50
19	नागौर	काटियाँ ए, नागौर	22	14–15	जलवायु परिवर्तन	अग्रिम कार्य
20	नागौर	रामपुरा, कुचामन	50	14–15	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य
21	नागौर	मिठडी ठठाणा, कुचामन	50	14–15	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य
22	नागौर	धौकलिया, परबतसर	50	14–15	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य
23	नागौर	मेहगांव, परबतसर	50	14–15	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य
24	नागौर	मण्डोवरी, परबतसर	50	14–15	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम

						कार्य
25	टोंक	बोरेडा–। ए,निवाई	50	13–14	नाबार्ड	83.94
26	टोंक	काल भैरु II देवली	50	13–14	नाबार्ड	83.95
27	टोंक	खेडावली,टोंक	50	11–12	13 वाँ वित्त आयोग	84.93
28	टोंक	देवडावास, देवली	50	14–15	कैम्पा	अग्रिम कार्य
29	टोंक	गोल डूंगरी हथोणा, टोंक	50	14–15	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
30	टोंक	बनेठा प्रथम, उनियारा	50	14–15	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
31	टोंक	बनेठा द्वितीय, उनियारा	50	14–15	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
32	टोंक	मंझेवला बंधेवाला, निवाई	50	14–15	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
33	टोंक	गोविन्दपुरा, निवाई ।।	60	14–15	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
34	टोंक	घाटी बी, मालपुरा	35	14–15	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
35	टोंक	दुधिया बालाजी, टोंक	25	14–15	नवीन योजना	अग्रिम कार्य
36	अजमेर	तबीजी, अजमेर	40	13–14	नाबार्ड	65.93
37	अजमेर	डूमाडा, अजमेर	50	11–12	ए.सी.ए.	81.04
38	अजमेर	चौराटी माता भावता, अजमेर	50	13–14	नाबार्ड	95.87
39	अजमेर	डागडा, किशनगढ़	50	13–14	ए.एन.आर.	96.29
40	अजमेर	रामगढ़ धानी खेड़ा, ब्यावर	50	14–15	कैम्पा	अग्रिम कार्य
41	अजमेर	भिलावट,किशनगढ़	50	14–15	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
42	अजमेर	माखुपुरा, नसीराबाद	50	14–15	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
43	अजमेर	जैतगढ़, पुष्कर	50	14–15	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
44	अजमेर	सुन्दरपुरा बाजटा, सरवाड़	50	14–15	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
अजमेर						
शत प्रतिशत						
45	भीलवाडा	टेहला,शाहपुर	75	13–14	एफ.डी.ए.	43.11
46	भीलवाडा	ढाणी,माण्डलगढ, शाहपुरा	50	12–13	कैम्पा	45.12
47	भीलवाडा	कौशल्या माता,आसीन्द	50	11–12	कैम्पा	46.00
48	भीलवाडा	कल्लाजी, जहाजपुर	50	12–13	कैम्पा	47.62

49	भीलवाडा	कोवडी सी,माण्डलगढ़	50	11–12	ए.सी.ए.	67.52
50	भीलवाडा	जरडू का खेडा, आसींद	50	13–14	आर.एफ.बी.पी.	67.76
51	भीलवाडा	मोहनपुरा,माण्डलगढ़	50	13–14	आर.एफ.बी.पी.	75.20
52	नागौर	हवाईपट्टी,नागौर	2	11–12	वनीकरण	100.00
53	नागौर	कॉटिया,नागौर	20	13–14	जलवायु परिवर्तन	76.68
54	नागौर	ऊंटवालिया,नागौर	12	11–12	सी.डी.पी	79.73
55	नागौर	आंतरोली, मेडता	16	11–12	सी.डी.पी	82.08
56	नागौर	धुडिला, मेडता	10	11–12	सी.डी.पी	82.86
57	नागौर	हरसोलाव ए,मेडता	15	14–15	सी.डी.पी	83.94
58	नागौर	त्रिसिंगया, कुचामन	15	13–14	आर.एफ.बी.पी.	85.17
59	नागौर	रुणीजा, परवतसर	50	13–14	आर.एफ.बी.पी.	85.92
60	नागौर	रेण,मेडता	24	11–12	सी.डी.पी	91.22
61	टोंक	रुपवास,उनियारा	50	11–12	कैम्पा	46.19
62	टोंक	रजवास,निवाई	50	13–14	स्टेट प्लान	77.40
63	टोंक	घाटी बालाजी वाला,मालपुरा	50	13–14	नाबार्ड	81.53
64	टोंक	बीरखण्डी,टोंक	50	12–13	कैम्पा	87.30
65	टोंक बनास	बन्धली, टोंक	पक्के स्ट्रेक्चर	12–13	एस.डी.एस.	अन्य कार्य
66	टोंक बनास	कोदेडा,टोंक	पक्के स्ट्रेक्चर	12–13	एस.डी.एस.	अन्य कार्य
67	टोंक बनास	I–निवारिया,टोंक II–कादेडा III–वनस्थली	पक्के स्ट्रेक्चर	12–13	डब्ल्यू.एच.एस.	अन्य कार्य
68	अजमेर	कोटडा, ब्यावर	50	14–15	कैम्पा	58.23
69	अजमेर	बडलाखेड़ा, नसीराबाद	50	12–13	कैम्पा	61.97
70	अजमेर	नान्द, पुष्कर	50	13–14	नाबार्ड	79.07
71	अजमेर	लाम्बा, सरवाड	50	13–14	नाबार्ड	85.91
			बीकानेर			
सेम्पलिंग						
72	बीकानेर	एसडीएस तोलियासर, डूंगरगढ़	100	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य
73	बीकानेर	बीपी, सूरजड़ा, कोलायत	30	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य
74	बीकानेर	एसपी जालवाली, बीकानेर	50	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य
75	बीकानेर	एसपी, बराला, बीकानेर	50	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य

76	स्टेज–II बीकानेर	एसडीएस सियासर–बी, प्रथम	50	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य
77	स्टेज–II बीकानेर	एसडीएस हनुमाननगर, चतुर्थ	25	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य
78	स्टेज–II बीकानेर	एसडीएस बज्जू बिरानी, षष्टम	25	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य
79	स्टेज–II बीकानेर	एसडीएस पश्चिम–बी, बीकमपुर	50	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य
80	स्टेज–II बीकानेर	बीपी रानीसर गोचर, प्रथम	5.क्मब	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य
81	स्टेज–II बीकानेर	सीएसपी, भूरासर गोचर, चतुर्थ	50 आरकेएम	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य
82	स्टेज–II बीकानेर	एसडीएस 11 बीडब्ल्यूएम, तृतीय	50	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य
83	छत्तरगढ़	सीएसपी, बीआरडब्ल्यूएम 0–10 आरडी बीएस, बेरियांवाली	18 आरकेएम	2012–13	आर.एफ.बी.पी.	26.66
84	छत्तरगढ़	9 बीएलडी, एसपीपी (सी), दन्तौर	50	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	34.80
85	छत्तरगढ़	एसपीपी (ए), बेरियांवाली	55	2012–13	आर.एफ.बी.पी.	52.45
86	छत्तरगढ़	सीएसपी, एसएलडी–30–45 आरडी एल/एस, छत्तरगढ़	35 आरकेएम	2013–14	नॉन प्लान	87.42
87	छत्तरगढ़	सीएसपी, एसजेडडब्लूएम 0–06 आरडी बी/एस, 61 आरडी केवाईडी	10.5 आरकेएम	2012–13	नॉन प्लान	95.76
88	छत्तरगढ़	एसडीएस, 2बीआरडब्लू, (जी) बेरियांवाली	50	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य
89	छत्तरगढ़	एसडीएस, 2बीआरडब्लू, (एच), बेरियांवाली	50	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य
90	छत्तरगढ़	एसडीएस, 1 एचडब्लूएम–बी	50	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य
91	छत्तरगढ़	एसडीएस, संजरवाला–डी, बेरियांवाली	50	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य

92	छत्तरगढ़	एसडीएस, 2बीआरडब्लू.एम–डी, बेरियांवाली	50	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य
93	छत्तरगढ़	एसडीएस, 9–13 बीएलडी–एफ, दन्तौर	50	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य
94	छत्तरगढ़	एसडीएस, 9–13 बीएलडी, दन्तौर	50	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य
95	छत्तरगढ़	बीपी 16–17 पीबी–बी, दन्तौर	50	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य
96	छत्तरगढ़	बीपी 2–4 एलकेडी–बी, दन्तौर	50	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य
97	छत्तरगढ़	एसडीएस, पोडावाली–ए, दन्तौर	50	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य
98	चुरु	रतनासर, रतनगढ	25	2012–13	सी.डी.पी	24.88
99	चुरु	वनीकरण कादिया–बी, रतनगढ	22	2011–12	वनीकरण	40.88
100	चुरु	एसडीएस गोलसर, रतनगढ़	6	2013–14	जलवायु परिवर्तन	अग्रिम कार्य
बीकानेर						
शत प्रतिशत						
101	स्टेज–II बीकानेर	सीएसपी कानासर वितरिका 0–3 किमी बीएस, प्रथम	100 आरकेएम	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	55.14
102	छत्तरगढ़	सीएसपी पीबी 118–128 एलएस, दन्तौर	75 आरकेएम	2012–13	नॉन प्लान	46.83
103	छत्तरगढ़	बीपी 11 बीएलडी दन्तौर	50	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	62.04
104	छत्तरगढ़	एसडीएस, सी गाजियावाला बेरियांवाली	50	2012–13	आर.एफ.बी.पी.	62.43
105	छत्तरगढ़	सीएसपी, बीपी 40–60 आरडी आर/एस, सत्तासर	75 आरकेएम	2012–13	नॉन प्लान	76.06
106	छत्तरगढ़	सीएसपी, बीपी 100–118 आरडी आर/एस, सत्तासर	25 आरकेएम	2011–12	नॉन प्लान	76.67
107	छत्तरगढ़	सीएसपी, एलकेडी 25–50 आरडी एल/एस, सत्तासर	50 आरकेएम	2013–14	नॉन प्लान	83.84
भरतपुर						
सेम्पलिंग						

108	धौलपुर	तालतलबी, वन विहार	50	2010–11	कैम्पा	45.18
109	धौलपुर	गधा बावड़ी–बी, बाडी	50	2013–14	नाबार्ड	50.16
110	धौलपुर	सूर्यबिन्द, वन विहार	25	2012–13	भू संरक्षण	63.63
111	धौलपुर	लायकपुरा, वन विहार	50	2013–14	नाबार्ड	65.78
112	धौलपुर	कुदिन्ना–। वन विहार	50	2013–14	नाबार्ड	70.22
113	धौलपुर	किला शेरगढ़, धौलपुर	75	2013–14	नाबार्ड	75.96
114	धौलपुर	भैसेना धौलपुर	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
115	धौलपुर	भमरौली धौलपुर	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
116	धौलपुर	फूसपुरा खिरकारी बाडी	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
117	धौलपुर	गजपुरा ।।। वनविहार	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
118	धौलपुर	कारिसबाबा ा सरमथुरा	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
119	धौलपुर	सिद्धबाबा बाडी	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
120	धौलपुर	हीरापुर बी सरमथुरा	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
121	धौलपुर	रामपुरा ।।। सरमथुरा	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
122	धौलपुर	वन्यजीव धौलपुर	मीनार निर्माण	2012–13	राज्य आयोजना	अन्य कार्य
123	करौली	राजौर–। गुढ़ाचन्द्रजी	50	2013–14	नाबार्ड	55.87
124	करौली	बाजना, सपोटरा	50	2013–14	नाबार्ड	68.95
125	करौली	बुगडार, मण्डरायल	50	2012–13	कैम्पा	82.63
126	करौली	महोली–। करौली	50	2013–14	नाबार्ड	83.86
127	करौली	पसेलिया मण्डरायल	50	2013–14	हिली एरिया	अग्रिम कार्य
128	करौली	गडवार ।। मण्डरायल	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
129	करौली	रानेटा सपोटरा	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
130	करौली	गैरई सपोटरा	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
131	करौली	पक्की प्याऊ मांच करौली	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
132	करौली	मांची ा करौली	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
133	करौली	ल्देार ा मासलपुर	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
134	करौली	लालसर गुढ़ाचन्द्रजी	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य

135	करौली	मालियों की ढाणी	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
136	करौली	मालियों की ढाणी गुढाचन्द्रजी	पक्की दीवार	2013–14	कैम्पा	अन्य कार्य
137	करौली	तीन पोखर मण्डरायल	डब्लू एस एच	2013–14	नाबार्ड	अन्य कार्य
138	करौली	औंड मण्डरायल	डब्लू एस एच	2013–14	नाबार्ड	अन्य कार्य
139	करौली	औड मण्डरायल	कन्टूर बंडिंग	2013–14	नाबार्ड	अन्य कार्य
140	करौली	तीन पोखर ा मण्डरायल	गेवियन	2013–14	नाबार्ड	अन्य कार्य
141	करौली	तीन पोखर ाा मण्डरायल	गेवियन	2013–14	नाबार्ड	अन्य कार्य
142	करौली	गोपालगढ पक्की प्याऊ करौली	पीसीटी	2013–14	नाबार्ड	अन्य कार्य
143	करौली	मालियों की ढाणी गुढाचन्द्रजी	पीसीटी	2013–14	नाबार्ड	अन्य कार्य
144	करौली	बूरवाल फॉर्म पॉण्ड गुढाचन्द्रजी	फॉर्म पॉण्ड	2013–14	नाबार्ड	अन्य कार्य
145	करौली	रेवारी का स्थान गुढाचन्द्रजी	डब्लू एस एच	2013–14	नाबार्ड	अन्य कार्य
146	करौली	नया कुआ ा व ाा (दो नग) गुढाचन्द्रजी	डब्लू एस एच	2013–14	नाबार्ड	अन्य कार्य
147	करौली	नर्सरी सपोटरा	पक्की दीवार	2013–14	टी.एफ.सी.	अन्य कार्य
148	करौली	महावीरजी नर्सरी हिण्डौन	पक्की दीवार	2013–14	टी.एफ.सी.	अन्य कार्य
149	करौली (वन्यजीव)	भीमपुरा नैनियाकी	पक्की दीवार	2013–14	कैम्पा	अन्य कार्य
150	करौली (वन्यजीव)	पालनकी डुमरिया करनपुर	पक्की दीवार	2013–14	कैम्पा	अन्य कार्य
151	करौली (वन्यजीव)	एनीकट टाइप ाा	एनीकट	2013–14	कैम्पा	अन्य कार्य
152	करौली (वन्यजीव)	कैलादेवी ा व ाा	डब्लू एस एच	2013–14	रणथम्भौर फाउण्डेशन	अन्य कार्य
153	करौली (वन्यजीव)	महाराजपुरा करनपुर	पक्की दीवार	2013–14	टी.एफ.सी.	अन्य कार्य
154	करौली (वन्यजीव)	पक्की दीवार मण्डरायल	पक्की दीवार	2013–14	टी.एफ.सी.	अन्य कार्य
155	करौली (वन्यजीव)	मरमदा कैलादेवी	दीवार	2012–13	टी.एफ.सी.	अन्य कार्य

156	करौली (वन्यजीव)	पक्की दीवार डी.एल. टी. मण्डरायल	पक्की दीवार	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	अन्य कार्य
157	भरतपुर	मजाजपुर, बयाना	50	2011–12	कैम्पा	43.10
158	भरतपुर	देवकुण्ड, बयाना	50	2013–14	नाबार्ड	87.54
159	भरतपुर	मटिया पहाड कांमा	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
160	भरतपुर	हाथौडी बयाना	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
161	भरतपुर	बिलोंद कांमा	कन्टूर बंडिंग	2013–14	नाबार्ड	अन्य कार्य
162	भरतपुर	पीरबाबा बौलखेडा कांमा	कन्टूर बंडिंग	2013–14	नाबार्ड	अन्य कार्य
163	भरतपुर	रूंध खो जटेरी डीग	फार्म पॉण्ड	2013–14	नाबार्ड	अन्य कार्य
164	भरतपुर	मुल्लाका मुरार कांमा	कन्टूर बंडिंग	2013–14	नाबार्ड	अन्य कार्य
165	भरतपुर	रेंज कार्यालय नदबई	पक्की दीवार	2013–14	टी.एफ.सी.	अन्य कार्य
166	भरतपुर (वन्यजीव)	पक्की दीवार के.रा. उ. (वन्यजीव) भरतपुर	पक्की दीवार	2012–13	महानरेगा	अन्य कार्य
167	भरतपुर (वन्यजीव)	के.रा.उ. (वन्यजीव) भरतपुर	पक्की दीवार	2013–14	राज्य आयोजना	अन्य कार्य
168	भरतपुर (वन्यजीव)	डब्ल्यू.बी.एम. रोड निर्माण वन्यजीव भरतपुर	डब्ल्यू.बी. एम. रोड	2012–13	राज्य आयोजना	अन्य कार्य
169	भरतपुर (वन्यजीव)	निर्माण वन्यजीव भरतपुर	पक्षी राहत केन्द्र	2013–14	राज्य आयोजना	अन्य कार्य
170	सवाईमाधोपुर	गुबाड़ी, गंगापुर सिटी	50	2011–12	कैम्पा	60.96
171	सवाईमाधोपुर	बांसड़ा, सवाईमाधोपुर	50	2013–14	लघु निर्माण कार्य	65.64
172	सवाईमाधोपुर	दहलोद iii बौंली	50	2013–14	कैम्पा	अग्रिम कार्य
173	सवाईमाधोपुर	पीलाखाल रघुनाथपुरा गंगापुर सिटी	50	2013–14	स्टेट प्लान	अग्रिम कार्य
174	सवाईमाधोपुर	भेडोली सवाईमाधोपुर	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
175	सवाईमाधोपुर	सिरोही सवाईमाधोपुर	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
176	सवाईमाधोपुर	थडौली बौंली	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
177	सवाईमाधोपुर	गोठडा बी बौंली	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
178	सवाईमाधोपुर भू.सं.अ.	उप जल ग्रहण क्षेत्र कुस्तला I (कृषि भूमि)	कन्टूर बंडिंग	2011–12	आर.के.वी.वाई.	अन्य कार्य

179	सवाईमाधोपुर भू.सं.अ.	उप जल ग्रहण क्षेत्र कुस्तला II (कृषि भूमि)	कन्टूर बंडिंग	2011–12	आर.के.वी.वाई.	अन्य कार्य
180	सवाईमाधोपुर भू.सं.अ.	उप जल ग्रहण क्षेत्र बसो खुर्द I (वन भूमि)	कन्टूर बंडिंग	2011–12	आर.के.वी.वाई.	अन्य कार्य
181	सवाईमाधोपुर भू.सं.अ.	उप जल ग्रहण क्षेत्र बसो खुर्द II (वन भूमि)	कन्टूर बंडिंग	2011–12	आर.के.वी.वाई.	अन्य कार्य
182	सवाईमाधोपुर भू.सं.अ.	उप जल ग्रहण क्षेत्र बसो खुर्द III (वन भूमि)	कन्टूर बंडिंग	2011–12	आर.के.वी.वाई.	अन्य कार्य
			भरतपुर			
शत प्रतिशत						
183	धौलपुर	झीरी–।। सरमथुरा	50	2013–14	नाबार्ड	61.13
184	धौलपुर	पातरियापुरा, वन विहार	50	2013–14	नाबार्ड	63.32
185	धौलपुर	बाले का पुरा, धौलपुर	25	2012–13	भू संरक्षण	67.04
186	धौलपुर	भेडे का पुरा, सरमथुरा	50	2013–14	नाबार्ड	71.06
187	धौलपुर	श्रीपाल की घड़ी, राजाखेड़ा	25	2013–14	कैम्पा	78.29
188	धौलपुर	अमानपुरा, सरमथुरा	50	2013–14	नाबार्ड	80.52
189	धौलपुर	भूराखेड़ा–बी, धौलपुर	50	2012–13	कैम्पा	86.55
190	धौलपुर	किला शेरगढ़, धौलपुर	25	2013–14	कैम्पा	93.16
191	करौली	कालीखोहरी, सपोटरा	50	2011–12	कैम्पा	56.54
192	करौली	फुटा तालाब, गुढ़ाचन्द्रजी	50	2013–14	नाबार्ड	63.32
193	करौली	लेदोर, मासलपुर	50	2013–14	नाबार्ड	81.58
194	भरतपुर	बिलोंद, कामां	50	2013–14	नाबार्ड	46.46
195	भरतपुर	दुब्बी, बयाना	75	2010–11	एफ.डी.ए.	47.40
196	भरतपुर	लुहेसर, कांमा	50	2013–14	कैम्पा	62.09
197	भरतपुर	रतनपुरा–। बयाना	50	2013–14	नाबार्ड	64.10
198	भरतपुर	राजपुराभरतपुर	35	2013–14	नाबार्ड	75.40
199	सवाईमाधोपुर	दहलोद–बी, बौली	50	2013–14	कैम्पा	78.60
			जोधपुर			
सेम्पलिंग						
200	बाडमेर	एसडीएस सरुओं की ढाणी, बायतु	15	2013	जलवायु परिवर्तन/एसडीएस	90.94

201	बाडमेर	एसडीएस कुण्डल सिवाना, सिवाना	35	2013	जलवायु परिवर्तन / एसडीएस	92.00
202	बाडमेर	एसडीएस अम्बावाडी, शिव	25	2013	जलवायु परिवर्तन / एसडीएस	94.00
203	सिरोही	मातरमाता क.नं. 42 मनरुपजी का थड़ा, सिरोही	50	2014	कैम्पा	अग्रिम कार्य
204	सिरोही	दरबारी क.नं. 2 लखा का नाला, सिरोही	50	2014	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
205	सिरोही	पहाडकला क.न. 14,22 भादावेरी, पिण्डवाड़ा	22	2014	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य
206	पाली	तीखी माडपुर, देसूरी	60	2011	आरकेवीवाई / एसपी	72.00
207	पाली	बाम्बोलाई, पाली	50	2011	कैम्पा	73.00
208	पाली	रोजड़ा, सुमेरपुर	50	2013	गुगल परियोजना / आरडीएफ–II	76.41
209	पाली	विरमपुरा,देसूरी	20	2013	आर.एफ.बी.पी.	82.85
210	पाली	चौपा की नाल, बाली	50	2013	आर.एफ.बी.पी.	85.00
211	पाली	देव डूंगरी, सोजत	50	2014	एफ.डी.ए.	अग्रिम कार्य
212	पाली	एएनआर उपरला भीमाणा, बाली	60	2014	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य
213	पाली	एस.पी.तणी सी, बाली	55	2014	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य
214	पाली	एस.पी. सादड़ी, देसूरी	100	2014	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य
215	जोधपुर	मण्डलनाथ एएनआर, मण्डोर	50	2013	कैम्पा	81.95
216	जोधपुर	एसडीएस बारनाऊ बालेसर, बालेसर	20	2013	जलवायु परिवर्तन / एसडीएस	88.33
217	जालोर	हातिमताई जोडभागल भीम, भीनमाल	50	2014	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य
218	जालोर	आर.डी.एफ. II कीबला, जसवन्तपुरा	50	2014	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य
219	जैसलमेर	एस.डी.एस. हमीरों की बस्ती बी, सम	35	2013	आर.एफ.बी.पी.	70.30

220	जैसलमेर	बी.पी. जैरात बी, डाबला	9	2013	आर.एफ.बी.पी.	73.17
221	जैसलमेर	बी.पी. रामसर 'डी', डाबला	15	2013	आर.एफ.बी.पी.	77.33
222	आईजीएनपी II जैसलमेर	एसडीएस सोढे खां की ढाणी ईकाई तृतीय	50	2013	आर.एफ.बी.पी.	71.70
223	आईजीएनपी II जैसलमेर	एसपी 178–182 आरडी जीएसबी एलएस ईकाई–पंचम	75	2013	आर.एफ.बी.पी.	72.60
224	आईजीएनपी II जैसलमेर	सीएसपी 240–250 आरडी जीएसबी बीएस, आर.एस. इकाई पंचम	100 आरकेएम	2013	आर.एफ.बी.पी.	73.00
225	आईजीएनपी II जैसलमेर	एसपी रणाऊ बी, ईकाई द्वितीय	50	2013	आर.एफ.बी.पी.	74.00
226	आईजीएनपी II जैसलमेर	सीएसपी 3–9 आरडी एनटीडी, आर.एस. इकाई पंचम	100 आरकेएम	2013	आर.एफ.बी.पी.	74.50
227	आईजीएनपी II जैसलमेर	सी.एस.पी. 0–10 आर.डी. सला माईनर, ईकाई तृतीय	50 आरकेएम	2013	आर.एफ.बी.पी.	77.44
228	आईजीएनपी II जैसलमेर	एसडीएस 15–18 आरडी बीयूडी आरएस ईकाई–पंचम	50	2013	आर.एफ.बी.पी.	80.96
			जोधपुर			
शत प्रतिशत						
229	पाली	नाना भील बस्ती, बाली	50	2011	गुगल परियोजना / आरडीएफ	74.00
230	पाली	प्रतापगढ, सेदड़ा	50	2013	आर.एफ.बी.पी.	84.40
231	जोधपुर	एसडीएस चाडी फलोदी, फलोदी	20	2013	जलवायु परिवर्तन / एसडीएस	87.00
232	जोधपुर	एसडीएस रायसर शेरगढ़, शेरग	25	2013	जलवायु परिवर्तन / एसडीएस	88.40
233	जोधपुर वन्य जीव	माचीय पार्क, जोधपुर वन्य जीव	1800 एमटी	2014	टी.एफ.सी.	अन्य कार्य
234	जैसलमेर	एस.डी.एस. बलदाद की बस्ती डी, सम	25	2013	आर.एफ.बी.पी.	71.70

235	जैसलमेर	बी.पी. रामसर 'ए', डाबला	25	2013	आर.एफ.बी.पी.	75.80
236	आईजीएनपी II जैसलमेर	बीपी 125–127 आरडी जीएसबी एलसी,आर.एस. इकाई पंचम	25	2013	आर.एफ.बी.पी.	73.60
237	आईजीएनपी II जैसलमेर	एसडीएस243–245 आरडी जीएसबी एलएस, आर.एस. इकाई पंचम	60	2013	आर.एफ.बी.पी.	75.30
			जयपुर			
सेम्पलिंग						
238	झुन्झुनू	आर.डी.एफ. धनावता गोरिया, उदयपुरवाटी	50	2013–14	कैम्पा	अग्रिम कार्य
239	झुन्झुनू	डी.एफ.एल. नानूवाली बावडी–4, खेतडी	50	2013–14	कैम्पा	अग्रिम कार्य
240	झुन्झुनू	आर.डी.एफ. गुर्जरों `की ढाणी (लोहार्गल), नवलगढ़	50	2013–14	राष्ट्रीय योजना	अग्रिम कार्य
241	झुन्झुनू	एस.डी.एस.सिगडी, झुन्झुनू	20	2013–14	ज.प.टि.सि.	अग्रिम कार्य
242	झुन्झुनू	ब्लाक प्लान्टेशन परसरामपुरा पुराना, नवलगढ़	15	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य
243	बाघ परियोंजना सरिस्का (अलवर)	ए.एन.आर. पैतपुर, अकबरपुर	90	2013–14	नाबार्ड	75.14
244	बाघ परियोंजना सरिस्का (अलवर)	ए.एन.आर. गुढा–I, तालवृक्ष	50	2013–14	नाबार्ड	85.13
245	सीकर	ए.एन.आर. इमलोहा, नीमकाथाना	50	2011–12	कैम्पा	52.37
246	सीकर	आर.डी.एफ. I महावा, नीमकाथाना	50	2011–12	स्टेटप्लान	66.99
247	सीकर	आर.डी.एफ. कुडी की ढाणी, श्रीमाधोपुर	50	2013–14	स्टेटप्लान	81.53
248	सीकर	ए.एन.आर. चुडला, नीमकाथाना	50	2013–14	कैम्पा	अग्रिम कार्य
249	सीकर	डी.एफ.एल. रुपपुरा, श्रीमाधोपुर	50	2013–14	कैम्पा	अग्रिम कार्य
250	सीकर	एस.डी.एस. रिणाउ, फतेहपुर	50	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य

251	सीकर	एस.डी.एस. गारिण्डा, फतेहपुर	50	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य
252	सीकर	एस.पी. नेच्छवा, लक्ष्मणगढ	50	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य
253	सीकर	आर.डी.एफ.. II सीकर देवगढ	50	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य
254	दौसा	ए.एन.आर. खोरा खुर्द, दौसा	50	2013–14	कैम्पा	अग्रिम कार्य
255	दौसा	ए.एन.आर. एचेडी, बांदीकुई	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
256	दौसा	आर.डी.एफ.. II बिरोंदा, महवा	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
257	दौसा	आर.डी.एफ.. I बहरावण्डा, सिकराय	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
258	दौसा	आर.डी.एफ.. II जहांगीरिया, सिकराय	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
259	दौसा	आर.डी.एफ.. II धौण, लालसोट	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
260	दौसा	ए.एन.आर. एगड जेगड बालाजी, लालसोट	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
261	जयपुर	घाट की गुणी टर्नल,जयपुर प्रादेशिक	5	2013–14	मैट्रो	89.58
262	जयपुर	करणी माता मण्डा भीम का बास, दूद	25	2011–12	टी.एफ.सी.	95.33
263	जयपुर (उत्तर)	आर.डी.एफ. I पीर का तकीया, शाहपुर	50	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	85.13
264	जयपुर (उत्तर)	ए.एन.आर. आंतेला (लिलका), बीलवाडी	50	2013–14	कैम्पा	85.42
265	जयपुर (उत्तर)	आर.डी.एफ. I गुढा बैजनाथपुरा ए, विरोटनगर	50	2013–14	सूमोटो	87.73
266	जयपुर (उत्तर)	आर.डी.एफ. I कांठ (सांगावाला), अचरोल	45	2013–14	सूमोटो	88.16
267	जयपुर (उत्तर)	आर.डी.एफ. II बलेश्वर, विरोटनगर	50	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	93.34
268	अलवर	आर.डी.एफ. I धूलपुरी, अलवर	50	2011–12	टी.एफ.सी.	66.21
269	अलवर	आर.डी.एफ. I दोगडा ए, किशनगढवास	50	2012–14	नाबार्ड	73.18

270	अलवर	आर.डी.एफ. II गढबसई ए, थानागाजी	50	2013–14	नाबार्ड	77.77
271	अलवर	आर.डी.एफ. II कोकीला बी, बहरोड	50	2012–13	नाबार्ड	84.71
272	अलवर	आर.डी.एफ. II माचडी, राजगढ	100	2013–14	नाबार्ड	85.94
273	अलवर	ए.एन.आर. श्रीनगर, राजगढ	50	2013–14	कैम्पा	अग्रिम कार्य
274	अलवर	आर.डी.एफ.I बेरला, लक्ष्मणगढ	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
275	अलवर	ए.एन.आर. बघोर, किशनगढवास	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
276	अलवर	आर.डी.एफ.I घाटल, अलवरा	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
277	अलवर	आर.डी.एफ.II बहरोज, बहरोड	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
278	अलवर	आर.डी.एफ.I काबलीगढ, थानागाजी	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
			जयपुर			
शत प्रतिशत						
279	बाघ परियोंजना सरिस्का (अलवर)	ए.एन.आर. राजडोली, टहला	50	2013–14	नाबार्ड	80.33
280	सीकर	ए.एन.आर. दरिबा, नीमकाथाना	50	2012–13	एफ.डी.ए.	61.56
281	सीकर	एस.बी. मलसीवास,लक्ष्मणगढ	12	2011–12	सी.डी.पी.	83.83
282	सीकर	ए.एन.आर. रलावता, दांता	50	2013–14	एफ.डी.ए.	84.98
283	जयपुर	आर.डी.एफ. I जयसिंहपुरा खोर ,जयपुर प्रादेशिक	70	2011–12	ए.सी.ए.	47.71
284	जयपुर	एफ.डब्ल्यू.पी. ममाणा, दूद	50	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	84.59
285	जयपुर	आर.डी.एफ. II भैरुजी सोरठा का बास, दूद	50	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	89.54
286	जयपुर (उत्तर)	सी.ए. बुचारा, कोटपुतली	50	2011–12	कैम्पा	53.54

287	जयपुर (उत्तर)	आर.डी.एफ. I बिच्छावाला बी, विरोटनगर	50	2013–14	सूमोटो	79.76
288	जयपुर (उत्तर)	आर.डी.एफ. I सिरोही नाकावाला	60	2012–13	सूमोटो	80.96
289	जयपुर (उत्तर)	आर.डी.एफ. I बिशनगढ ए, शाहपुरा	50	2013–14	सूमोटो	81.38
290	जयपुर (उत्तर)	आर.डी.एफ. I फतेहपुरा, कोटपुतली	50	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	87.93
291	अलवर	आर.डी.एफ. II गोल II बी, किशनगढवास	50	2012–13	नाबार्ड	15.27
292	अलवर	आर.डी.एफ. I मालूताना, थानागाजी	50	2011–12	गूगल परियोजना	18.02
293	अलवर	आर.डी.एफ. II मानकपुर II लक्ष्मणगढ	50	2013–14	नाबार्ड	55.00
294	अलवर	आर.डी.एफ. II पंचपहाडी, बहरोड	50	2012–13	कैम्पा	70.93
295	अलवर	आर.डी.एफ. I नादनहेडी, अलवर	50	2012–14	नाबार्ड	78.83
		कोटा				
सेम्पलिंग						
296	झालावाड़	मानकुण्डा–III, असनावर	50	2013–14	आर.डी.एफ.	37.48
297	झालावाड़	हरिपुरा, झालावाड़	50	2013–14	नाबार्ड	65.00
298	झालावाड़	देवगढ़, डग	50	2013–14	नाबार्ड	67.00
299	झालावाड़	काजलीकोटड़ा, मनोहरथाना	50	2013–14	नाबार्ड	71.44
300	झालावाड़	रीछवा, बकानी	50	2013–14	कैम्पा	84.00
301	झालावाड़	खेडीबोसर–II आर. डी.एफ.–II, श्खानपुर	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
302	झालावाड़	नन्दपुर, डग	50	2013–14	अनु.जाति विशिष्ठ संगठक योजना	अग्रिम कार्य
303	बारां	हथियादेह–डी, किशनगंज	50	2013–14	एफ.डी.ए.	अग्रिम कार्य
304	बारां	मण्डखौ हनुमान बी, छबड़ा	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
305	बारां	दीगोद जागीर–बी, छिपाबड़ोद	45	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
306	बारां	धूमेन–डी, अटरू	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य

307	बारां	कुजाय, छाहबाद	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
308	बारां	गणेशपुरा–ई, केलवाड़ा	50	2013–14	आरडीएफ (आयोजना)	अग्रिम कार्य
309	बून्दी	आवंकाखेड़ा, नैनवा	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
310	बून्दी	गुवार–डी, डाबी	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
311	बून्दी	जजावर–बी, नैनवा	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
312	बून्दी	उमरमाता, हिण्डोली	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
313	बून्दी	पापड़ी–सी, इन्द्रगढ़	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
314	बून्दी	सथूर–सी, बन्दी	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
315	कोटा	सावनभादो–II, कनवास	50	2012–13	कैम्पा	47.71
316	कोटा	रामपुरिया, मोड़क	50	2012–13	नाबार्ड	69.00
317	कोटा	आटोन–बी, सुल्तानपुर	50	2013–14	नाबार्ड	72.00
318	कोटा	निमोदा हरजी–ई, सुल्तानपुर	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
319	कोटा	रामतलाई व अ–4, मण्डाना	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
320	कोटा	कोला, मोड़क	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
321	कोटा	किशोरपुरा–II, कनवास	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
322	कोटा	मियाना, खातोली	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
323	कोटा	पुसोद, इटावा	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
324	कोटा	रानपुर, लाड़पुरा	50	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
325	कोटा	डाढदेवी–II, लाड़पुरा	सीएडी एफ.एल	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
326	कोटा	किशारेपुरा–III, कनवास	50	2013–14	आर डी एफ	अग्रिम कार्य
327	वन्य जीव कोटा	पाडाझर कोलगझढ़, बादरमूथा,	50	2013–14	सी.एस.एस.	अन्य कार्य
328	वन्य जीव कोटा	नीमड़ी बादरमूथा, कालाखेत, पाडाझर कोलगढ़, भैसरोडगढ़	50	2013–14	सी.एस.एस.	अन्य कार्य
329	वन्य जीव कोटा	खटकड़, रामगढ़	50	2013–14	आरपेक्स	अन्य कार्य

330	वन्य जीव कोटा	पीपलिया चौकी के सामने, रामगढ़	50	2013–14	आरपेक्स	अन्य कार्य
331	वन्य जीव कोटा	बजालिया, रामगढ़	50	2013–14	आरपेक्स	अन्य कार्य
332	वन्य जीव कोटा	पाडाझर महादेव, भैसरोडगढ़	50	2013–14	आरपेक्स	अन्य कार्य
			कोटा			
शत प्रतिशत						
333	झालावाड़	कोलवी, डग	50	2011–12	केम्पा	58.00
334	झालावाड़	देवखोह, अकलेरा	50	2013–14	नाबार्ड आर.डी.एफ.–I	58.04
335	झालावाड़	मानकुण्डा–II, असनावर	50	2013–14	नाबार्ड ए.एन.आर.	59.25
336	झालावाड़	दहीखेड़ा, अकलेरा	50	2013–14	नाबार्ड	64.20
337	झालावाड़	सेमलीखान, पिड़ावा	50	2012–13	नाबार्ड	65.62
338	झालावाड़	दुर्जनपुरा, खानपुरा	50	2013–14	नाबार्ड	67.00
339	झालावाड़	आमेठा घाटी–I, असनावर	50	2013–14	कैम्पा	अग्रिम कार्य
340	बून्दी	जेतपुर, नैनवा	1–पीसीटी	2013–14	नाबार्ड	अन्य कार्य
341	बून्दी	गरडदा, डाबी	2 गेबिन	2013–14	नाबार्ड	अन्य कार्य
342	बून्दी	गूंथा, इन्द्रगढ़	3 गेबिन	2013–14	नाबार्ड	अन्य कार्य
343	बून्दी	जैतपुर, नैनवा	1 गेबिन	2013–14	नाबार्ड	अन्य कार्य
344	बून्दी	डोलर, के. पाटन	1 डब्ल्यू. एच.एस.	2013–14	नाबार्ड	अन्य कार्य
345	बून्दी	सलावलिया, हिण्डोली	1 डब्ल्यू. एच.एस.	2013–14	नाबार्ड	अन्य कार्य
346	बून्दी	डोलर, के. पाटन	1 डब्ल्यू. एच.एस.	2013–14	नाबार्ड	अन्य कार्य
347	बून्दी	सलावलिया, हिण्डोली	1 डब्ल्यू. एच.एस.	2013–14	नाबार्ड	अन्य कार्य
348	बून्दी	जेतपुर, नैनवा	1 डब्ल्यू. एच.एस.	2013–14	नाबार्ड	अन्य कार्य
349	बून्दी	ख्यावदा, के. पाटन	150 कन्टूरबण्ड	2013–14	नाबार्ड	अन्य कार्य
350	बून्दी	खविदा, इन्द्रगढ़	81 कन्टूरबण्ड	2013–14	नाबार्ड	अन्य कार्य
351	बून्दी	बिशनपुर, बून्दी	34 कन्टूरबण्ड	2013–14	नाबार्ड	अन्य कार्य

352	बून्दी	आवंकाखेड़ा, नैनवा	26 कन्टूरबण्ड	2013–14	नाबार्ड	अन्य कार्य
353	बून्दी	डाटून्दा, हिण्डोली	48 कन्टूरबण्ड	2013–14	नाबार्ड	अन्य कार्य
354	बून्दी	गरडदा, डाबी	63 कन्टूरबण्ड	2013–14	नाबार्ड	अन्य कार्य
355	बून्दी	बिशनपुर, बून्दी	1 एफ.पी.	2013–14	नाबार्ड	अन्य कार्य
356	बून्दी	जेतपुर, नैनवा	1 एफ.पी.	2013–14	नाबार्ड	अन्य कार्य
357	बून्दी	जेतपुर, नैनवा	1 एफ.पी.	2013–14	नाबार्ड	अन्य कार्य
358	बून्दी	बिशनपुरा, बून्दी	1 एफ.पी.	2013–14	नाबार्ड	अन्य कार्य
359	कोटा	सीमल्या–डी, कनवास	50	2011–12	नाबार्ड़	35.14
360	कोटा	खण्डगांव–ए, सुल्तानपुर	50	2013–14	आर.डी.एफ.–I	43.24
361	कोटा	मिठोड दुर्जनपुरा, इटावा	50	2013–14	नाबार्ड	52.50
362	कोटा	फाट का डाबरा, मण्डाना	50	2013–14	नाबार्ड	63.85
363	कोटा	केसराफूटा–I, लाड़पुरा	50	2013–14	नाबार्ड	70.50
364	कोटा	केसराफूटा–II, लाड़पुरा	50	2013–14	नाबार्ड	78.50
365	वन्य जीव कोटा	हनुमन्त वाटिका, रामगढ़	50	2013–14	कैम्पा	अन्य कार्य
366	वन्य जीव कोटा	किशनपुरा भाटीवाला, शेरगढ़	50	2013–14	केम्पा	अन्य कार्य
367	वन्य जीव कोटा	योपुरिया की बावड़ी, रामगढ़	50	2013–14	केम्पा	अन्य कार्य
368	वन्य जीव कोटा	नाला नक्टा का खल्ला पाडाझर, भैसरोडगढ़	50	2013–14	सी.एस.एस.	अन्य कार्य
369	वन्य जीव कोटा	बारापाटी–ए–II, शेरगढ़	50	2013–14	नाबार्ड	अन्य कार्य
370	वन्य जीव कोटा	कान्याखान, भैसरोडगढ़	50	2013–14	नाबार्ड	अन्य कार्य
371	वन्य जीव कोटा	जालखो, रामगढ़	50	2013–14	नाबार्ड	अन्य कार्य
372	वन्य जीव कोटा	जेतपुर रेंज परिसर, रामगढ़	50	2013–14	टी.एफ.सी.	अन्य कार्य
373	वन्य जीव कोटा	ैअभेड़ा बायोलोजिकल,	12	2013–14	टी.एफ.सी.	अन्य कार्य

		अभैड़ा				
374	वन्य जीव कोटा	ठण्डी झिरी, रामगढ़	50	2013–14	टी.एफ.सी.	अन्य कार्य
			उदयपुर			
सेम्पलिंग						
375	बाँसवाड़ा	फाटीखान कुशलपुरा, गढ़ी	50 हे.	2011–12	कैम्पा	71.40
376	बाँसवाड़ा	सिंगपुरा (कडेलिया), बाँसवाड़ा	50 हे.	2012–13	एफ.डी.ए.	81.38
377	बाँसवाड़ा	रतनमाल, डूँगरा	50 हे.	2011–12	टी.ए.डी. योजना	81.49
378	बाँसवाड़ा	बिहारीपुरा–।। कुशलगढ़	50 हे.	2012–13	एफ.डी.ए.	88.00
379	बाँसवाड़ा	तबियाफला गमाना, बागीदौरा	50 हे.	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	89.90
380	बाँसवाड़ा	नाल ढ़ेबरी, बागीदौरा	50 हे.	2013–14	राज्य योजना	92.30
381	बाँसवाड़ा	गणाऊ भोजिया सामरिया, बाँसवाड़ा	50 हे.	2013–14	एफ.डी.ए.	अग्रिम कार्य
382	बाँसवाड़ा	जगमेर जोगीमाल क. न.23, घोटोल	50 हे.	2012–13	एफ.डी.ए.	अग्रिम कार्य
383	बाँसवाड़ा	कारमी मस्काबड़ा, डूँगरा	50 हे.	2013–14	एफ.डी.ए.	अग्रिम कार्य
384	बाँसवाड़ा	चरकनी–बी, डूँगरा	50 हे.	2013–14	कैम्पा	अग्रिम कार्य
385	बाँसवाड़ा	गरजिया मगरा, घोटोल	100 हे.	2013–14	राष्ट्रीय बांस मिशन	अग्रिम कार्य
386	बाँसवाड़ा	सतबीड़िया क.न.8, घोटोल	50 हे.	2013–14	राष्ट्रीय बांस मिशन	अग्रिम कार्य
387	बाँसवाड़ा	कारमी–डी, कुशलगड़	50 हे.	2013–14	राज्य योजना	अग्रिम कार्य
388	बाँसवाड़ा	शेरगढ़ किलेवाला, बागीदौरा	50 हे.	2013–14	टी.ए.डी. योजना	अग्रिम कार्य
389	बाँसवाड़ा	हल्दूपाड़ा, कुशलगढ़	50 हे.	2013–14	टी.ए.डी. योजना	अग्रिम कार्य
390	बाँसवाड़ा	वडलीपाडा II, कुशलगढ़	50 हे.	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य
391	बाँसवाड़ा	कोयानवापाडा II, कुशलगढ़	50 हे.	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य
392	बाँसवाड़ा	मथुराखाली, कुशलगढ़	50 हे.	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य
393	बाँसवाड़ा	देलवाड़ा पी.ई.ओ., घोटोल	50 हे.	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य

394	बाँसवाड़ा	दौलतगढ़ नवाघरा, गढ़ी	50 हे.	2013–14	आर.डी.एफ.–I	अग्रिम कार्य
395	बाँसवाड़ा	दूदका, घोटोल	50 हे.	2013–14	आर.डी.एफ.–I	अग्रिम कार्य
396	बाँसवाड़ा	खजूरी भमरियापाडा, बाँसवाड़ा	50 हे.	2013–14	आर.डी.एफ.–I	अग्रिम कार्य
397	बाँसवाड़ा	डाबरी छोटी, बागीदौरा	50 हे.	2013–14	आर.डी.एफ.–II	अग्रिम कार्य
398	चित्तौड़गढ़	जलसागर, बेंगू	50 हे.	2013–14	कैम्पा	अग्रिम कार्य
399	चित्तौड़गढ़	दूधी तलाई, जावदा	50 हे.	2013–14	राष्ट्रीय बांस मिशन	अग्रिम कार्य
400	चित्तौड़गढ़	नगपुरा, बोराव	50 हे.	2013–14	राष्ट्रीय बांस मिशन	अग्रिम कार्य
401	चित्तौड़गढ़	घटाटोप–सी, विजयपुर	500 हे.	2013–14	नाबार्ड़	अग्रिम कार्य
402	चित्तौड़गढ़	मैथड़ा की ढ़ाणी, बेंगू	50 हे.	2013–14	नाबार्ड़	अग्रिम कार्य
403	चित्तौड़गढ़	खातीखेड़ा का बाडिया, रावतभाटा	50 हे.	2013–14	नाबार्ड़	अग्रिम कार्य
404	चित्तौड़गढ़	भाण्ड़ा, निम्बाहेड़ा	50 हे.	2013–14	नाबार्ड़	अग्रिम कार्य
405	चित्तौड़गढ़	भाण्ड़ा कुड़ी, जावदा	50 हे.	2013–14	नाबार्ड़	अग्रिम कार्य
406	चित्तौड़गढ़	मोडिया मगरा, कपासन	50 हे.	2013–14	नाबार्ड़	अग्रिम कार्य
407	चित्तौड़गढ़	हाँसला–2, चित्तौड़गढ़	45 हे.	2013–14	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
408	प्रतापगढ़	चिकलाड, देवगढ़	50 हे.	2012	एफ.डी.ए.	69.98
409	प्रतापगढ़	मूँगाणा ए.एन.आर., धरियावद	50 हे.	2011	कैम्पा	70.17
410	प्रतापगढ़	बहेड़ाघाटा, देवगढ़	50 हे.	2013	नाबार्ड़	74.73
411	प्रतापगढ़	दासगुड़ा–V, धरियावद	50 हे.	2012	एफ.डी.ए.	76.00
412	प्रतापगढ़	केलीवाली खोरी, प्रतापगढ	50 हे.	2013	नाबार्ड़	81.49
413	प्रतापगढ़	आडावेला, धरियावद	50 हे.	2013	नाबार्ड़	82.00
414	प्रतापगढ़	देवलिया, बाँसी	50 हे.	2013	नाबार्ड़	83.00
415	प्रतापगढ़	कचुम्बरा, बाँसी	50 हे.	2013	राष्ट्रीय बांस मिशन	85.00
416	प्रतापगढ़	बोरी वाणघाटी, पीपलखूँट	50 हे.	2013	नाबार्ड़	85.51

417	प्रतापगढ़	केड़भग्गा आर.डी.एफ. –II, प्रतापगढ	50 हे.	2013	नाबार्ड़	86.00
418	प्रतापगढ़	औषधीय भँवरमाता टाईप–3, छोटीसादड़ी	100 हे.	2012	राष्ट्रीय बांस मिशन	87.82
419	प्रतापगढ़	पानडिया–I आर.डी. एफ. II, पीपलखूँट	50 हे.	2013	नाबार्ड़	88.00
420	प्रतापगढ़	कोतवाल, प्रतापगढ़	50 हे.	2013–14	एफ.डी.ए.	अग्रिम कार्य
421	प्रतापगढ़	हांडिया केसर, छोटीसादड़ी	50 हे.	2013–14	कैम्पा	अग्रिम कार्य
422	प्रतापगढ़	चिरवा बांस मिशन, देवगढ़	50 हे.	2013–14	राष्ट्रीय बांस मिशन	अग्रिम कार्य
423	प्रतापगढ़	रूपलीमाता–II, देवगढ़	50 हे.	2013–14	राज्य योजना	अग्रिम कार्य
424	प्रतापगढ़	शक्करकन्द–III, धरियावद	44 हे.	2013–14	राज्य योजना	अग्रिम कार्य
425	प्रतापगढ़	तलाया, प्रतापगढ़	50 हे.	2013–14	राज्य योजना	अग्रिम कार्य
426	प्रतापगढ़	काबरामगरा– II, बाँसी	50 हे.	2013–14	नाबार्ड़	अग्रिम कार्य
427	प्रतापगढ़	लसाड़िया, बाँसी	50 हे.	2013–14	नाबार्ड़	अग्रिम कार्य
428	प्रतापगढ़	वेपरा कुण्ड़ी, बाँसी	50 हे.	2013–14	नाबार्ड़	अग्रिम कार्य
429	प्रतापगढ़	पानीघट्टा, देवगढ़	50 हे.	2013–14	नाबार्ड़	अग्रिम कार्य
430	प्रतापगढ़	फूलदा–II, देवगढ़	50 हे.	2013–14	नाबार्ड़	अग्रिम कार्य
431	प्रतापगढ़	हुडाबावजी, पीपलखूँट	50 हे.	2013–14	नाबार्ड़	अग्रिम कार्य
432	प्रतापगढ़	पानडिया धारणा, पीपलखूँट	50 हे.	2013–14	नाबार्ड़	अग्रिम कार्य
433	प्रतापगढ़	नायनबड़लीखेड़ा–III, पीपलखूँट	50 हे.	2013–14	नाबार्ड़	अग्रिम कार्य
434	प्रतापगढ़	गोठड़ा, धरियावद	50 हे.	2013–14	नाबार्ड़	अग्रिम कार्य
435	प्रतापगढ़	कालीछापर II, धरियावद	50 हे.	2013–14	नाबार्ड़	अग्रिम कार्य
436	राजसमन्द	जिलोला, राजसमन्द	25 हे.	2012–13	एफ.डी.ए.	42.39
437	राजसमन्द	बोर की नाल, कुम्भलगढ़	45 हे.	2012–13	राष्ट्रीय बांस मिशन	75.05
438	राजसमन्द	सर, नाथद्वारा	50 हे.	2011–12	कैम्पा	83.13
439	राजसमन्द	बापड़ा, नाथद्वारा	20 हे.	2013–14	नाबार्ड़	91.13
440	राजसमन्द	आमनेर, भीम	50 हे.	2013–14	एफ.डी.ए.	अग्रिम कार्य

441	राजसमन्द	खेड़ा, कुम्भलगढ़	50 हे.	2013–14	नाबार्ड़	अग्रिम कार्य
442	उदयपुर	सेरा, झाड़ोल	75 हे.	2013–14	एफ.डी.ए.	अग्रिम कार्य
443	उदयपुर	रिसाला–ए, उदयपुर पश्चिम	50 हे.	2013–14	कैम्पा	अग्रिम कार्य
444	उदयपुर	सेनवाड़ा–ई, गोगुन्दा	50 हे.	2013–14	कैम्पा	अग्रिम कार्य
445	उदयपुर	कागदर भाटिया, खैरवाड़ा	50 हे.	2013–14	राज्य योजना	अग्रिम कार्य
446	उदयपुर	होली मगरा, सलुम्बर	60 हे.	2013–14	राज्य योजना	अग्रिम कार्य
447	उदयपुर	नयाखोला, फलासिया	50 हे.	2013–14	नाबार्ड़	अग्रिम कार्य
448	उदयपुर	नवाफला जावर, परसाद	50 हे.	2013–14	नाबार्ड़	अग्रिम कार्य
449	उदयपुर	पारणा दर्रा, सराड़ा	50 हे.	2013–14	नाबार्ड़	अग्रिम कार्य
450	उदयपुर	रजोल करजी, खैरवाड़ा	50 हे.	2013–14	नाबार्ड़	अग्रिम कार्य
451	उदयपुर	कुकड़ा–ए, सलुम्बर	50 हे.	2013–14	नाबार्ड़	अग्रिम कार्य
452	उदयपुर	मायदा–ए, कुराबड़	50 हे.	2013–14	नाबार्ड़	अग्रिम कार्य
453	उदयपुर	बोरीमलान, परसाद	100 हे.	2013–14	टी.ए.डी. योजना	अग्रिम कार्य
454	उदयपुर	सूरजबारा, ओगणा	50 हे.	2013–14	टी.ए.डी. योजना	अग्रिम कार्य
455	उदयपुर (उत्तर)	मायरा की धूणी–बी, उदयपुर सा.वा.	50 हे.	2013–14	राज्य योजना	अग्रिम कार्य
456	उदयपुर (उत्तर)	पेमला कुई, भीण्डर	50 हे.	2013–14	राज्य योजना	अग्रिम कार्य
457	उदयपुर (उत्तर)	पीपलमाल, देवला	50 हे.	2013–14	नाबार्ड़	अग्रिम कार्य
458	उदयपुर (उत्तर)	तोरणा–I, देवला	50 हे.	2013–14	नाबार्ड़	अग्रिम कार्य
459	उदयपुर (उत्तर)	सुबरा–सुबरी–3, कोटड़ा	50 हे.	2013–14	नाबार्ड़	अग्रिम कार्य
460	उदयपुर (उत्तर)	तिनसारा–24, कूकावास	50 हे.	2013–14	नाबार्ड़	अग्रिम कार्य
461	उदयपुर (उत्तर)	सिंहाड़–7, भीण्ड़र	50 हे.	2013–14	नाबार्ड़	अग्रिम कार्य
462	उदयपुर (उत्तर)	मोटामगरा, उदयपुर सा.वा.	75 हे.	2013–14	नाबार्ड़	अग्रिम कार्य
463	उदयपुर (उत्तर)	वालोलिया, सायरा	50 हे.	2013–14	नाबार्ड़	अग्रिम कार्य
464	उदयपुर (उत्तर)	पाटिया–बी, गोगुन्दा	50 हे.	2013–14	नाबार्ड़	अग्रिम कार्य

465	डूँगरपुर	चारवाड़ा, सीमलवाड़ा गोइया गंधवा	90 हे.	2011–12	टी.ए.डी. योजना	61.71
466	डूँगरपुर	कालापाणा, बिछीवाड़ा	50 हे.	2011–12	कैम्पा	70.54
467	डूँगरपुर	मोर डूँगरा, सीमलवाड़ा	50 हे.	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	82.05
468	डूँगरपुर	फलिहोर, आसपुर क. न.प	50 हे.	2013–14	राज्य योजना	97.13
469	डूँगरपुर	टिकमात, आसपुर	50 हे.	2013–14	एफ.डी.ए.	अग्रिम कार्य
470	डूँगरपुर	संचिया क.नं.1, बिछीवाड़ा	50 हे.	2013–14	कैम्पा	अग्रिम कार्य
471	डूँगरपुर	मृगतालाब क.नं. 8, आंतरी	50 हे.	2013–14	राष्ट्रीय बांस मिशन	अग्रिम कार्य
472	डूँगरपुर	राणीझूला (जुडा), डूँगरपुर	50 हे.	2013–14	राज्य योजना	अग्रिम कार्य
473	डूँगरपुर	आंतरी क.नं.3 बीचकाफला सुराता, आंतरी	45 हे.	2013–14	टी.ए.डी. योजना	अग्रिम कार्य
474	डूँगरपुर	संचिया–2, बिछीवाड़ा	50 हे.	2013–14	टी.ए.डी. योजना	अग्रिम कार्य
475	डूँगरपुर	अम्बाड़ा, सीमलवाड़ा	50 हे.	2013–14	टी.ए.डी. योजना	अग्रिम कार्य
476	डूँगरपुर	आडावेला (गोवाड़ी), सागवाड़ा	50 हे.	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य
477	डूँगरपुर	जोहरा, सागवाड़ा	50 हे.	2013–14	आर.एफ.बी.पी.	अग्रिम कार्य
			उदयपुर			
शत प्रतिशत						
478	बाँसवाड़ा	धावड़िया तोरणा, गढ़ी	50 हे.	2011–12	कैम्पा	73.50
479	बाँसवाड़ा	रोहालपनासी, गढ़ी	50 हे.	2012–13	कैम्पा	78.34
480	बाँसवाड़ा	महादेव खरोड़ी, बागीदौरा	50 हे.	2011–12	टी.ए.डी. योजना	82.00
481	बाँसवाड़ा	राहोल उण्ड़वेला, घोटोल	50 हे.	2013–14	राज्य योजना	87.60
482	बाँसवाड़ा	काचला, डूँगरा	50 हे.	2013–14	राज्य योजना	88.50
483	बाँसवाड़ा	पण्ड़वाल, डूँगरा	34 हे.	2013–14	राष्ट्रीय बांस मिशन	90.55
484	प्रतापगढ़	एसीए रामपुरिया तेरहवां वित्त आयोग, धरियावद	50 हे.	2011	राज्य योजना	49.00
485	प्रतापगढ़	टीला–1, देवगढ़	50 हे.	2013	नाबार्ड़	72.00
486	प्रतापगढ़	मोकाटोंक आर.डी. एफ. I, धरियावद	50 हे.	2013	नाबार्ड़	74.32

487	प्रतापगढ़	उमरकोटा, बाँसी	100 हे.	2011	राष्ट्रीय बांस मिशन	79.00
488	प्रतापगढ़	बोरखेड़ी, छोटीसादड़ी	50 हे.	2013	नाबार्ड़	80.05
489	प्रतापगढ़	मंगलखोरा आर.डी. एफ.–II, धरियावद	50 हे.	2013	नाबार्ड़	80.33
490	प्रतापगढ़	खूँता, धरियावद	50 हे.	2013	नाबार्ड़	82.00
491	प्रतापगढ़	धार, बाँसी	50 हे.	2013	नाबार्ड़	82.00
492	प्रतापगढ़	चरपोटिया, धरियावद	50 हे.	2013	नाबार्ड़	85.00
493	प्रतापगढ़	सागबारी भूतखोरा, पीपलखूँट	50 हे.	2013	नाबार्ड़	86.00
494	प्रतापगढ़	कल्याणपुरा ए.एन. आर., छोटीसादड़ी	50 हे.	2012	कैम्पा	88.47
495	प्रतापगढ़	मूँगाणा–2, धरियावद	50 हे.	2013	नाबार्ड़	89.00
496	राजसमन्द	बिनौल, राजसमन्द	50 हे.	2010–11	एफ.डी.ए.	18.62
497	राजसमन्द	जैतारण, कुम्भलगढ़	50 हे.	2011–12	राष्ट्रीय बांस मिशन	68.46
498	राजसमन्द	शम्भूरिया, भीम	50 हे.	2013–14	नाबार्ड़	75.29
499	राजसमन्द	बलीचा, नाथद्वारा	40 हे.	2012–13	एफ.डी.ए.	77.20
500	राजसमन्द व.जी.	बगेड़ी, बीजागुड़ा	15 हे.	2012–13	हैबीटाट इम्प्रुवमेण्ट	51.80
501	राजसमन्द व.जी.	राइडों का बाण, रावली	50 हे.	2012–13	कैम्पा	68.70
502	राजसमन्द व.जी.	संग्रामनाड़ी, देसूरी रेंज	25 हे.	2012–13	सी.एस.एस.	78.81
503	राजसमन्द व.जी.	भाखरा तालाब, बोखाड़ा	50 हे.	2012–13	नाबार्ड़	83.60
504	राजसमन्द व.जी.	डवलपमेण्ट ऑफ केम्पिंग साईट, सादड़ी	––	2012–13	इको टयूरिज्म	अन्य कार्य
505	राजसमन्द व.जी.	वॉच टॉवर निर्माण, सादड़ी	––	2012–13	इको टयूरिज्म	अन्य कार्य
506	राजसमन्द व.जी.	वॉच टॉवर निर्माण, जोजावर	––	2012–13	इको टयूरिज्म	अन्य कार्य
507	राजसमन्द व.जी.	ट्रेकिंग पाथ दिवेर से जाम्बूमाता, भीम	––	2012–13	इको टयूरिज्म	अन्य कार्य
508	राजसमन्द व.जी.	एड़वेंचर रिक्रियेशन कार्य, भीम	––	2012–13	इको टयूरिज्म	अन्य कार्य

509	राजसमन्द व.जी.	सतपालिया पक्की दीवार, कुम्भलगढ़	––	2012–13	कैम्पा	अन्य कार्य
510	राजसमन्द व.जी.	बगेड़ी, बीजागुड़ा	5 हे.	2012–13	सी.एस.एस.	अन्य कार्य
511	राजसमन्द व.जी.	महावतों का गुड़ा एनिकट I, कुम्भलगढ़	––	2012–13	नाबार्ड़	अन्य कार्य
512	राजसमन्द व.जी.	कूकावन परकोलेशन टेंक I, कुम्भलगढ़	––	2012–13	नाबार्ड़	अन्य कार्य
513	राजसमन्द व.जी.	बायोडायवर्सिटी क्लोजर आम्बाचौरा, बोखाड़ा वन्यजीव	27 हे.	2012–13	आर.एफ.बी.पी.	अन्य कार्य
514	डूँगरपुर	सूलियाबेणका, आसपुर	50 हे.	2011–12	राष्ट्रीय बांस मिशन	46.01

वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभागीय कार्यो के मूल्यांकन की स्थिति सम्भागवार / मण्डलवार

क्र. सं.	नाम संभाग	नाम वन मंडल	मूल्यांकन पद्धति(100 प्रतिशत अथवा 10 प्रतिशत)	जीवितता प्रतिशत की साइटो की सख्या					अग्रिम कार्यो की साइटो की सख्या	अन्य कार्य (स्थायी नर्सरी, एनिकट, इकोरेस्टोरेशन वाल, बाउन्ड्री पिलर्स,वाच टावर्स आदि)	योग
				40 प्रतिशत से कम	40–60 प्रतिशत	60–80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	योग			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	**जयपुर**	जयपुर उत्तर	100	0	0	1	0	1	0	0	1
			10	0	2	0	0	2	0	0	2
		सीकर	100	0	0	1	1	2	0	0	2
			10	0	0	1	1	2	0	0	2
		झुन्झुनू	100	0	1	0	0	1	0	0	1
			10	0	0	1	0	1	0	0	1
		दौसा	100	3	1	5	0	9	0	0	9
			10	0	2	2	0	4	4	0	8
		अलवर	100	1	2	3	0	6	0	0	6
			10	0	4	1	0	5	0	0	5
योग जयपुर संभाग				**4**	**12**	**15**	**2**	**33**	**4**	**0**	**37**
2	**कोटा**	कोटा	100	0	1	0	0	1	0	0	1
			10	0	1	0	0	1	0	0	1
		बारां	100	0	6	1	0	7	0	0	7
			10	0	6	3	0	9	0	0	0
		झालावाड	100	0	2	1	0	3	0	0	3
			10	0	3	2	0	5	0	0	5
		कोटा मुकुन्दरा हिल्स	100	0	1	0	0	1	0	0	1
			10	0	0	0	0	0	0	0	0
योग कोटा संभाग				**0**	**20**	**7**	**0**	**27**	**0**	**0**	**27**
3	**उदयपुर**	चित्तौडगढ	100	0	7	3	0	10	0	1	11
			10	0	2	3	2	7	0	0	7
				0	**9**	**6**	**2**	**17**	**0**	**1**	**18**

योग उदयपुर संभाग		जोधपुर	100	0	0	2	0	2	0	0	2
4	**जोधपुर**		10	0	1	2	0	3	0	0	3
		पाली	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			10	0	0	0	0	0	4	0	4
		सिरोही	100	0	0	1	2	3	0	0	3
			10	0	0	1	1	2	0	0	2
		जैसलमेर	100	0	1	0	0	1	0	0	1
			10	0	1	1	0	2	0	0	2
		जैसलमेर ईगानप–।।	100	0	1	0	0	1	0	0	1
			10	0	1	0	0	1	0	0	1
		जोधपुर वन्यजीव	100	0	0	0	0	0	0	0	0
योग जोधपुर संभाग				**0**	**5**	**7**	**3**	**15**	**4**	0	**19**
5	**भरतपुर**	भरतपुर	100	0	3	0	0	3	0		3
			10	0	2	1	0	3	0		3
		धौलपुर	100	2	1	3	0	6	0		6
			10	1	4	3	0	8	0		8
		करौली	100	1	1	0	0	2	0		2
			10	0	0	1	0	1	1	1	3
		स0 माधौपुर	100	0	2	1	0	3	0		3
			10	0	1	2	0	3	3		6
योग भरतपुर संभाग				**4**	**14**	**11**	**0**	**29**	**4**	**1**	**34**
6	**बीकानेर**	बीकानेर	100	0	0	1	0	1	0		1
			10	0	0	0	2	2	0		2
		छत्तरगढ	100	0	3	0	0	3	0		3
			10	0	0	1	0	1	0		1
		श्रीगंगानगर	100	1	5	0	0	6	0		6
			10	0	2	4	2	8	0		8
		हनुमानगढ	100	0	0	2	0	2	0		2
			10	0	1	1	0	2	0		2

		चूरू	100	0	2	4	1	7	0		7
			10	1	2	0	1	4	0		4
		बीकानेर स्टेज–।।	100	0	3	4	0	7	0		7
			10	0	1	1	0	2	0		2
योग बीकानेर संभाग				**2**	**19**	**18**	**6**	**45**	**0**		**45**
7	**अजमेर**	भीलवाडा	100	0	5	2	0	7	0	0	7
			10	0	2	3	1	6	0	0	6
		अजमेर	100	1	0	0	0	1	0	0	1
			10	0	0	0	0	0	0	0	0
		नागौर	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			10	0	0	0	0	0	0	0	0
		टौंक	100	0	1	0	0	1	0	0	1
			10	0	0	1	0	1	0	0	1
		कुल		1	8	6	1	**16**	0	0	**16**
				11	**87**	**70**	**14**	**182**	**12**	**2**	**196**

वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभागीय कार्यों के मूल्यांकन की स्थिति						
क्र. सं.	नाम वन मण्डल	नाम रेंज	नाम कार्यस्थल	क्षेत्रफल एवं वर्ष	नाम योजना	जीवितता प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
अजमेर						
सेम्पलिंग						
1	भीलवाड़ा	माण्डलगढ़	बडौदिया ब	50 है0, 2014–15	स्टेट प्लान	83.25
2	भीलवाड़ा	जहाजपुर	चवलेश्वर	50 है0, 2014–15	एफ.डी.ए.	46.82
3	भीलवाड़ा	माण्डलगढ़	चितौडिया	50 है0, 2012–13	एफ.डी.ए.	48.7
4	भीलवाड़ा	माण्डलगढ़	केकडिया	50 है0, 2013–14	आर.एफ.बी.पी. –।।	60.4
5	भीलवाड़ा	जहाजपुर	घेवरीया	50 है0, 2014–15	आर.एफ.बी.पी. –।।	65.6
6	भीलवाड़ा	माण्डलगढ़	भोपालगढ	50 है0, 2014–15	आर.एफ.बी.पी. –।।	69.46
7	टोकं	टोकं	सुरजपुरा–।	51 है0, 2013–14	नाबार्ड	73.51
शत प्रतिशत						
8	अजमेर	अजमेर	पालरा गुगल संवर्धन	50 है0, 2009	गुगल संवर्धन	5.94
9	टोंक	टोंक	खेड़ावाली सोहेला	50 है0, 2011–12	टी.एफ.सी.	57.19
10	भीलवाड़ा	माण्डलगढ़	बडवा बी	50 है0, 2012–13	एफ.डी.ए.	54.25
11	भीलवाड़ा	जहाजपुर	रोजियावाला	50 है0, 2012–13	कैम्पा	41.47
12	भीलवाड़ा	जहाजपुर	बेकलियावाला	50 है0, 2014–15	कैम्पा	58.1
13	भीलवाड़ा	माण्डलगढ़	साईमाला	50 है0, 2014–15	कैम्पा	66.16
14	भीलवाड़ा	माण्डलगढ़	मोहनपुरा	50 है0, 2013–14	आर.एफ.बी.पी. –।।	44.05
15	भीलवाड़ा	माण्डलगढ़	देवलीया	50 है0, 2013–14	आर.एफ.बी.पी. –।।	55.06
16	भीलवाड़ा	जहाजपुर	बिजेठा	50 है0, 2013–14	आर.एफ.बी.पी. –।।	78.18
बीकानेर						
सेम्पलिंग						
17	बीकानेर	लूणकरणसर	एसडीएस अर्जुनसर	9.5 है0 2013–14	क्लाईमेंट चेंज	86.31

18	बीकानेर	डूंगरगढ	एसडीएस तोलियासर	32 है0 2013–14	आर.एफ.बी.पी. –।।	83.8
19	बीकानेर स्टेज–।।	ईकाई तृतीय डेलीतलाई	एसडीएस जग्गासर	18 है0 2012–13	जलवायु परिवर्तन	56.77
20	बीकानेर स्टेज–।।	ईकाई चतुर्थ 29 आरडी भूरासर	सीएसपी करणीसर माईनर 0 से टेल	50 आरकेएम 2013–14	आर.एफ.बी.पी. –।।	70.96
21	हनुमानगढ़	रावतसर	सीएसपी–चुली वितरिका 0–28 आरडी (बीएस)	75 आरकेएम 2011–12	रिप्लांटिंग	41.22
22	हनुमानगढ़	पीलीबंगा	सीएसपी–निहालसिंह वाला 0–17 आरडी (बीएस)	50 आरकेएम 2011–12	रिप्लांटिंग	70.19
23	श्रीगंगानगर	बिरधवाल	सीएसपी–आईजीएनपी 375–385 आरडी (एलएस)	100 आरकेएम 2013–14	रिप्लांटिंग	45.84
24	श्रीगंगानगर	विजयनगर	सीएसपी–एपीडी 20–40 आरडी (आर एस)	30 आरकेएम 2012–13	रिप्लांटिंग	52.93
25	श्रीगंगानगर	विजयनगर	सीएसपी–बीएलडी 55–60 आरडी (बीएस)	10 आरकेएम 2012–13	रिप्लांटिंग	64
26	श्रीगंगानगर	घड़साना	बीपी–2जेएसएम	12.5 है0 2012–13	रिप्लांटिंग	70.2
27	श्रीगंगानगर	अनूपगढ़	सीएसपी–के 12–24 आरडी (एलएस)	27 आरकेएम 2012–13	रिप्लांटिंग	70.51
28	श्रीगंगानगर	रावला	सीएसपी–एसकेएम 0–25 आरडी (एलएस)	30 आरकेएम 2012–13	रिप्लांटिंग	71.33
29	श्रीगंगानगर	अनूपगढ़	बीपी–13 एमडी	12.5 है0 2012–13	रिप्लांटिंग	81.2
30	श्रीगंगानगर	बिरधवाल	सीएसपी–आईजीएनपी 320–330 आरडी (एलएस)	100 आरकेएम 2012–13	रिप्लांटिंग	82.88
31	छत्तरगढ़	दन्तौर	एसडीएस 4 के एलडी (ए)	50 है0	आर.एफ.बी.पी. –।।	72.06
32	चूरू	तारानगर	सीएसपी92–95 भामरा	45 आरकेएम	आर.एफ.बी.पी. –।।	35.2
33	चूरू	सुजानगढ	वनीकरण नोरंगसर	10 है0 2011–12	सी.डी.पी.	44.4
34	चूरू	सुजानगढ	वनीकरण खूडी	15 है0 2011–12	सी.डी.पी.	55.33
35	चूरू	सरदारशहर	वनीकरण आशासर	7 है0	सी.डी.पी.	88.28

			शत प्रतिशत			
36	बीकानेर	कोलायत	एसडीएस, पीरजी का धोरा	55 है0 2013–14	आर.एफ.बी.पी. –।।	78.44
37	बीकानेर स्टेज–।।	ईकाई–तृतीय डेलीतलाई	एसडीस खीरसर	18 है0 2012–13	जलवायु परिवर्तन	61.62
38	बीकानेर स्टेज–।।	ईकाई–चतुर्थ 29 आरडी भूरासर	एसडीएस 2 एसएचएम	14 है0 2011–12	कैम्पा	71.74
39	बीकानेर स्टेज–।।	सीडब्लूबी–80 आरडी	एसडीएस फतूवाला	50 है0 2013–14	आर.एफ.बी.पी. –।।	43.49
40	बीकानेर स्टेज–।।	सीडब्लूबी–80 आरडी	एसडीस रावलोतों का तला	35 है0 2013–14	आर.एफ.बी.पी. –।।	53.28
41	बीकानेर स्टेज–।।	ईकाई–सप्तम 961 आरडी	एसडीस कोलासर (बी)	35 है0 2012–13	आर.एफ.बी.पी. –।।	62.74
42	बीकानेर स्टेज–।।	ईकाई–चतुर्थ 29 आरडी भूरासर	सीएसपी तंवरवाल सबमाईनर 0 से टेल	50 आरकेएम 2013–14	आर.एफ.बी.पी. –।।	63.28
43	हनुमानगढ़	नोहर	पीडी धानसिंया	50 है0 2011–12	आर.के.वी.वाई.	67.22
44	हनुमानगढ़	भादरा	पीडी डूंगराना	50 है0 2011–12	आर.के.वी.वाई.	70.19
45	श्रीगंगानगर	सूरतगढ़	सीएसपी–बीपीएन 19–34 आरडी (बीएस)	40 आरकेएम 2011–12	रिप्लांटिंग	23.34
46	श्रीगंगानगर	बिरधवाल	सीएसपी–एएस 10–18 आरडी (आरएस)	25 आरकेएम 2012–13	रिप्लांटिंग	44.73
47	श्रीगंगानगर	रावला	सीएसपी–एएस 321–337 आरडी (आरएस)	40 आरकेएम 2011–12	रिप्लांटिंग	44.9
48	श्रीगंगानगर	विजयनगर	सीएसपी–बीएलएम 20–40 आरडी (बीएस)	30 आरकेएम 2011–12	रिप्लांटिंग	47.86
49	श्रीगंगानगर	बिरधवाल	सीएसपी–आईजीएनपी 258–270 आरडी (एलएस)	100 आरकेएम 2012–13	रिप्लांटिंग	55.9
50	श्रीगंगानगर	रावला	सीएसपी–केएनडी 33–70 आरडी (एलएस)	50 आरकेएम 2012–13	रिप्लांटिंग	58.87
51	बीकानेर स्टेज–।।	सीडब्लूबी–80 आरडी	एसडीएस 1 बीडब्लूएम–जाटों का बेरा (ए)	40 है0 2013–14	आर.एफ.बी.पी. –।।	48.27

52	छत्तरगढ़	बेरियांवली	सीएसपी–बीडब्लूआरएम 0–10 आरडी (बीएस)	18 आरकेएम 2013–14	नॉनप्लान	53.31
53	छत्तरगढ़	दन्तौर	एसडीएस 17 पीबी (ए)	50 है0 2013–14	आर.एफ.बी.पी. –।।	50.43
54	छत्तरगढ़	दन्तौर	एसपीपी–9बीएलडी (सी)	50 है0 2013–14	आर.एफ.बी.पी. –।।	58.7
55	चूरू	सरदारशहर	एसडीएस जोरावरपुरा	15 है0 2013–14	जलवायु परिवर्तन	66.22
56	चूरू	राजगढ	बीपी ददरेवा	20 है0 2013–14	आर.एफ.बी.पी. –।।	63.61
57	चूरू	चूरू	वनीकरण मोतिकाबास	12 है0 2011–12	सी.डी.पी.	42.33
58	चूरू	रतनगढ	वनीकरण सीकराली	27 है0 2011–12	सी.डी.पी.	46.91
59	चूरू	सरदारशहर	भोजासर बडा सैल्टर बैल्ट	12 है0 2012–13	सी.डी.पी.	76.73
60	चूरू	तारानगर	लूणास सी	30 आरकेएम 2011–12	सी.डी.पी.	77.5
61	चूरू	सुजानगढ	वनीकरण मुन्दड़ा	29 है0 2011–12	सी.डी.पी.	91.59
भरतपुर						
सेम्पलिंग						
62	धौलपुर	बाडी	फूसपुरा	50 है0, 2011	कैम्पा	29.37
63	धौलपुर	सरमथुरा	खुशहालपुर	50 है0, 2012	कैम्पा	48.05
64	धौलपुर	धौलपुर	बागसुन्दरपुर ।	50 है0, 2013–14	नाबार्ड	40.65
65	धौलपुर	सरमथुरा	हर्जपुरी	50 है0, 2013–14	नाबार्ड	47.79
66	धौलपुर	वन विहार	गजपुरा–।।।	50 है0, 2014–15	नाबार्ड	53.18
67	धौलपुर	धौलपुर	मालीपुरा	50 है0, 2014–15	नाबार्ड	72.57
68	धौलपुर	सरमथुरा	हीरापुर बी	50 है0, 2014–15	नाबार्ड	77.79
69	धौलपुर	सरमथुरा	रीझौनी प्याऊ	50 है0, 2013–14	नाबार्ड	78.09
70	करौली	मासलपुर	बासवाडी बाउण्ड्री पिलर्स	50 है0, 2012–13	टी.एफ.सी.	अन्य कार्य
71	करौली	करौली	हरजनपुर	50 है0, 2012–13	कैम्पा	61.15

72	करौली	हिंडौन	रूग्गीपुरा एनीकट	50 है0, 2012–13	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
73	भरतपुर	बयाना	लखनपुर	50 है0, 2013–14	नाबार्ड	42.89
74	भरतपुर	कामां	बौलखेडा	50 है0, 2013–14	नाबार्ड	47.13
75	भरतपुर	बयाना	झालरासिद्ध	50 है0, 2013–14	नाबार्ड	62.56
76	सवाई माधोपुर	गंगापुर	गुवाडी	50 है0, 2014–15	स्टेट प्लान	अग्रिम कार्य
77	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	नाहरीकुटी	50 है0, 2011	कैम्पा	41.42
78	सवाई माधोपुर	बौंली	थडोली	50 है0, 2014–15	कैम्पा	अग्रिम कार्य
79	सवाई माधोपुर	गंगापुर	पीलाखाल	50 है0, 2014	नाबार्ड	61.3
80	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	भैडोली	50 है0, 2014	नाबार्ड	67.92
81	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	सूगली तलाई	50 है0, 2014–15	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
शत प्रतिशत						
82	धौलपुर	सरमथुरा	कारिसबाबा ।	50 है0, 2014–15	कैम्पा	75.02
83	धौलपुर	वन विहार	कुदिन्ना–।	50 है0, 2013–14	नाबार्ड	17.84
84	धौलपुर	बाडी	रहुआ की पोखर	50 है0, 2014–15	नाबार्ड	34.97
85	धौलपुर	धौलपुर	कासिमपुर	50 है0, 2013–14	नाबार्ड	54.29
86	धौलपुर	सरमथुरा	रामपुरा–।	50 है0, 2013–14	नाबार्ड	60.96
87	धौलपुर	धौलपुर	भैसेना	50 है0, 2014–15	नाबार्ड	69.92
88	करौली	गुढाचन्द्रजी	दांतली	50 है0, 2012–13	हिल्ली एरिया	42.47
89	करौली	करौली	हीरामन का कुण्डा	50 है0, 2011–12	कैम्पा	31.53
90	भरतपुर	नदबई	कमालपुरा	15 है0, 2013–14	नाबार्ड	42.31
91	भरतपुर	बयाना	भैरो बाबा हाथौडी	50 है0, 2014–15	नाबार्ड	49.45
92	भरतपुर	बयाना	गोगेरा	50 है0, 2013–14	नाबार्ड	52.7
93	सवाई माधोपुर	बौंली	गोठडा बी	50 है0, 2013	नाबार्ड	49.64

94	सवाई माधोपुर	गंगापुर	टटवाडा बासलीघाटी	50 है0, 2014	नाबार्ड	51.68
95	सवाई माधोपुर	बौंली	कुआंगांव	50 है0, 2013	नाबार्ड	63.13
			जोधपुर			
			सेम्पलिंग			
96	सिरोही	पिण्डवाडा	नया नांदिया घास बीड	50 है0, 2013	आर.के.वी.वाई.	82
97	सिरोही	आबुरोड	छायावली जम्बुडी	50 है0, 2011	कैम्पा	69
98	पाली	पाली	डरी	50 है0, 2014	कैम्पा	अग्रिम कार्य
99	पाली	देसुरी	नया गांव	50 है0, 2014	आर.एफ.बी.पी. –।।	अग्रिम कार्य
100	पाली	देसुरी	सादडी	20 है0, 2014	आर.एफ.बी.पी. –।।	अग्रिम कार्य
101	पाली	सेंदडा	कानुपर	50 है0, 2014	आर.एफ.बी.पी. –।।	अग्रिम कार्य
102	जोधपुर	ेरगढ	एस.डी.एस. शेरगढ	25 है0, 2013	जलवायु परिवर्तन	65
103	जोधपुर	औसियां	एस.पी. बेन्दों का बेरा	50 है0, 2014	आर.एफ.बी.पी. –।।	58
104	जोधपुर	बाप	BP कानसिंह सीड ब	25 है0, 2014	आर.एफ.बी.पी. –।।	73
105	जैसलमेर	डाबला	जैरात	70 है0, 2011	आर.के.वी.वाई.	58
106	जैसलमेर	जैसलमेर	चारागाह विकास कराहजोड जठवाई।।	50 है0, 2011	आर.के.वी.वाई.	61
107	जैसलमेर IGNP S II	इकाई पंचम	CSP 0-10 RD रावलू डिस्ट्रीब्यूटरी बी. एस	30 है0, 2011	बी.ए.डी.पी.	50
			शत प्रतिशत			
108	सिरोही	आबुरोड	भाखर टाकिया कन 4 गुजरा महादेव	50 है0, 2013	टी.ए.डी.	76
109	सिरोही	पिण्डवाडा	जनापुर घासबीड वृक्षारोपण	50 है0, 2011	आर.के.वी.वाई.	80
110	सिरोही	सिरोही	राजल डाबेला क.न. 2 डेंरा नाडि	50 है0, 2014	नाबार्ड	81
111	जोधपुर	फलोदी	एस.डी.एस. रूपाणा जैताणा	18 है0, 2014	आर.एफ.बी.पी. –।।	61
112	जोधपुर	बाप	एस.पी. मलार	50 है0, 2014	आर.एफ.बी.पी. –।।	75
113	जैसलमेर	सम	पी.डी.राहू का पार	20 है0, 2011	आर.के.वी.वाई.	55

114	जैसलमेर IGNP S II	इकाई पंचम	SDS CHK 10 धाना डिस्ट्रीब्यूटरी एल.एस	50 है0, 2011	बी.ए.डी.पी.	52
			जयपुर			
			सेम्पलिंग			
115	झुन्झुनू	उदयपुरवाटी	गुढा गौडजी	50 है0, 2012–13	कैम्पा	60.65
116	सीकर	श्रीमाधोपुर	सेवली	17 है0, 2011–12	सी.डी.पी.	73.28
117	सीकर	श्रीमाधोपुर	दिवराला	26 है0, 2011–12	सी.डी.पी.	94.02
118	दौसा	महवा	खानपुर	50 है0, 2013–14	कैम्पा	76.83
119	दौसा	बांदीकुई	खूण्डजा टोली	50 है0 2014–15	कैम्पा	अग्रिम कार्य
120	दौसा	महवा	चक विशाला	50 है0, 2013–14	नाबार्ड	51.14
121	दौसा	सिकराय	जहांगिरीया	50 है0, 2013–14	नाबार्ड	56.79
122	दौसा	दौसा	बांसना कालेडी	50 है0, 2013–14	नाबार्ड	68.89
123	दौसा	दौसा	कालेडी	50 है0 2014–15	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
124	दौसा	लालसोट	बडावड	50 है0 2014–15	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
125	दौसा	सिकराय	कारौली	50 है0 2014–15	नाबार्ड	अग्रिम कार्य
126	जयपुर (उत्तर)	विराटनगर	तालवा बिहाजर	50 है0, 2013–14	जमवारामगढ कैचमेंट एरिया	51.77
127	जयपुर (उत्तर)	शाहपुरा	दीवड़ी पहाड़ी	50 है0, 2011–12	कैम्पा	49.45
128	अलवर	थानागाजी	लालपुरा 'बी'	50 है0, 2013–14	नाबार्ड	45.07
129	अलवर	किशनगढबास	इस्माईलपुर	50 है0, 2013–14	नाबार्ड	46.13
130	अलवर	किशनगढबास	इस्माईलपुर 'ए'	50 है0, 2014–15	नाबार्ड	50.29
131	अलवर	थानागाजी	काबलीगढ	50 है0, 2014–15	नाबार्ड	53.7
132	अलवर	राजगढ	टोडी	50 है0, 2013–14	नाबार्ड	63.52
			शत प्रतिशत			
133	झुन्झुनू	खेतड़ी	नानूकीबावड़ी	50 है0, 2011–12	कैम्पा	54.16

134	सीकर	फतेहपुर	जलालसर	40 है0, 2013–14	आर.एफ.बी.पी. –।।	74.99
135	सीकर	सीकर	सिहोट बडी	22 है0, 2011–12	सी.डी.पी.	90.43
136	दौसा	महवा	कोलरा	50 है0, 2011–12	ए.सी.ए.	11.6
137	दौसा	लालसोट	तिल्लीवाला घाटा	50 है0, 2011–12	कैम्पा	38.79
138	दौसा	सिकराय	दिवांकर	50 है0, 2011–12	कैम्पा	55.69
139	दौसा	बांदीकुई	सबडावली	50 है0, 2012–13	कैम्पा	68.6
140	दौसा	दौसा	खववा	50 है0, 2013–14	नाबार्ड	35.09
141	दौसा	बांदीकुई	हरीपुरा	50 है0, 2013–14	नाबार्ड	64.94
142	दौसा	महवा	नांगल सुमेर सिंह	50 है0, 2013–14	नाबार्ड	65.71
143	दौसा	लालसोट	निर्झरना	50 है0, 2013–14	नाबार्ड	71.2
144	दौसा	सिकराय	राणौली	50 है0, 2013–14	नाबार्ड	77.73
145	जयपुर (उत्तर)	(पावटा) बिलवाडी	पूठाला बामणवास	50 है0, 2013–14	जमवारामगढ कैचमेंट एरिया	67
146	अलवर	लक्ष्मणगढ	हसनपुर	50 है0, 2012–13	कैम्पा	54.06
147	अलवर	किशनगढबास	दोगडा 'बी'	50 है0, 2013–14	नाबार्ड	25.94
148	अलवर	अलवर	घाटी वास	50 है0, 2013–14	नाबार्ड	52.53
149	अलवर	लक्ष्मणगढ	खोहरा कजोता	50 है0, 2014–15	नाबार्ड	62.95
150	अलवर	बहरोड़	जखराणा	50 है0, 2013–14	नाबार्ड	69.86
151	अलवर	राजगढ	मोतीवाडा	50 है0, 2014–15	नाबार्ड	76.86
कोटा						
सेम्पलिंग						
152	झालावाड़	डग	डोडी	50 है0, 2013	कैम्पा	50
153	झालावाड़	असनावर	मालाटोटा–।	50 है0, 2014	नाबार्ड	50
154	झालावाड़	झालावाड़	भवरासी डेम	50 है0, 2014	नाबार्ड	50

155	झालावाड़	मनोहरथाना	देवरीखुर्द	50 है0, 2014	नाबार्ड	68.08
156	झालावाड़	पिडावा	गेलानी ए	50 है0, 2014	नाबार्ड	73
157	बारां	छबडा	कुन्दा अल्लपुरा	50 है0, 2013	एन.बी.एम.	45.15
158	बारां	शाहबाद	बलारपुर	30 है0, 2013	नाबार्ड	42
159	बारां	केलवाड़ा	खाण्डासहरोल	50 है0, 2013	नाबार्ड	46
160	बारां	केलवाड़ा	कलोनिया बी	50 है0, 2014	नाबार्ड	50
161	बारां	किशनगंज	सीमल्यासोपान	80 है0, 2014	नाबार्ड	55
162	बारां	नाहरगढ़	नयागांव	100 है0, 2013	नाबार्ड	59.75
163	बारां	अटरू	चारपुरा बी	60 है0, 2014	नाबार्ड	66
164	बारां	अटरू	महेशपुरा	100 है0, 2013	नाबार्ड	70
165	बारां	छीपाबडौद	मियाड़ा बी	45 है0, 2014	नाबार्ड	70
166	कोटा	लाडपुरा	बोराबास डी	50 है0, 2014	कैम्पा	45
शत प्रतिशत						
167	झालावाड़	खानुपर	अम्बाला	50 है0, 2014	नाबार्ड	45
168	झालावाड़	अकलेरा	कवरपुरा	50 है0, 2014	नाबार्ड	50
169	झालावाड़	बकानी	पाटलीखेड़ा	50 है0, 2014	नाबार्ड	65
170	बारां	छबडा	दुतरानीमाता बी	50 है0, 2014–15	अनुसूचित जनजाति RDF	56.06
171	बारां	शाहबाद	गोयरा	30 है0, 2013	एफ.डी.ए.	47
172	बारां	शाहबाद	चोराखाडी सी	50 है0, 2014	एफ.डी.ए.	50
173	बारां	केलवाड़ा	गणेशपुरा डी	50 है0, 2013	नाबार्ड	44
174	बारां	छबडा	पटना	50 है0, 2013	नाबार्ड	44.04
175	बारां	किशनगंज	बमनदेह	50 है0, 2013	नाबार्ड	45
176	बारां	छीपाबडौद	दिगोद जागीर	50 है0, 2013	नाबार्ड	65
177	कोटा	कनवास	सावनभादौ बाध–।।	50 है0, 2013	कैम्पा	46.46
178	कोटा मुकन्दरा	दरा	सावनभादौ बाध–।	50 है0, 2013	कैम्पा	52
उदयपुर						
सेम्पलिंग						

179	चित्तौड़गढ़	बेगू	देवलच्छ	50 है0, 2012–13	कैम्पा	47.61
180	चित्तौड़गढ़	निम्बाहेड़ा	मोहम्मदपुरा–।।	50 है0, 2014–15	नाबार्ड	56.7
181	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	सामाली पठार	50 है0, 2011–12	कैम्पा	62.53
182	चित्तौड़गढ़	बेगू	सामरिया ए	50 है0, 2014–15	एफ.डी.ए.	66.27
183	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	सेमलपुरा बी	50 है0, 2013–14	नाबार्ड	72.79
184	चित्तौड़गढ़	विजयपुर	घटाटोप ए	50 है0, 2013–14	नाबार्ड	80.96
185	चित्तौड़गढ़	निम्बाहेड़ा	मानजी का गुड्डा	50 है0, 2013–14	नाबार्ड	81.39
शत प्रतिशत						
186	चित्तौड़गढ़	विजयपुर	जूना	46 है0, 2012–13	नाबार्ड	42.25
187	चित्तौड़गढ़	विजयनगर	गोपालपुरा	50 है0, 2011–124	कैम्पा	42.39
188	चित्तौड़गढ़	विजयपुर	भूंगडिया बालाजी घाटा	50 है0, 2013–14	नाबार्ड	44.13
189	चित्तौड़गढ़	विजयपुर	पानगढ़	50 है0, 2012–13	एफ.डी.ए.	45.09
190	चित्तौड़गढ़	बेगू	पालका	50 है0, 2013–14	नाबार्ड	45.24
191	चित्तौड़गढ़	कपासन	शिकारगाह सालेरा	50 है0, 2013–14	नाबार्ड	57.11
192	चित्तौड़गढ़	बेगू	सामरिया	50 है0, 2013–14	नाबार्ड	57.94
193	चित्तौड़गढ़	निम्बाहेड़ा	गुडा खेडा	50 है0, 2013–14	नाबार्ड	63.99
194	चित्तौड़गढ़	रावतभाटा	कानिया तालाब	50 है0, 2011–12	कैम्पा	71.14
195	चित्तौड़गढ़	बेगू	बाघपुरा–।।	50 है0, 2014–15	नाबार्ड	71.62
196	चित्तौड़गढ़	कपासन	साकरमाता	एनीकट टाईप–2, 2012–13	नाबार्ड	अन्य कार्य